वार्षिक रिपोर्ट
1995-96

NIEPA DC
D09609

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9609
Date 05-09-97

विषय-सूची

अध्याय I

प्रस्तावना

		पृष्ठ संख्या
1.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा संगठन	1
1.2	वित्त	2
1.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कम्प्यूटरीकरण	7
1.4	वर्ष के दौरान मुख्य कार्य	7

अध्याय II

शिक्षा प्रणाली - संस्थाओं, नामांकनों तथा संकायों की संख्या में वृद्धि

2.1	छात्र नामांकन	11
2.2	डाक्टरेट की डिग्रियाँ	13
2.3	संस्थाएँ	13
2.4	स्टाफ की संख्या	15

अध्याय III

स्तरों का अनुरक्षण और समन्वय

3.1	अकादमिक स्टाफ कालेज	27
3.2	विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)	28
3.3	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आधार-संरचना को सुदृढ़ बनाना (कोसिस्ट)	30
3.4	प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन	31
3.5	विषय नामिकाएँ	32
3.6	देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम	32
3.7	गैर-प्रसारणीय वीडियो लेक्चर	42
3.8	शैक्षिक अंतर्राष्ट्रीय "एजूकेशनल इंटरनेशनल" परियोजना	42
3.9	विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्र (यूसिक)	42
3.10	प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण	43
3.11	परीक्षा सुधार	44

अध्याय IX

तकनीकी, इंजीनियरी, प्रबंध तथा कम्प्यूटर शिक्षा का विकास

9.1	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा	114
9.2	विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधाओं और कम्प्यूटर शिक्षा का विकास	115
9.3	कालेजों में कम्प्यूटर सुविधाएं	116
9.4	कालेज शिक्षकों का प्रशिक्षण	118
9.5	स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर अनुप्रयोग	118
9.6	प्रबंध अध्ययनों का विकास	118

अध्याय X

अनौपचारिक शिक्षा

10.1	प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा	119
10.2	जनसंख्या शिक्षा - जनसंख्या शिक्षा पर यू जी सी - यू एन एफ पी ए परियोजना	119
10.3	दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार पाठ्यक्रम	121

अध्याय XI

शिक्षण और अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास

11.1	संगोष्ठियाँ, परिचर्चाएँ, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ आदि	123
11.2	राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	124
11.3	अभ्यागत एसोशिएटशिप	124
11.4	अतिथि/अंशकालिक शिक्षक	125
11.5	अभ्यागत प्रोफेसर/अध्येता	125
11.6	शिक्षक अध्येतावृत्ति	126
11.7	अनुसंधान वैज्ञानिकवृत्ति	126

11.8	विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों में शिक्षकों के लिए लघु एवं बृहत् अनुसंधान परियोजनाएँ	127
11.9	भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की रचना	128
11.10	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान	129
11.11	वृत्तिक अवार्ड	130
11.12	इमेरिटस अध्येतावृत्ति	130
11.13	अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा	131
11.14	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान अध्येतावृत्तियां	132
11.15	अनुसंधान एसोशिएटशिप	132
11.16	विकासशील देशों के छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति/अनुसंधान एसोशिएटशिप	133
11.17	हरीओम आश्रम न्यास अवार्ड तथा स्वामी प्रणवानंद सरस्वती अवार्ड	134

अध्याय XII

शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूदों का संवर्धन

12.1	शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	135
12.2	विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद के लिए आधार-संरचना सृजित करना	135
12.3	साहसिक खेलों को बढ़ावा देना	136
12.4	विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा एवं अभ्यास के संवर्धन के लिए योजना	137

अध्याय XIII

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुविधाएँ

13.1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुविधाएँ देने वाले कालेजों को सहायता और विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में विशेष सेलों की स्थापना	138
13.2	विश्वविद्यालयों में विशेष सेल	139
13.3	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण	139
13.4	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उपचारी अनुशिक्षण	140

13.5 कार्यक्रम परिवीक्षण 140
13.6 अल्पसंख्यक समुदायों में शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएँ आयोजित करने की योजना 141

अध्याय XIV

महिलाओं के लिए सुविधाएँ

14.1 उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि 142
14.2 महिलाओं के नामांकन का राज्यवार, स्तरवार तथा संकायवार वितरण 143
14.3 महिला कालेज 145
14.4 विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों का संवर्धन 146
14.5 महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप 147

अध्याय XV

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.1 द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम 151
15.2 शिष्टमंडल 151
15.3 अध्येतावृत्तियाँ तथा छात्रवृत्तियाँ 152
15.4 सामाजिक वैज्ञानिक विनियम कार्यक्रम 152
15.5 फ्रांस के साथ सी एस आई आर - सी एन आर एस विनिमय कार्यक्रम 153
15.6 अकादमिक संपर्क अंतर्विनिमय योजना (ए एल आई एस) 153
15.7 सार्क पीठें/अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियाँ 153
15.8 सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी) 155
15.9 राष्ट्रमंडलीय अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां 155
15.10 कनाडियन अध्ययनों का विकास 155
15.11 स्रोत सामग्री एकत्र करना 156

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(1995-96)

अध्यक्ष

1. डॉ॰ (कु॰) आर्मेती एस. देसाई

उपाध्यक्ष

2. प्रोफेसर एन. सी. माथुर

सदस्य

3. श्री एस. वी. गिरि$
4. श्री के. वेंकटेसन%
5. डॉ॰ बिपन चंद्र*
6. प्रोफेसर प्रणव कुमार सेन*
7. प्रोफेसर ए. एस. निगवेकर*
8. प्रोफेसर डी. आर. गडेकर*
9. प्रोफेसर बशीरुद्दीन अहमद
10. प्रोफेसर डी. पी. सिंह*
11. प्रोफेसर (श्रीमती) केर्मा लिंग्डोह
12. प्रोफेसर के. पी. सिंह
13. प्रोफेसर एस. एल. गोयल#
14. प्रोफेसर पी. एस बिसेन#
15. डॉ॰ वाई. सी. सिम्हादरी#
16. प्रोफेसर आर. पी. कौशिक#
17. डॉ॰ एम. एस. वेलिआथन#
18. श्री पी. आर. दासगुप्ता@
19 श्री एन. के. सिंह**

सचिव

श्री इन्द्रजीत खन्ना

$ दिसंबर 1995 तक
% अगस्त, 1995 तक
* 30 मई 1995 तक
# 25 मई, 1995 से
@ जनवरी 1996 से
** सितंबर, 1995 से

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक संगठन है । इसकी स्थापना संसद् के एक अधिनियम द्वारा सन् 1956 में की गई थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा के समन्वय और स्तरों के निर्धारण एवं अनुरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय निकाय है । यह केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है । विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को अनुदान प्रदान करने से संबंधित भूमिका निभाने के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को सलाह भी देता है । इसके अतिरिक्त, आयोग विषय-विशेषज्ञों और शिक्षाविदों की सलाह से विनियम भी बनाता है यथा - शिक्षा के न्यूनतम स्तर, शिक्षकों की अर्हताएँ आदि । आयोग कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका मूल्यांकन एवं परिवीक्षण करने में विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों के साथ सतत रूप से अन्योन्यक्रिया करता रहता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 में यह उपबंध दिया गया है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से ऐसे सभी कदम उठाएगा जिन्हें वह विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों के अनुरक्षण के लिए उपयुक्त समझता है । आयोग उच्च शिक्षा संस्थाओं में उत्कृष्टता के संवर्धनार्थ तथा स्तरों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है ।

आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा दस सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है । अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होते हैं । अन्य दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है । कम से कम चार सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो उस समय विश्वविद्यालय के शिक्षक होते हैं । शेष सदस्यों

का चयन निम्नलिखित उन व्यक्तियों में से किया जाता है (i) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी या उद्योग का ज्ञान या अनुभव है; (ii) जो इंजीनियरी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य विद्वत् व्यवसाय के सदस्य हैं; या (iii) जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं या जो यद्यपि, विश्वविद्यालयों के शिक्षक नहीं है फिर भी वे केंद्रीय सरकार की राय में विख्यात शिक्षाविद् माने जाते हैं या जो उच्च अकादमिक योग्यताप्राप्त हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यकारी प्रमुख सचिव होता है । वह आयोग के सचिवालय का प्रधान होता है जिसके कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

	संस्वीकृत	कार्यकारी
वर्ग 'क'	116	92
वर्ग 'ख' 'ग' और 'घ'	718	601
जोड़	**834**	**693**

कार्यक्रम को तैयार करने, उनका मूल्यांकन एवं परिवीक्षण करने में वि॰अ॰आ॰ की सहायता के लिए विश्वविद्यालयों, कालेजों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थाओं के विषय-विशेषज्ञ होते हैं ।

आलोच्य वर्ष के दौरान, जाली विश्वविद्यालयों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में एक नए सेल की स्थापना की गई । लेकिन, कुछ मुख्य स्थानों का अनुमोदन अभी मानव संसाधान विकास मंत्रालय द्वारा किया जाना है ।

1.2 वित्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अपनी कोई निधि नहीं है । आयोग विधि द्वारा सौंपे गए अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय सरकार से योजनेतर तथा योजनागत अनुदान प्राप्त करता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम द्वारा आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, दिल्ली तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों और कुछ ऐसी संस्थाओं को जिन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है, पूरा अनुरक्षण एवं विकास अनुदान आबंटित तथा संवितरित कर सकता

है । राज्य विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं को विकास योजनाओं के लिए योजनागत अनुदान से सहायता प्राप्त होती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे विविध प्रकार के कार्यक्रम भी संचालित करता है जिनके अंतर्गत वृत्तिक उन्नति तथा अनुसंधान जैसे कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध की जा सकती है । गत दो दशकों की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध कराए गए योजनागत तथा योजनेतर संसाधनों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

सारणी 1.1
संसाधन (रु० करोड़ में)

	पाँचवीं योजना	छठी योजना	सातवीं योजना	आठवीं योजना
योजनागत	216	233	575	612
योजनेतर	207	388	845	441*
जोड़	**423**	**621**	**1420**	**2053**

*31 मार्च 1996 तक

योजनागत अनुदान का उपयोग नए भवनों के निर्माण, प्रयोगशालाओं के लिए उपस्करों की खरीद जैसी भौतिक सुविधाओं के विकास एवं बिस्तार तथा पुस्तकालय-सुविधाओं के विस्तार के लिए और शैक्षिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुविधाएं सृजित करने के लिए किया जाता है । वर्ष 1995-96 के बजट में वार्षिक आबंटन रु० 207.77 करोड़ था जो वर्ष 1994-95 के संशोधित प्राक्कलनों से मामूली अधिक है । राज्य विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदानों का 41 प्रतिशत और राज्य विश्वविद्यालयों के कालेजों को 20.5 प्रतिशत अंश प्रदान किया जाता है । इस प्रकार, यह राशि कुल योजनागत अनुदानों की 61.5 प्रतिशत है ।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय क्षेत्रक में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंधन एवं कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए सरकार से अलग से विकास अनुदान प्राप्त होते हैं । गत दशक के दौरान अनुसंधान अध्येतावृत्तियों, स्वायत्त कालेजों, शिक्षकों को सेवाकालीन

प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अकादमिक स्टाफ कालेजों, अंतर्विश्वविद्यालय केंद्रों के रूप में सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने, उदीयमानों क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों तथा उच्च अनुसंधान हेतु विशेष सहायता कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में पर्याप्त वृद्धि हुई है । उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों और संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या (लगभग 4.5 से 5 प्रतिशत मिश्रित दर पर) और इसके परिणामस्वरूप सभी प्रकार की आवश्यकताओं में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन विशेषकर उसके योजनागत आबंटन, विकास संवर्धन तथा स्तर सुधार के लिए अपेक्षित धन-राशि की तुलना में कम पड़ते हैं ।

वर्ष 1995-96 के दौरान प्राप्त योजनागत तथा योजनेतर अनुदानों तथा विभिन्न संस्थाओं और कार्यकलापों के लिए आबंटित की गई राशि का ब्योरा निम्नलिखित तीन सारणियों में दिया गया है :

सारणी 1.2
वर्ष 1995-96 के दौरान प्राप्त अनुदान

(रु० करोड़ में)

		योजनागत	योजनेतर
1.	सहायता अनुदान	207.77	450.82
2.	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	25.00	-
3.	अन्य	1.39	-
	जोड़	**234.16**	**450.82**

सारणी 1.3

वर्ष 1995-96 के दौरान जारी किए गए योजनेतर अनुदान

	संस्थाओं का प्रकार	रु० करोड़ में	कुल योजनेतर अनुदान का प्रतिशत
1.	निम्नलिखित का अनुरक्षण :		
	(क) केंद्रीय विश्वविद्यालय	276.95	62.48
	(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कालेज	96.99	21.88
	(ग) समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	30.42	6.87
2.	शिक्षक पुरस्कार, अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, आदि	27.04	6.10
3.	अंतर-विश्वविद्यालय संस्थाएँ	0.51	0.12
4.	राज्य विश्वविद्यालय	2.22	0.50
5.	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए विशिष्ट अनुदान	–	–
6.	विश्वविद्यालयेतर संस्थाएँ	0.45	0.10
7.	वि.अ.आ. का स्थापना व्यय	8.64	1.95
	जोड़ (योजनेतर)	**443.22**	**100.00**

सारणी 1.4

वर्ष 1995-96 के दौरान जारी किए गए योजनागत अनुदान

	संस्थाओं का प्रकार	रु० करोड़ में	कुल योजनागत अनुदान का प्रतिशत
1.	राज्य विश्वविद्यालय*	62.75	34.61
2.	राज्य विश्वविद्यालयों के कालेज	38.11	21.01
3.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	42.77	23.59
4.	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र	25.00	13.79
5.	समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	8.71	4.80
6.	विविध	–	–
7.	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कालेज	3.99	2.20
	जोड़ (योजनागत)	**181.33 ****	**100.00**

* इसमें खेलकूद तथा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी जैसी अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदत्त अनुदान शामिल नहीं हैं ।

** इसके अतिरिक्त, अधुनातन मेडीकल उपस्कर के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को रु० 32.10 करोड़ दिए गए ।

1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कंप्यूटरीकरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) को अपने कार्यमूलक तथा सहायक डिवीजनों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य सौंपा है । विभिन्न योजनाओं के लिए सोफ्टवेयर तैयार करने और उनको कार्यान्वित करने का कार्य जारी है । इस कार्य का मुख्य उद्देश्य चालू योजनाओं का बेहतर प्रबंध और प्रभावी परिवीक्षण हैं । राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने अप्रैल, 1995 में यह परियोजना शुरू की थी ।

1.4 वर्ष के दौरान मुख्य कार्य

(i) महिला छात्रावासों की योजना

आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों और कालेजों में महिला छात्रावासों की व्यवस्था करने के लिए एक योजना शुरू की गई जिसके अधीन महिला विश्वविद्यालयों तथा महिला कालेजों और उन अन्य कालेजों को विशेष अनुदान प्रदान किया जाता है जिनमें महिलाओं का नामांकन 30 प्रतिशत से अधिक है । इस योजना के अंतर्गत संबंधित विश्वविद्यालय/कालेज में महिलाओं के नामांकन पर निर्भर करते हुए तीन स्तरों पर सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के लिए रु॰500 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई ।

(ii) संसाधन जुटाने के लिए योजना

विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत सृजित की गई 25 प्रतिशत निधियाँ प्रोत्साहन के रूप में संबंधित विश्वविद्यालय को प्रदान की जाएँगी । चूंकि वर्ष 1995-96 इस योजना का प्रथम वर्ष है अत: वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान सृजित किए गए संसाधनों को वर्ष, 1995-96 के लिए स्वीकार्य अनुदान का परिकलन करने के उद्देश्य से हिसाब में लिया गया था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन राशि को कायिक निधि में रखा जाएगा जिससे प्राप्त होने वाले ब्याज का उपयोग विश्वविद्यालय विकास प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं । वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के लिए रु॰ 5 करोड़ आबंटित किए गए ।

(iii) कुलपति सम्मेलन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12 नवंबर, 1995 को मणिपाल में एक कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया । सम्मेलन का मुख्य विषय था - '*प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण*' ।

विषय-लेख में इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया कि सीमित संसाधनों के अंतर्गत, अनेक पूर्व-स्नातक कार्यक्रमों में व्यावसायिक/वृत्तिकप्रधान विषय शुरू किए जाएँ। इस योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान कुल 35 पाठ्यक्रमों, 381 कालेजों तथा 26 विश्वविद्यालयों को निधियाँ उपलब्ध कराई गईं। इसके अतिरिक्त, इस बात की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया कि वर्तमान पाठ्यचर्या में एक सप्ताह में दो दिन '*हैंड्स आन*' (व्यावहारिक) अनुभव तथा शेष चार दिन कक्षा शिक्षण लागू करते हुए वर्तमान विषयों को समाज की जरूरतों के अधिक संगत बनाने के उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

(iv) जाली विश्वविद्यालय

पिछले कुछ वर्षों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार द्वारा गैर-मान्यताप्राप्त डिग्रियाँ प्रदान करने वाले जाली विश्वविद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जाली विश्वविद्यालयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेष चिंता का विषय बना रहा है क्योंकि देश में उच्च शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने तथा उनको ऊँचा उठाए रखने की जिम्मेदारी आयोग को ही सौंपी गई है।

जाली विश्वविद्यालय वह संस्था है जिसे अपने आपको विश्वविद्यालय कहलाने तथा अपने नाम से डिग्रियाँ प्रदान का अधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम 1956 के उपबंधों के अधीन केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों को जो संसद के अधिनियम या राज्य विधान मंडल के तहत स्थापित किए हैं या जिन्हें समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है, अपने को 'विश्वविद्यालय' कहलाने तथा डिग्रियाँ प्रदान करने का अधिकार है। इस प्रकार, वह कोई भी विश्वविद्यालय अपने आपको 'विश्वविद्यालय' नहीं कहला सकता या डिग्रियाँ प्रदान नहीं कर सकता जिसकी स्थापना संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधान मंडल के अधीन नहीं की गई है या जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। जब कभी भी कोई जाली विश्वविद्यालय या उसकी गतिविधियाँ आयोग की जानकारी में आती हैं, संबंधित राज्य सरकार से यह अनुरोध किया जाता है कि वह उस जाली विश्वविद्यालय के विरुद्ध आवश्यक क़ानूनी कार्यवाही करे। कुछ मामलों में यह देखा गया है कि जब भी राज्य सरकार द्वारा ऐसे जाली विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाहियाँ की गई हैं, उन विश्वविद्यालयों के संचालकों ने अपने पक्ष में न्यायालय से रोक आदेश (स्टेआर्डर) प्राप्त कर लिया है। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रतिवादी बनाया गया था तो प्रतिशपथ-पत्र (काउंटर एफीडेविट) दायर किए गए हैं जिनमें वि०अ०आ० अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघनों तथा आवश्यकतानुसार विधिक विशेषज्ञों/अधिवक्ताओं की सेवाओं का उल्लेख किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे स्वयंभू यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालयों/विद्यापीठों के बारे में समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी करता रहा है जो वि०अ०आ० अधि ानियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे हैं और जो अपनी तथाकथित मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डिग्रियाँ/डिप्लोमा प्रदान करने हेतु समाचारपत्रों में विज्ञापन दे रहे हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभाग के सचिवों तथा उच्च शिक्षा के निदेशकों और सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को यह सलाह दी है कि वे छात्रों को इन जाली विश्वविद्यालयों से सावधान करें ।

भारत सरकार वि०अ०आ० अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है । यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि जो लोग जाली विश्वविद्यालय चला रहे हैं, उन पर किए जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाई जानी चाहिए । संशोधन में इस बात पर भी विचार किया गया है कि ऐसे लोगों को कारावास दिया जाना चाहिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जाली विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए अपने कार्यालय में एक अलग प्रकोष्ठ (सेल) खोल रखा है । यह प्रकोष्ठ भारत सरकार/राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों से संपर्क स्थापित करेगा और ऐसे उपाय करेगा जो ऐसी जाली संस्थाओं के खतरे को रोक सकें ।

मार्च, 1996 को विद्यमान जाली विश्वविद्यालयों की सूची नीचे दी जा रही है :-

1. मैथली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार ।
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (वीमेंस यूनिवर्सिटी) प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
3. वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, जगतपुरी, दिल्ली ।
4. कामर्शियल यूनिवर्सिटी लि० दरियागंज, दिल्ली ।
5. इंडियन एजूकेशन काउंसिल ऑफ यू०पी०, लखनऊ (यू०पी०) ।
6. गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (यू०पी०) ।
7. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलैक्ट्रो काम्प्लैक्स होमियोपेथी, कानपुर ।
8. नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अचलताल, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) ।
9. श्रीमती महादेवी वर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, मुगलसराय (यू०पी०) ।

10. डी डी बी संस्कृत विश्वविद्यालय, पुतूर, त्रिची, तमिलनाडु ।

11. भारतीय शिक्षा परिषद्, (यू०पी०) ओपन विश्वविद्यालय, लखनऊ (यू०पी०) ।

12. आर्य यूनिवर्सिटी, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) ।

13. सेंट जोन्स यूनिवर्सिटी, किशनाट्टम, केरल ।

14. नेशनल यूनिवर्सिटी, नागपुर ।

15. यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, दिल्ली ।

16. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली ।

17. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसीकलां, मथुरा (यू०पी०) ।

18. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (यू०पी०) ।

19. रजा अरेबिक विश्वविद्यालय, नागपुर ।

20. उर्दू यूनिवर्सिटी, मोतीबाग, भोपाल ।

० ० ० ० ०

अध्याय II

शिक्षा प्रणाली संस्थाओं, नामांकनों तथा संकायों की संख्या में वृद्धि

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अर्थात् 1947 में देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कालेज थे। उच्च शिक्षा तंत्र में छात्रों और शिक्षकों की संख्या भी बहुत कम थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी संख्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालयों की संख्याओं में ग्यारह गुना और कालेजों की संख्या में अठारह गुना वृद्धि हुई है जबकि छात्र नामांकन में पच्चीस गुना वृद्धि हुई है।

2.1 छात्र नामांकन

मुख्य प्रेक्षण नीचे दिए जा रहे हैं :-

(क) गत बीस वर्षों के दौरान बृहत् स्तर पर छात्र नामांकन की प्रवृत्ति परिशिष्ट-II, चित्र 2.4 में दर्शाई गई है। लेकिन, राज्य स्तर तथा संकाय से संबंधित छात्र नामांकन की प्रवृत्तियों का विवरण संक्षिप्त कर दिया गया है और उसे वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए ही दिया गया है।

(ख) इस अवधि के दौरान छात्र नामांकन की वृद्धि सामान्य किंतु स्थिर रही। नामांकन वृद्धि की दर प्रतिवर्ष 5.1 प्रतिशत थी।

(ग) लेकिन, उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत दर की तुलना में राज्य स्तर पर काफी अंतर रहा। गोवा और तमिलनाडु की वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत अधिकतम तथा केरल की वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत निम्नतम रही। 10 राज्यों (दिल्ली सहित) में औसत वृद्धि दर अखिल भारतीय औसत दर 5.1 प्रतिशत से कम थी।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान उच्च शिक्षा संस्थाओं में लगभग 64.26 लाख छात्रों का नामांकन किया गया।

स्तरवार नामांकन

(क) उच्च शिक्षा प्रणाली में बहुत भारी संख्या में छात्र पूर्व-स्नातक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित होते हैं । कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में इस स्तर पर लगभग 88 प्रतिशत छात्र नामांकित होते हैं । मास्टर स्तर पर पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों की संख्या 9.4 प्रतिशत है जबकि बहुत कम छात्र (1.1 प्रतिशत) उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं । उसी प्रकार, मात्र 1.3 प्रतिशत छात्र डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं । (परिशिष्ट-IV)

(ख) जैसा कि चित्र 2.5 में दर्शाया गया है, उच्च शिक्षा प्रणाली में अधिसंख्य छात्र संबद्ध कालेजों में नामांकित हैं । कुल पूर्व-स्नातक छात्रों में से लगभग 88 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर छात्रों में से 56 प्रतिशत छात्र इन संबद्ध कालेजों में हैं और शेष छात्र विश्वविद्यालयों और उनके संघटक कालेजों में हैं । इसके विपरीत, एम.फिल या पीएच.डी. करने वाले 85 प्रतिशत अनुसंधान छात्र विश्वविद्यालयों में हैं । डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में भी, विश्वविद्यालय विभागों तथा कालेजों (दोनों को मिलाकर) की संख्या संबद्ध कालेजों से अधिक है । लेकिन, पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर के अधिसंख्य छात्र कालेजों में हैं जहाँ उच्च शिक्षा की नींव रखी जाती है । इसके दूरगामी नीति-निहितार्थ होने चाहिए ।

(ग) यहाँ यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि गत दो दशकों के दौरान छात्रों का स्तरवार वितरण वस्तुतः अपरिवर्तित रहा है ।

संकायवार नामांकन

छात्रों का संकायवार वितरण चित्र 2.6 में दिया गया है ।

(क) उच्च शिक्षा में दस छात्रों में से चार छात्र कला संकाय में हैं जो सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं जिनमें इतिहास और संस्कृति तथा भाषाएँ शामिल हैं । दस छात्रों में से दो विज्ञान पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं । वाणिज्य का अनुपात भी वही है जो विज्ञान का है ।

(ख) वाणिज्य में छात्र नामांकन में सत्तर के दशक में वृद्धि होने लगी थी । प्रतीत होता है कि वाणिज्य में होने वाली वृद्धि कला तथा मानविकी के संकायों की कीमत पर हुई । इस परिवर्तन को छोड़कर हाल के वर्षों में संकायवार नामांकन के इस पैटर्न में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

2.2 डाक्टरेट की डिग्रियाँ

डाक्टरेट की जो डिग्रियाँ प्रदान की गईं उनसे पता चलता है कि उनकी संख्या वर्ष 1991-92 में 8743 से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 10270 हो गई । वर्ष 1994-95 में प्रदत्त डाक्टरेट की डिग्रियों की कुल संख्या में से कला संकाय में प्रदत्त डिग्रियों की संख्या 4351 थी जो सर्वाधिक थी । दूसरा स्थान विज्ञान संकाय का था जिसमें 3281 डिग्रियाँ प्रदान की गईं ।

2.3 संस्थाएँ

(क) नामांकन में इतनी भारी वृद्धि उच्च शिक्षा संस्थाओं - विशेषकर कालेजों की संख्या में वृद्धि के बिना संभव नहीं थी (देखिए, चित्र 2.7) । लेकिन, चित्र 2.7 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे पता चलता है कि कालेजों की संख्या में वृद्धि की दर राज्यों में भिन्न-भिन्न थी । सापेक्ष रूप से कहा जाए तो चित्र 2.7(सं. 13) में उल्लिखित महाराष्ट्र में वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान कालेजों की वृद्धि दर सर्वाधिक रही । कर्नाटक (सं. 10), उड़ीसा (सं. 18) तथा आंध्र प्रदेश (सं. 1) में भी वृद्धि दर उल्लेखनीय रूप से उच्च रही । मध्य स्तर बिहार (सं. 4), गुजरात (सं. 6), और तमिलनाडु (सं. 22) आते है । इस अवधि के दौरान कुछ अन्य राज्यों में कालेजों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई जबकि त्रिपुरा तथा उत्तर पूर्वी राज्यों तथा चंडीगढ़, दादर और नगर हेवली, दमन और दीव तथा लक्ष्यद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों में कालेजों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई ।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान लगभग 287 नए कालेज स्थापित किए गए । इस प्रकार उनकी कुल संख्या बढ़कर 9278 हो गई जबकि 1994-95 में यह संख्या 8991 थी ।

(ग) वर्ष 1995-96 के अंत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(एफ) के अधीन मान्यताप्राप्त कालेजों की कुल संख्या 4730 थी जबकि गत वर्ष यह संख्या 4685 थी ।

(घ) गत वर्षों के दौरान कालेज संख्या में वृद्धि मुख्यतः प्राइवेट सहायताप्राप्त संबद्ध कालेजों की संख्या में वृद्धि का परिणाम है । वर्तमान लगभग 75 से 80 प्रतिशत कालेज इसी श्रेणी में आते हैं ।

(ङ) वर्ष 1995-96 के अंत में विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालयों की संख्या 207 थी । आलोच्य वर्ष के दौरान स्थापित किए गए नए विश्वविद्यालय इस प्रकार थे :-

1. पश्चिम बंगाल पशु तथा मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।
2. डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।

सारणी 2.1
उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रकार
1995-96

		संथाओं की संख्या
1.	केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय	166*
2.	समविश्वविद्यालय	37
3.	राज्य विधान द्वारा स्थापित की गई संस्थाएँ	4
4.	कालेज	9278**

* इनमें 7 मुक्त विश्वविद्यालय भी शामिल हैं ।

** अनुमानित ।

2.4 स्टाफ की संख्या

(क) वर्ष 1995-96 में विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेजों में शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या 3.10 लाख थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 3.01 लाख थी ।

(ख) संबद्ध कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के विभागों और कालेजों में पदों के उल्लेख सहित शिक्षकों की संख्या विषयक पाँच वर्षों के आँकड़े, जिनमें वर्ष 1995-96 भी शामिल है, अलग से चित्र सं. 2.8 में दिए गए हैं । लेक्चरार वर्ग में शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है । वर्ष 1995-96 में विश्व-विद्यालयों और संबद्ध कालेजों में शिक्षकों की संख्या क्रमशः 57 प्रतिशत तथा 82 प्रतिशत थी जबकि विश्वविद्यालय विभागों और कालेजों में रीडरों की संख्या 26.2 और प्रोफेसरों की संख्या 12.8 प्रतिशत थी । इस प्रकार, इनका पिरामिड 1:2:4 बनता है जो एक उचित वितरण है ।

(ग) चूँकि उच्च शिक्षा संस्थाओं में सबसे अधिक संख्या संबद्ध कालेजों की थी अतः 77 प्रतिशत शिक्षक संबद्ध कालेजों में ही काम कर रहे थे ।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान संबद्ध कालेजों में कुल शिक्षकों में वरिष्ठ शिक्षकों (अर्थात् प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर तथा वरिष्ठ लेक्चरार) की संख्या 13.9 प्रतिशत थी ।

° ° ° ° °

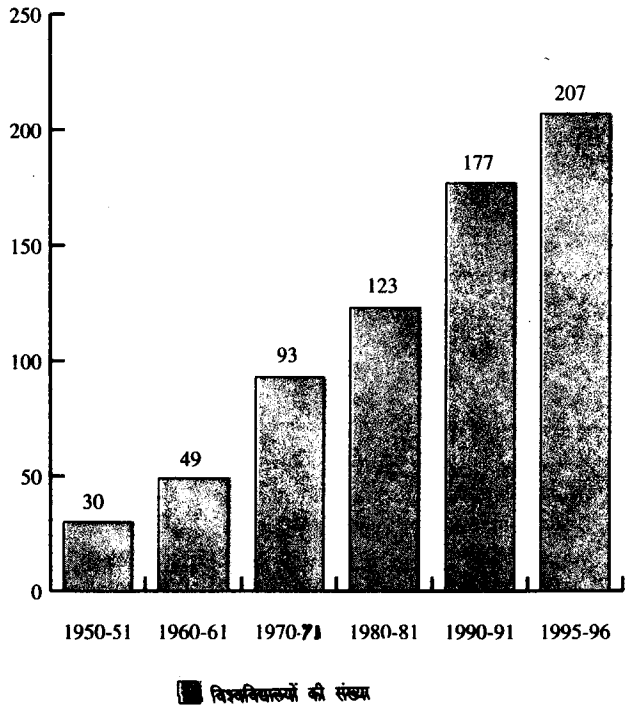

चित्र 2.1 विश्वविद्यालयों की वर्ष 1950-51 से 1990-91 तक दशाब्दिक तथा 1990-91 से 1995-96 तक पंचवर्षीय वृद्धि

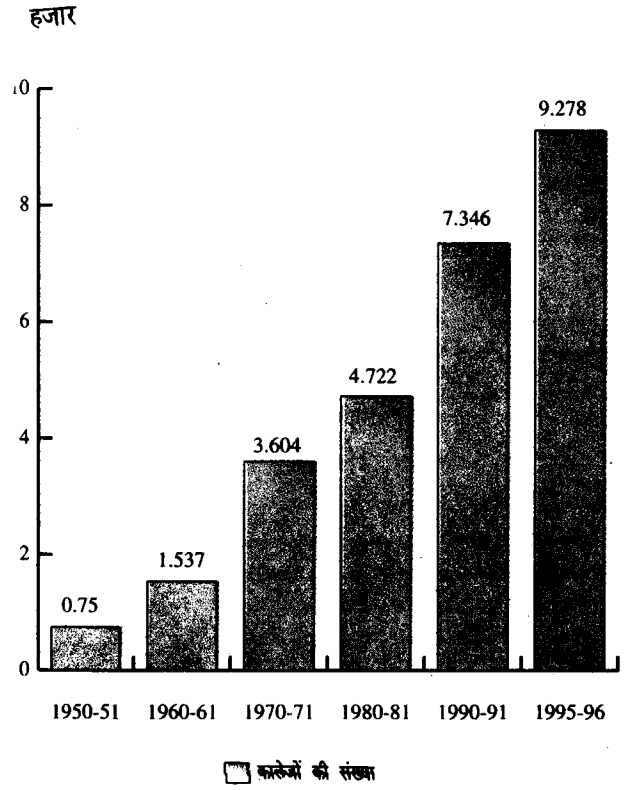

चित्र 2.2 कालेजों की वर्ष 1950-51 से 1990-91 तक दशाब्दिक तथा1990-91 से 1995-96 तक पंचवर्षीय वृद्धि

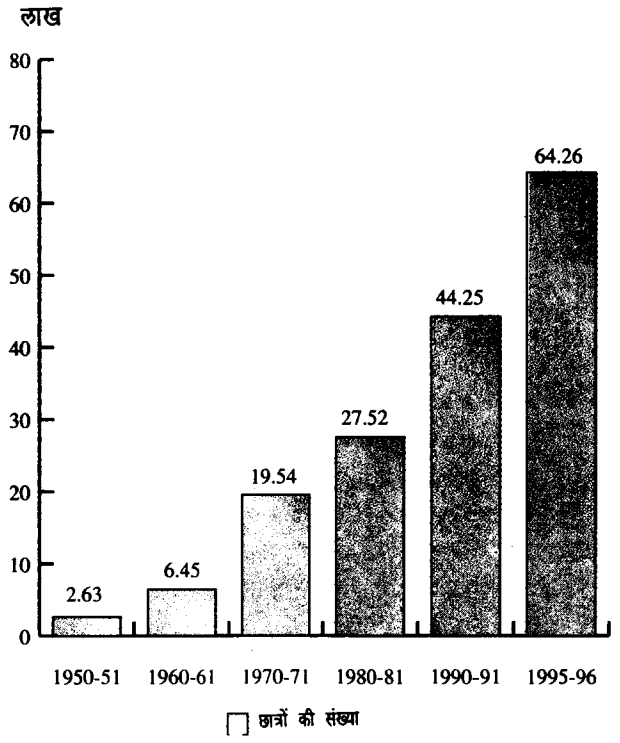

चित्र 2.3 छात्रों की वर्ष 1950-51 से 1990-91 तक दशाब्दिक तथा1990-91 से 1995-96 तक पंचवर्षीय वृद्धि

चित्र 2.4(क) वर्ष 1976-77 से 1995-96 तक छात्र नामांकन की अखिल भारतीय वृद्धि

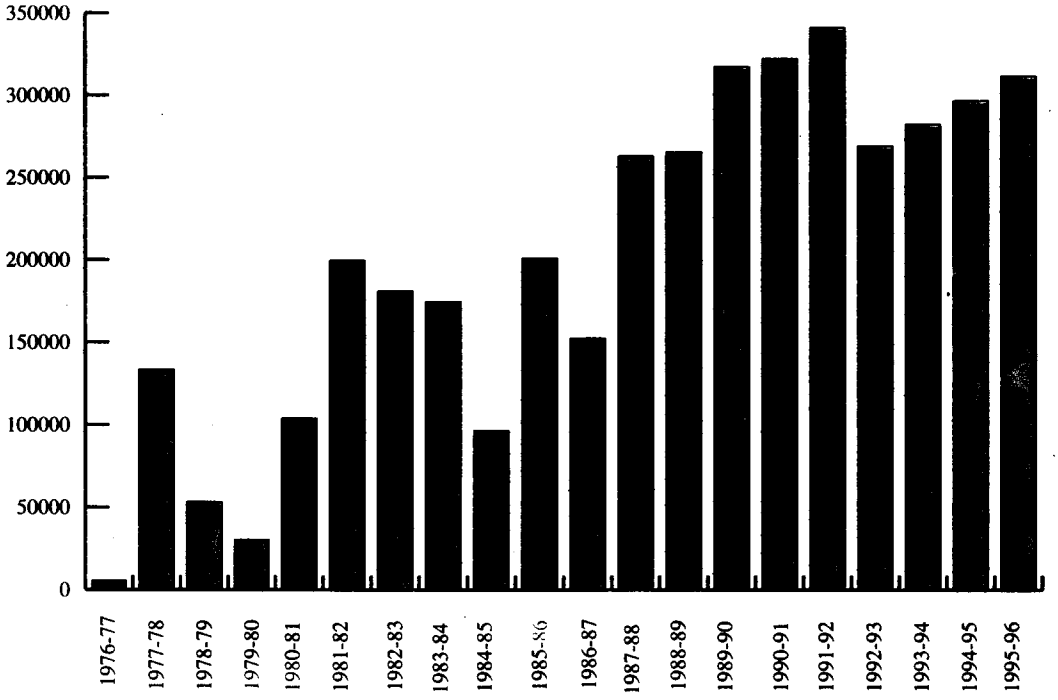

चित्र 2.4(ख) वर्ष 1976-77 से वर्ष 1995-96 तक अखिल भारतीय छात्र नामांकन की वार्षिक वृद्धि

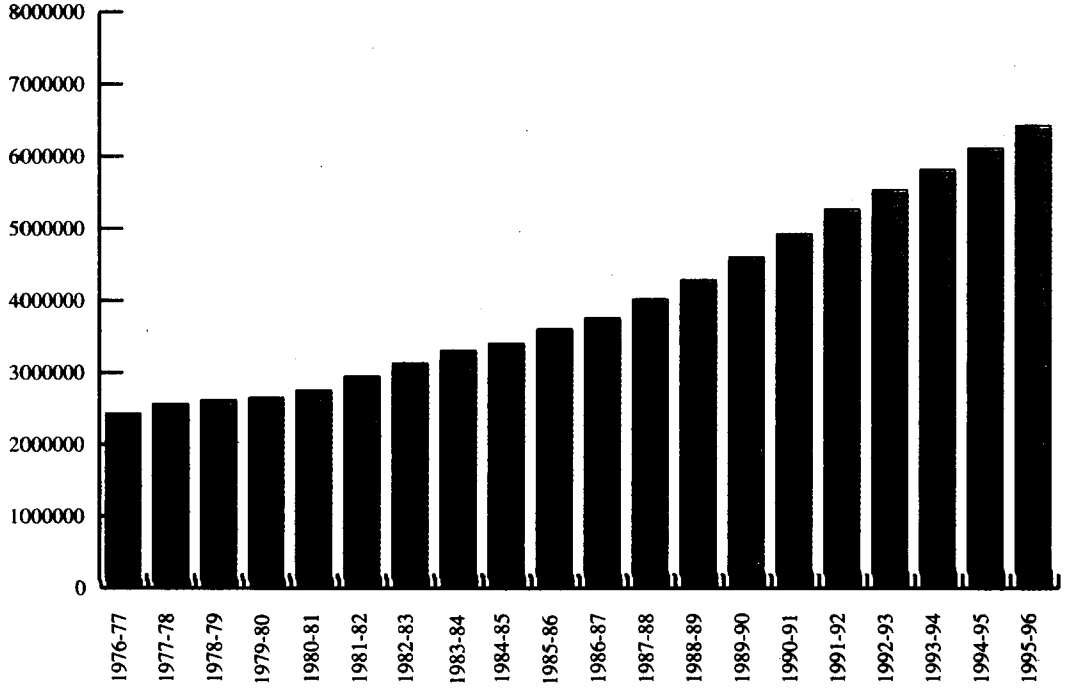
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96

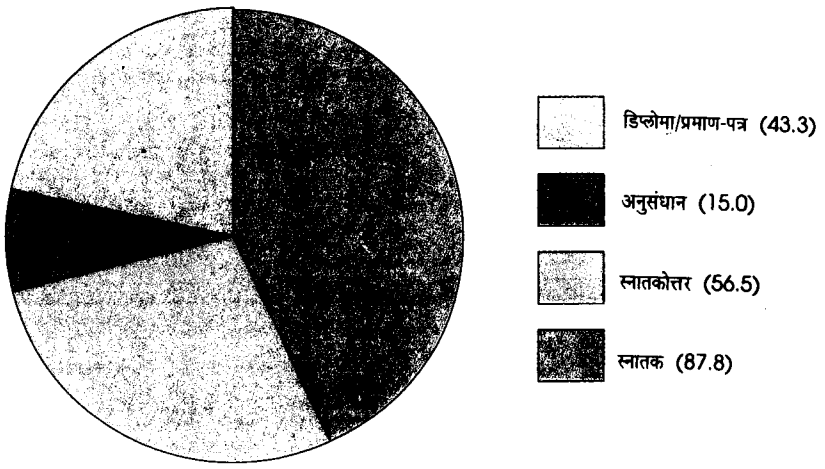

चित्र 2.5 स्तरवार छात्र नामांकन : विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज (1995-96)

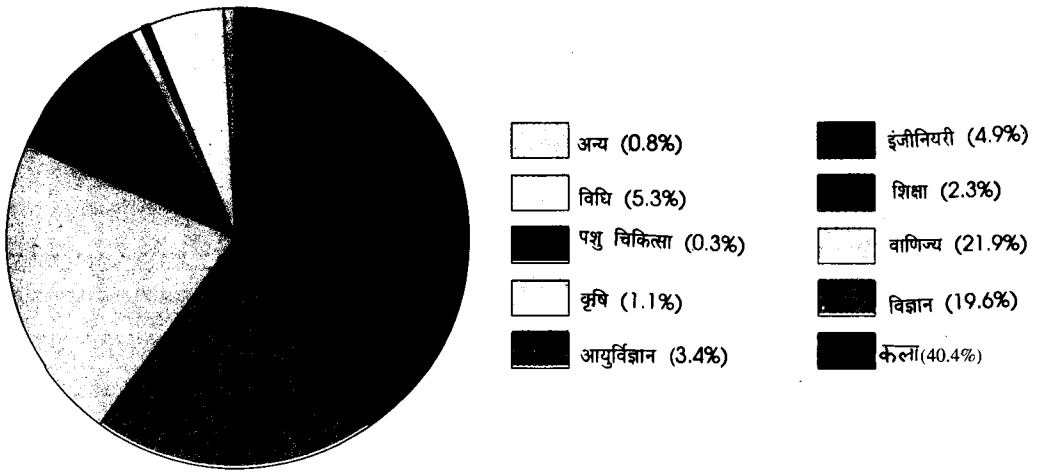

चित्र 2.6 संकायवार छात्र नामांकन : विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कालेज (1995-96)

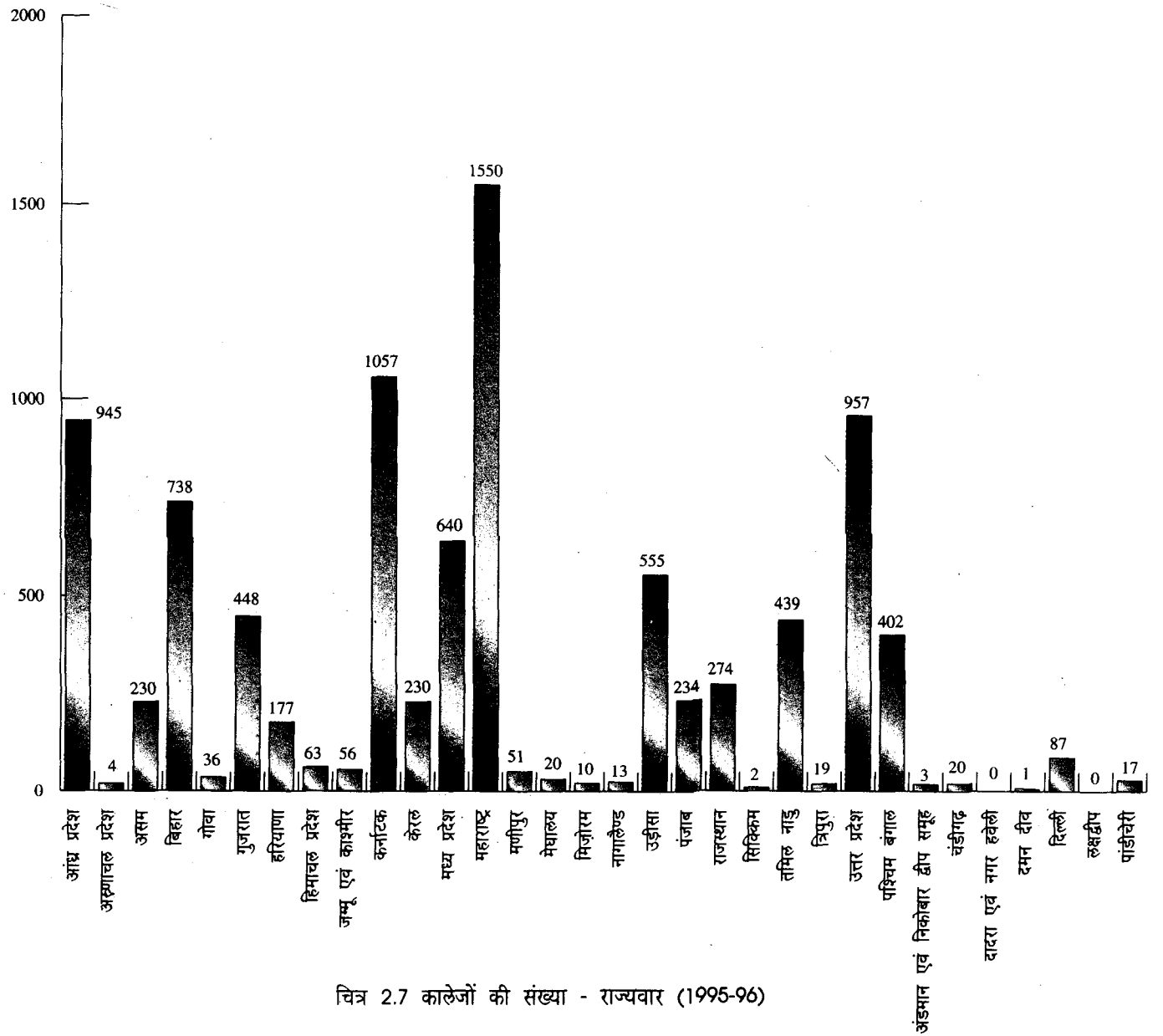

चित्र 2.7 कालेजों की संख्या - राज्यवार (1995-96)

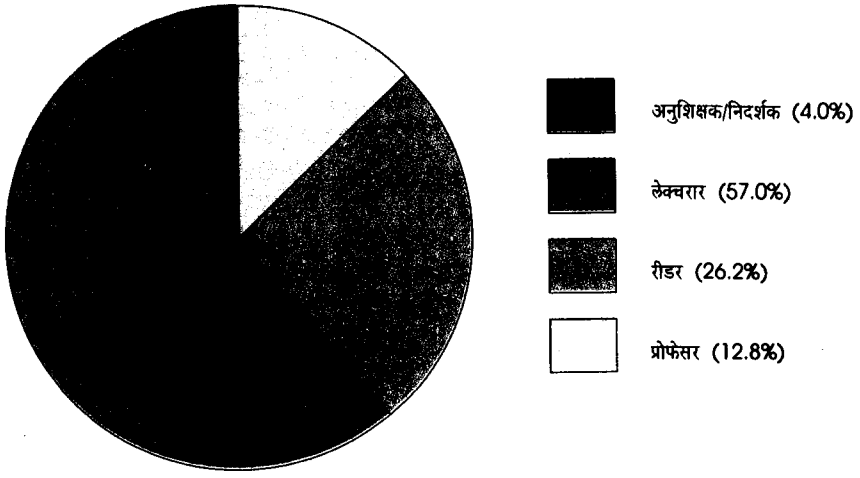

चित्र 2.8(क्र) पद के अनुसार शिक्षण स्टाफ का वितरण : विश्वविद्यालय विभाग तथा विश्वविद्यालय कालेज (1995-96)

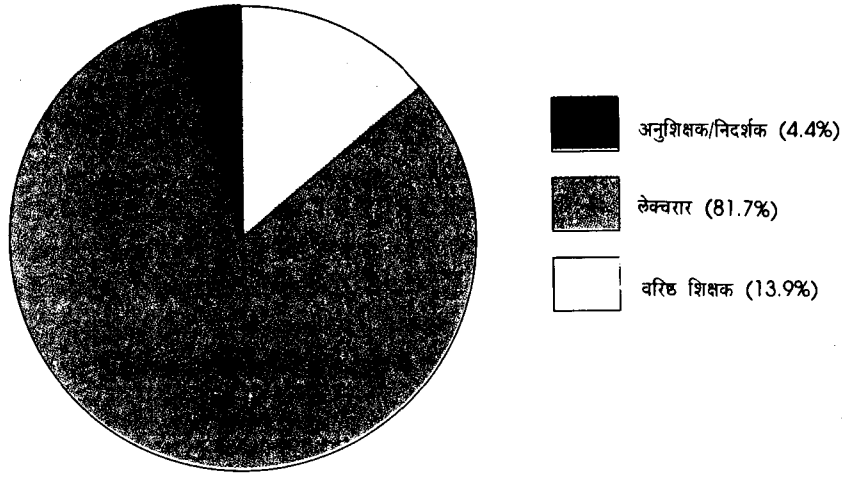

चित्र 2.8(ख) पद के अनुसार शिक्षण स्टाफ का वितरण : संबद्ध कालेज (1995-96)

अध्याय III

स्तरों का अनुरक्षण और समन्वय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 में व्यवस्था की गई है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श कर ऐसे सभी कदम उठाएगा जिन्हें वह विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन एवं समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों के अनुरक्षण के लिए उपयुक्त समझता है । समय-समय पर संसाधनों की कमी के बावजूद, आयोग ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है तथा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उच्च शिक्षा की संस्थाओं को निधियाँ उपलब्ध कराई हैं ताकि वे अपनी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा पाठ्यविवरणों में सुधार कर सकें, नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकें, परीक्षा में सुधार कर सकें, संकाय 'हायर' कर सकें, अनुसंधान को बढ़ावा दे सकें तथा अपने संकाय और प्रशासनिक स्टाफ के ज्ञान और कौशल को समुन्नत कर सकें । इन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों से संबद्ध योजनाओं/कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी जा रही है :

3.1 अकादमिक स्टाफ कालेज

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षण का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण एक आवश्यक तत्व समझा जाता है । नई शिक्षा नीति 1986 (संशोधित 1992) में भी अकादमिक स्टाफ कालेजों के माध्यम से शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के व्यापक कार्यक्रम पर जोर दिया गया है । शिक्षकों के वेतनमान की चतुर्थ वेतन समिति (मेहरोत्रा समिति 1985) ने विश्वविद्यालय और कालेज के शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है । 1986-87 में स्थापित किए गए अकादमिक स्टाफ कालेज इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं । अकादमिक स्टाफ कालेजों की संख्या 45 है । ये अकादमिक स्टाफ कालेज (ए.एस.सी.) नवीन तकनीकों से न केवल नए शिक्षकों के लिए चार सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं अपितु विभिन्न विद्या शाखाओं में सेवारत शिक्षकों के लिए 3-4 सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी चलाते हैं ताकि वे अपने ज्ञान को अद्यतन बना सकें ।

चूँकि ये अकादमिक स्टाफ कालेज सभी शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं पाते हैं अत: केवल पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए 57 विभागों को चुना गया है । इन विभागों ने शिक्षकों के उपयोगार्थ पठन-सामग्री तैयार की है । अकादमिक स्टाफ कालेज क्षेत्र के प्रिंसिपलों के लिए 2-3 दिन की संगोष्ठियों का भी आयोजन

करते हैं । अभिविन्यास और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने के वास्ते उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए इन संगोष्ठियों को बहुत उपयोगी पाया गया है । अकादमिक स्टाफ कालेज शिक्षकों को छात्रों की आशाओं एवं समझ के बारे में संवेदनशील बनाते हैं और उच्च शिक्षा के जिस क्षेत्र में वे कार्य कर रहे होते हैं उसकी अकादमिक जानकारी उनको उपलब्ध कराते हैं । अकादमिक स्टाफ कालेज शिक्षा प्रणाली में कार्य की गतिशीलता के विषय में अंतर्दृष्टि को विकसित करने में भी शिक्षकों की सहायता करते हैं । 31 मार्च, 1996 तक लगभग एक लाख शिक्षकों ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा 40,000 शिक्षकों ने अभिविन्यास कार्यक्रमों में भाग लिया ।

आलोच्य वर्ष के दौरान यह निर्णय लिया गया कि विद्यमान अकादमिक स्टाफ कालेजों की समीक्षा की जानी चाहिए । इस प्रयोग के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है और अकादमिक स्टाफ कालेजों से आवश्यक सूचना उपलब्ध की जा रही है ।

3.2 विशेष सहायता कार्यक्रम

विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, वि०अ०आ० उन विश्वविद्यालय विभागों को विज्ञान, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में चयन आधार पर अनुसंधान सहायता उपलब्ध करा रहा है जिन्होंने उच्चकोटि का अनुसंधान कार्य करने का वचन दिया है । ऐसी अनुसंधान सहायता विख्यात विद्या एवं शिक्षा केंद्रों को भी उपलब्ध कराई जाती है । यह सहायता आवश्यक पुस्तकें और पत्रिकाओं, भवन और उपस्कर के नवीकरण/उन्नयन, आवश्यक मानव संसाधनों के लिए तथा साथ ही शतप्रतिशत आधार पर आवर्ती व्यय हेतु पाँच वर्ष के लिए प्रदान की जाती है । 'सेप' के अंतर्गत निम्नलिखित तीन स्तरों पर सहायता प्रदान की जाती है :-

(i) उच्च अध्ययन केंद्र (केस);

(ii) विशेष सहायता विभाग (डी एस ए); और

(iii) विभागीय अनुसंधान सहायता (डी आर एस) ।

एक सारणी नीचे दी जा रही है जिसमें 1994-95 और 1995-96 के दौरान 'सेप' विभागों की संख्या दी गई है :-

सारणी 3.1

सेप विभाग

	मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग		विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभाग	
	1994-95	1995-96	1994-95	1995-96
उच्च अध्ययन केंद्र (केस)	16	16	41	40
विशेष सहायता विभाग (डी एस ए)	108	108	115	118
विभागीय अनुसंधान सहायता (डी आर एस)	47	45	84	77
जोड़	**171**	**169**	**240**	**235**

प्रत्येक स्तर पर विभागों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई क्योंकि निधियों की सख़्त कमी के कारण इस योजना को बंद करना पड़ा । अत: केवल वर्तमान विभागों का ही अनुरक्षण किया गया । वर्ष 1994-95 के दौरान इन विभागों की संख्या 411 थी जबकि वर्ष 1995-96 में इनकी संख्या 404 थी ।

इस कार्यक्रम के अधीन गणित तथा सांख्यिकी समेत विज्ञान विषयों के लिए सहायता की सीमा केस, डी एस ए और डी आर एस के लिए क्रमश: रु॰ 60 लाख, रु॰ 50 लाख और रु॰ 35 लाख है । मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए दी जाने वाली सहायता का स्तर उपर्युक्त सीमा का लगभग आधा है । लेकिन मानविकी और सामाजिक विज्ञान के ऐसे विभागों के लिए जिन्हें वैज्ञानिक उपस्कर तथा कंप्यूटर की आवश्यकता होती है इस सहायता को विज्ञान और इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी विभागों को दी जाने वाली सहायता सीमा के 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ।

उपर्युक्त किसी भी वर्ग के अंतर्गत जब किसी विभाग को सहायता के लिए चुना जाता है तो इसकी शैक्षिक उपलब्धियों की जाँच विषय से संबद्ध विशेषज्ञों द्वारा की जाती है और इसकी सिफारिशों को पूर्व-अनुमोदन के लिए वि॰अ॰आ॰ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । इसके पश्चात् एक विशेषज्ञ समिति या तो उस विभाग का निरीक्षण करती है

या संबद्ध विभाग के प्रतिनिधियों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष अपनी आवश्यकताएँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है । 'सेप' कार्यक्रम में नियमित तथा सतत परिवीक्षण की आंतरिक व्यवस्था है । अनुसंधान निष्पादन के आधार पर विभाग को उसी स्तर पर सहायता जारी रखी जाती है अथवा उसे अगले उच्च स्तर तक बढ़ा दिया जाता है या विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के आधार पर बंद कर दिया जाता हैं ।

इन योजनाओं के माध्यम से विभागों ने पर्याप्त आधार संरचनात्मक सुविधाएँ प्राप्त कर ली हैं । इसी की वजह से वे डी एस टी, सी एस आई आर, आई सी ए आर, डी ओ ई, एम एच आर डी आदि विभिन्न एजेंसियों से धन प्राप्त करने में तथा विदेशस्थ विख्यात वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों के साथ प्रभावी संपर्क बनाने में समर्थ हो सके हैं और इनमें से कुछेक इन केंद्रों के साथ सहयोगी अनुसंधान कर रहे हैं ।

आलोच्य वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा कर लेने वाले अनेक विभागों की समीक्षा की गई और (डी आर एस और डी एस ए से) उनके उन्नयन तथा जारी रखे जाने और बंद कर दिए जाने की बावत निर्णय की सूचना विश्वविद्यालयों को दी गई ।

3.3 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आधार-संरचना को सुदृढ़ बनाना (कोसिस्ट)

वि॰अ॰आ॰ चुनिंदा आधार पर विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों को अत्याधुनिक एवं कीमती उपस्कर प्राप्त करने के लिए सहायता देता है ताकि वे स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान के मुख्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनने में समर्थ हो सकें । ऐसे विभागों का चुनाव स्थायी समिति द्वारा निर्धारित कड़े मानकों के आधार पर किया जाता है । कोसिस्ट सहायता के लिए उन विभागों पर विचार किया जाता है जिन्होंने 'सेप' कार्यक्रम के अंतर्गत डी एस ए का कम से कम एक चरण पूरा कर लिया है और उनकी समीक्षा कर ली गई है । अंतिम चरण के लिए संबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञ दलों से परामर्श लिया जाता है । इस कार्यक्रम के अधीन एक बार निविष्टि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है ।

नियमित परिवीक्षण और मूल्यांकन इस योजना का अभिन्न अंग है । मूल्यांकन का विषय अनुसंधान की गुणवत्ता और मात्रा, प्रशिक्षण द्वारा वैज्ञानिक मानव संसाधन विकास, शिक्षण विधि में किए गए नवीन परिवर्तन, छात्रों का मूल्यांकन, पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाना और कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन में गतिरोध को दूर करना है ।

कोसिस्ट सहायताप्रदत्त विभागों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान गई है । इस विभाग के लिए आंतरिक प्रणाली के रूप में एक सलाहकार समिति का होना अनिवार्य है जो कार्यक्रम का वार्षिक परिवीक्षण करेगी । सलाहकार समिति में अन्य सदस्यों के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित बाहर के तीन विशेषज्ञ होने चाहिए । कोसिस्ट द्वारा सहायता प्रदत्त विभागों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है ।

चूँकि सहायता का अधिकांश भाग अत्याधुनिक उपस्कर प्राप्त करने के लिए दिया जाता है अत: इन विभागों को उन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए उपस्कर, उप-साधनों तथा उपकरणों के अतिरिक्त पुर्जों के लागत की 5 प्रतिशत तक निधियाँ उपलब्ध कराई जाती है । रख- रखाव के लिए सहायता तब ही प्रदान की जाती है जब काम दर ठेका आधार पर दिया जाता है । ग्रीष्मकालीन संस्थानों तथा विदेश स्थित विश्वविद्यालयों से छात्र-संलग्नता और सहयोग के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

वि०अ०आ० द्वारा सारे देश में कार्यक्रम के कराए गए मूल्यांकन से ज्ञात हुआ है कि इसने छात्रों और शिक्षकों दोनों ही में उत्साह और स्पर्धात्मक भावना पैदा की है । इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के जरिए विभागों द्वारा प्राप्त की गई आधार-सरंचनात्मक सुविधाओं के कारण न केवल भारत की अपितु विदेशों की निधीयन एजेंसियों से भी अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिबलियोमीट्रिक विश्लेषण के संबंध में, इन विभागों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन निरीक्षण समितियों तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, नई दिल्ली की सहायता से करता है ।

वर्ष 1995-96 के दौरान कोसिस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए दस नए विभागों का पता लगाया गया । इस प्रकार, 31.03.1996 को ऐसे विभागों की कुल संख्या 151 हो गई । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत नवीन और चालू गतिविधियों के लिए आयोग ने रु० 200 लाख का अनुदान प्रदान किया ।

3.4 प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन

पुनर्गठित पाठ्यक्रमों में आधार-पाठ्यक्रम, मूल पाठ्यक्रम और अनुप्रयोगपरक कार्यक्रम शामिल हैं । आधार-पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों में भारतीय इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, एशिया तथा अफ्रीका की संस्कृति और गांधीवादी विचारधारा का बोध कराना है । दूसरी ओर, मूल पाठ्यक्रम छात्रों की चुने हुए विषयों में अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करते हैं जिसमें एक या अधिक विषयों का गहन अध्ययन शामिल होता है । अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कार्यजगत का ज्ञान कराना है ।

ऐसे प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए यह सहायता पुस्तकें, पत्रिकाएँ तथा उपस्कर खरीदने के लिए और एक लेक्चरार तथा तकनीकी सहायक का वेतन देने के लिए कालेजों को पाँच साल की अवधि के लिए प्रदान की जाती है ताकि वे उनके द्वारा लागू किए गए संशोधित एवं पुनर्गठित पाठ्यक्रमों को संचालित कर सकें । वर्ष 1995-96 के दौरान 38 पुनर्गठित पाठ्यक्रमों के लिए रु० 26.52 लाख का अनुदान दिया गया । वर्ष 1994-95 के दौरान भी इतने ही कालेजों को अनुदान प्रदान किया गया था । इनमें से पाँच कालेजों ने वर्ष 1995-96 तथा वर्ष 1994-95 के दौरान अनुदान की माँग नहीं की । वर्ष 1994-95 से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लागू किए जाने के कारण वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के अधीन किसी नए पाठ्यक्रम का पुनर्गठन नहीं किया गया ।

3.5 विषय नामिकाएँ

वि०अ०आ० के पास विशेषज्ञों के पैनल हैं जो उसको विभिन्न विषयों में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने, विश्वविद्यालयों में उपलब्ध अनुसंधान और शिक्षण सुविधाओं की बाबत स्थिति रिपोर्ट तैयार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के उपायों तथा अन्य संगत मामलों में वि.अ.आ. को परामर्श देते हैं । इन नामिकाओं की सिफारिशें पाठ्यक्रमों को अद्यतन तथा आधुनिक बनाने में तथा शिक्षण और अनुसंधान में नवीन आयाम लागू करने में अति उपयोगी सिद्ध होती हैं । सम्प्रति, ऐसे 28 विषय हैं जिनके लिए नामिकाओं का गठन किया गया है । 1995-96 के दौरान 21 नामिकाओं की बैठकें आयोजित की गईं ।

3.6 देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम

दूरदर्शन ने वि०अ०आ० को सप्ताह में छह दिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक तथा सप्ताह में चार दिन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक उच्च शिक्षा से संबंधित अंग्रेजी के देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए समय प्रदान किया है । हिंदी में तैयार किए गए इसी प्रकार के कार्यक्रम जिन्हें "देशव्यापी कक्षा" कहा जाता है सप्ताह में तीन दिन आधे घंटे के लिए प्रातः 6.00 से 6.30 बजे तक प्रसारित किया जाता है । इस प्रकार इन कार्यक्रमों के आधार पर वि०अ०आ० उच्च शिक्षा को देश के दूरदराज क्षेत्रों तक ले जाने में समर्थ हो सका है । शिक्षा संचार समन्वित 17 मीडिया केंद्रों का संकाय इन कार्यक्रमों का अंतिम रूप से संपादन करता है और दूरदर्शन के साथ अन्योन्यक्रिया करता है ।

इलेक्ट्रान प्रोब माइक्रो विश्लेषक, भूविज्ञान विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय (कोसिस्ट कार्यक्रम)

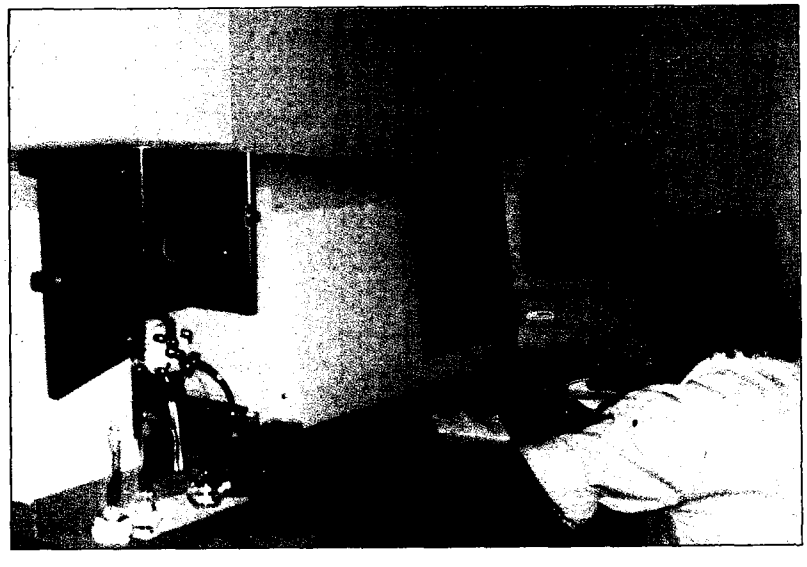

परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रममापी (माडल : 3300, पर्किन एल्मेर, यू.एस.ए), भूविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय (कोसिस्ट कार्यक्रम)

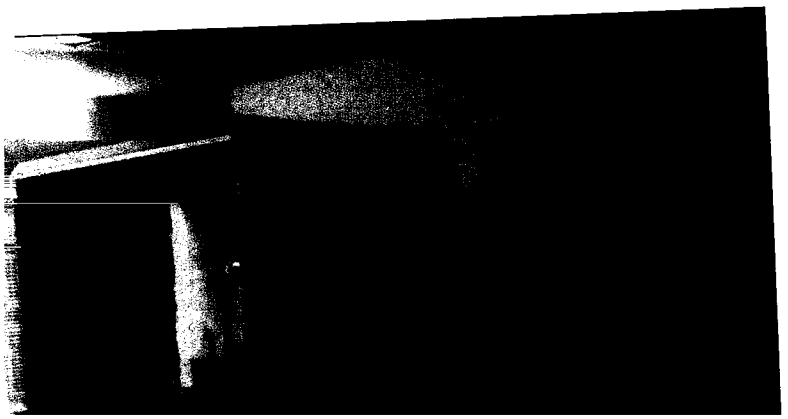

एक्स-रे एकल क्रिस्टल डिफ्रैक्टोमीटर, रसायन विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय (कोसिस्ट कार्यक्रम)

इम्पल्स जेनरेटर (उच्च वोल्टता प्रयोगशाला), विद्युत इंजीनियरी विभाग
जादवपुर विश्वविद्यालय, डी.एस.ए. (सैप) कार्यक्रम

BRARY & DOCUMENTATI
ational Institute of Educational
anning and Administration.
Sri Aurobindo Marg,
ew Delhi-110016
DOC, No D-9602
te ....

ट्रांसमीशन इलैक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी, प्राणि विज्ञान विभाग,
पूना विश्वविद्यालय, (कोसिस्ट कार्यक्रम)

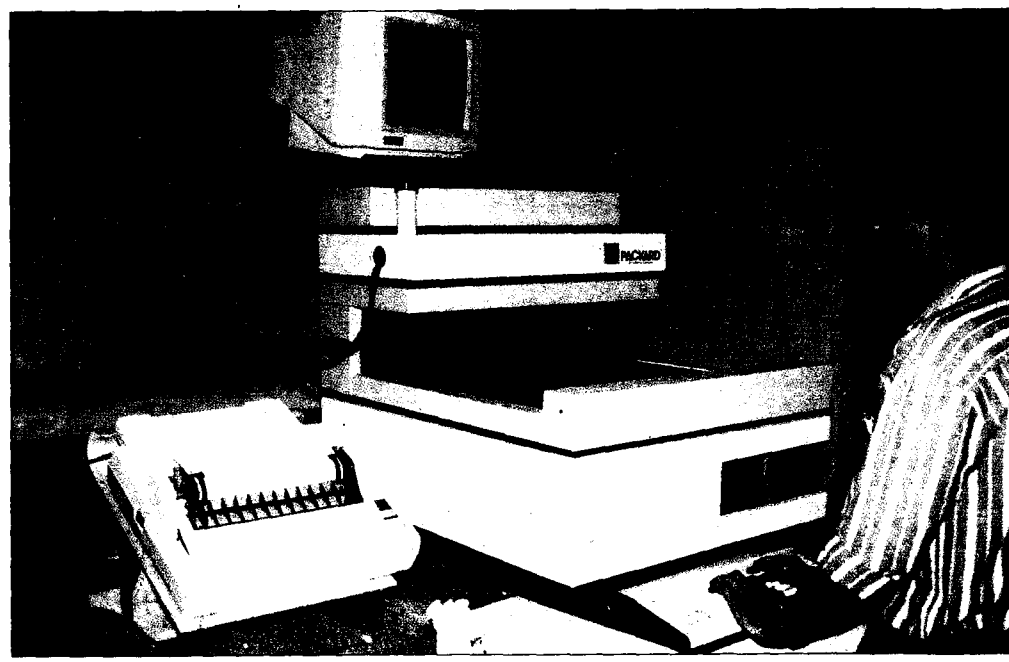

गामा-काउन्टर-कोब्रा (पैकार्ड), जैवरसायन विभाग,
एम. एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा (सैप कार्यक्रम)

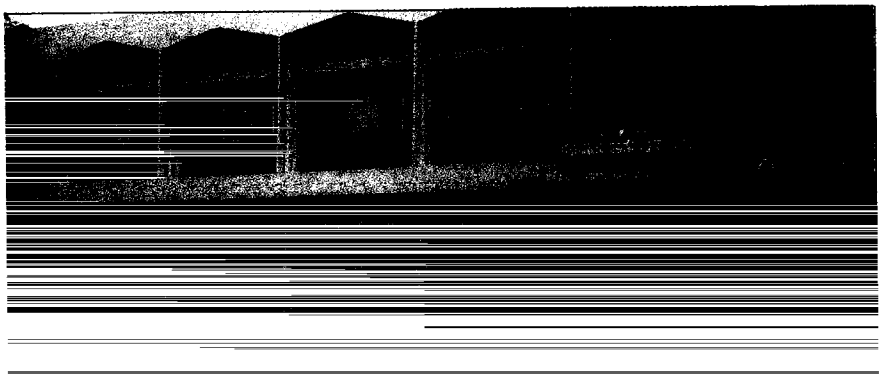

दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केन्द्र, मैसूर विश्वविद्यालय

जोदपुर में इ.एम.आर.सी. स्टूडियो में कार्यरत इ.एम.आर.सी. टीम

जो शैक्षिक कार्यक्रम दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं वे मुख्यत: देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थाओं में स्थित मीडिया केंद्रों में तैयार किए जाते हैं । इन केंद्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शतप्रतिशत आधार पर निधियाँ प्रदान की जाती हैं । सम्प्रति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित किए गए ऐसे 17 मीडिया केंद्र हैं जिनमें से 7 शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र तथा 10 दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र हैं ।

शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र (ई एम आर सी) तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र (ए वी आर सी) वाली संस्थाओं की सूची नीचे दी गई है :-

शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र (ई एम आर सी)

1. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ।
2. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे ।
3. केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद ।
4. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ।
5. सेंट ज़ेवियर कालेज, कलकत्ता ।
6. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
7. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै ।

दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र (ए वी आर सी)

1. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।
2. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की ।
3. अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास ।
4. मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल ।
5. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर ।
6. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ।
7. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर ।

8. डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर ।
9. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।
10. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट ।

01.04.95 से 31.03.96 तक की अवधि के दौरान विभिन्न मीडिया केंद्रों ने कुल 659 कार्यक्रम तैयार किए । सम्प्रति, दूरदर्शन पर प्रसारित 85 प्रतिशत कार्यक्रम देश में ही तैयार किए जाते हैं ।

3.7 गैर-प्रसारणीय वीडियो व्याख्यान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व-स्नातक छात्रों के लिए चुनिंदा विषयों में पाठ्यविवरण आधारित गैर-प्रसारणीय वीडियो व्याख्यान टेप तैयार करने की योजना शुरू की है । 31.03.1996 को आठ विषयों में वीडियो व्याख्यान पूरे किए जा चुके थे । शिक्षा संचार संकाय ने कार्यक्रम पैकेज कर दिए हैं और वह 'एजूकेशनल इंटरनेशनल' के जरिए उनकी बिक्री के लिए जिम्मेदार है ।

3.8 शैक्षिक अंतर्राष्ट्रीय 'एजूकेशनल इंटरनेशनल' परियोजना

आलोच्य वर्ष के दौरान शैक्षिक अंतर्राष्ट्रीय (एजूकेशनल इंटरनेशनल) नामक एक नई परियोजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य आर्थिक शर्तों पर विदेश में भारतीय शैक्षिक सामग्री का संवर्धन एवं प्रसार करना था । इस परियोजना का कार्यान्वयन शैक्षिक संकाय, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा । अन्य एजेंसियाँ जो इस परियोजना के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमत हो गई हैं, - ये हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय ओपन स्कूल तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

3.9 विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्र (यूसिक)

शिक्षण एवं अनुसंधान में अत्याधुनिक यंत्रों के इष्टतम प्रयोग के लिए वि॰अ॰आ॰ ने यूसिकों की स्थापना द्वारा "सामान्य पूल" की संकल्पना का सूत्रपात किया है । इन केंद्रों का उद्देश्य विश्वविद्यालय के लिए यंत्रीकरण के सभी पहलुओं का ध्यान रखना है जिनमें यंत्रों का रख-रखाव और मरम्मत तथा विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधनों का प्रशिक्षण शामिल है ।

वि०अ०आ० स्टाफ के वेतन, उपस्कर, कार्यशाला, आकस्मिकता और भवन के लिए शतप्रतिशत वित्तीय सहायता देता है ।

31.03.1996 को 'यूसिकों' के अनुरक्षण के लिए 75 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई । इस संख्या में यूसिकों की सहायता के लिए दो प्रादेशिक केंद्र भी शामिल हैं - एक भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और दूसरा पश्चिमी प्रादेशिक यंत्रीकरण केंद्र, बंबई है । वर्ष 1995-96 के दौरान निधियों की कमी के कारण कोई भी नया विश्वविद्यालय नहीं जोड़ा गया ।

3.10 प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में संशोधित) के अनुसार वर्ष 1994-95 में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक योजना शुरू की । प्रारंभ में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 209 संस्थाओं (19 विश्वविद्यालय और 190 कालेज) को सहायता प्रदान की गई । ये संस्थाएँ मूल समिति द्वारा अभिज्ञात 35 विषयों में एक से लेकर तीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर सकीं । वर्ष 1995-96 के दौरान व्यावसायिक विषय शुरू करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अन्य 198 संस्थाओं (7 विश्वविद्यालय तथा 191 कालेज) का पता लगाया गया । इस संबंध में वर्ष 1995-96 के लिए कुल रु०1740.50 लाख (आवर्ती तथा अनावर्ती) तथा अगले चार वर्षों के लिए प्रति वर्ष रु० 416 लाख की वित्तीय वचनबद्धता थी । आलोच्य वर्ष के दौरान शिक्षकों को अपनी-अपनी संस्थाओं में उन व्यावसायिक विषय (विषयों) के शिक्षण के लिए तैयार करने के लिए, जो उनकी मूल संस्थाओं में पढ़ाए जा रहे थे, दो से तीन सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, शिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान तैयार की गई पठन- सामग्री भी उपलब्ध कराई गई । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक व्यावसायिक विषय पर एक दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों से संस्थाओं के शिक्षकों और प्रिंसिपलों को अन्योन्यक्रिया तथा परस्पर अनुभवों के आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पाठ्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली ढंग से संचालित करने में मदद मिली ।

व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति (स्कोवे) ने अपने सदस्यों में से परिवीक्षण समूहों का गठन किया और उन संस्थाओं का परिवीक्षण कराया जिन्होंने व्यावसायिक विषय शुरू किए थे । उनकी रिपोर्टों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित मुख्य मुद्दे तथा प्रेक्षण प्राप्त हुए । स्थायी समिति का पुनर्गठन दिसम्बर, 1995 में किया गया ।

1. नियोजनीयता तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के प्रति निर्देश सहित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है ।

2. केंद्रीय सहायता के बंद हो जाने के बाद राज्य सरकारों ने स्टाफ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना को जारी रखने के विषय में कुछ शर्तें रखी हैं ।

3. प्रारंभ में उद्योग ने संस्थाओं के साथ संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में हिचक की लेकिन बाद में वह विधिक अपेक्षाओं के बिना छात्रों को स्वीकार करने के लिए राजी हो गया ।

उपर्युक्त प्रेक्षणों पर 'स्कोवे' विचार कर रहा है ताकि वह सुधारक उपाय सुझा सके ।

3.11 परीक्षा सुधार

वि०अ०आ० परीक्षा सुधार के विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देता रहा है । इनमें सतत आंतरिक मूल्यांकन, प्रश्न बैंकों का विकास, ग्रेडिंग पद्धति, सेमेस्टर प्रणाली तथा पाठ्य-विवरण, प्रश्न-पत्र तथा परीक्षा लेने से संबंधित कुछ न्यूनतम सुधार शामिल हैं । परीक्षा सुधार योजना का कार्यान्वयन संशोधित मार्गनिर्देशों के आधार पर किया जा रहा है जो विश्वविद्यालयों को गत वर्ष परिचालित किए गए थे ।

० ० ० ० ०

अध्याय IV

विश्वविद्यालयों को योजनागत और योजनेतर वित्तीय सहायता

4.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालय

वि०अ०आ० द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता तथा विश्वविद्यालयों का प्रकार निम्नलिखित है :-

(i) **केंद्रीय विश्वविद्यालय** : इस वर्ग में 10 विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान और 13 विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान किया जाता है । तीन विश्वविद्यालयों अर्थात् असम, तेजपुर तथा डॉ० बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को केवल योजनागत अनुदान प्रदान किया जाता है क्योंकि उनकी स्थापना इस योजना अवधि के दौरान की गई थी । वे योजना के अंतर्गत अनुरक्षण तथा पूंजीगत व्यय प्राप्त करते हैं ।

(ii) **राज्य विश्वविद्यालय** : 103 राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान दिया जाता है ।

(iii) **समविश्वविद्यालय** : इस वर्ग में 10 संस्थाओं को पूर्ण अनुरक्षण अनुदान तथा 2 संस्थाओं को आंशिक अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है जबकि 19 संस्थाओं को विकास अनुदान दिया जाता है ।

4.2 राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान

आयोग ने वर्ष 1991 के दौरान विशेषज्ञ समितियों की सिफारिश के आधार पर राज्य विश्वविद्यालयों के लिए आठवीं योजना के विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया । वर्ष 1995-96 के दौरान आयोग ने कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर आठवीं योजना अवधि के लिए अपनी समस्त वचनबद्धता के भाग के रूप में राज्य विश्वविद्यालयों को कुल रु० 76.01 करोड़ का विकास अनुदान दिया ।

4.3 केंद्रीय विश्वविद्यालय

योजनेतर अनुदान शिक्षणेतर और शिक्षण स्टाफ के वेतन और प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और भवनों के अनुरक्षणार्थ आवर्ती व्यय पूरा करने के लिए दिया जाता है । अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भी योजनेतर सहायता प्रदान की जाती है जिनमें मीडिया केंद्रों/कालेजों/इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के संकायों के लिए अनुदान शामिल हैं ।

वर्ष 1995-96 के दौरान 10 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का अनुरक्षण व्यय पूरा करने के लिए रु० 287.42 करोड़ की राशि जारी की गई । केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व्यय में विगत पाँच वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है ।

योजनागत अनुदान : वि०अ०आ० केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मेडिकल कालेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों तथा दिल्ली कालेजों के विकासार्थ योजना के अंतर्गत अलग से राशि आबंटित करता है ।

वर्ष 1995-96 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को रु० 7811.34 लाख के योजनागत अनुदान प्रदान किए गए । इसमें चार नए स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय - असम, तेजपुर, नागालैंड और डॉ० बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर के लिए जारी की गई रु० 1175.59 लाख की राशि शामिल है ।

सारणी 4.1

वर्ष 1995-96 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दी गई योजनागत और योजनेतर सहायता

(रु० लाख में)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	योजनेतर अनुदान	योजनागत अनुदान (विकास)
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	7185.96	547.83
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	7761.46	3847.45*
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	4323.31	587.22
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1243.14	306.02
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1388.39	248.82
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	2532.98	278.13
7.	उत्तरपूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	1537.03	248.78
8.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	482.97	301.41
9.	विश्व भारती	1880.74	270.09
10.	असम विश्वविद्यालय	–	544.07
11.	तेजपुर विश्वविद्यालय	–	269.52
12.	नागालैंड विश्वविद्यालय	406.25	262.00
13.	डॉ० बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	–	100.00
	जोड़	**28742.23**	**7811.34 ***

* इसमें रु० 32.10 करोड़ की राशि शामिल है जो अत्याधुनिक चिकित्सा उपस्कर के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दी गई थी ।

वर्ष 1995-96 के दौरान योजना के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मेडिकल कालेजों को निम्नलिखित अनुदान भी प्रदान किए गए :-

सारणी 4.2

क्रम सं.	कालेज	प्रदत्त अनुदान (रु० लाख में)
1.	आयुर्विज्ञान का विश्वविद्यालय कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	16.59
2.	आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	3213.00*
3.	जे० एन० मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	64.28
	जोड़	**3293.87***

* इसमें रु० 32.10 करोड़ की राशि शामिल है जो अत्याधुनिक चिकित्सा उपस्कर के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दी गई थी ।

4.4 समविश्वविद्यालय संस्थाएँ

वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 3 में यह व्यवस्था की गई है कि विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि कोई उच्च शिक्षा संस्था किसी विशिष्ट क्षेत्र में अति उच्चस्तरीय कार्य कर रही है तो उसे समविश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है । ऐसी संस्था को एक विश्वविद्यालय का शैक्षिक दर्जा एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह सामान्य प्रकार का बहु-संकाय वाला विश्वविद्यालय न होकर अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में गतिविधियों को सुदृढ़ कर सकेगा ।

वर्ष 1995-96 के दौरान निम्नलिखित संस्था को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया :-

1. इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, बंबई (महाराष्ट्र) ।

वर्ष 1995-96 के दौरान वि०अ०आ० ने समविश्वविद्यालय संस्थाओं को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किए :-

सारणी 4.3

समविश्वविद्यालयों को अनुदान - 1995-96

(रु० लाख में)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	योजनेतर	योजनागत
1	2	3	4
1.	अविनाशीलिंगम् गृहविज्ञान संस्थान	170.84	52.15
2.	बनस्थली विद्यापीठ	100.11	38.02
3.	सी आई ई एफ एल, हैदराबाद	380.09	43.45
4.	सी आई एच टी अध्ययन	-	0.60
5.	दयालबाग शिक्षा संस्थान	120.23	48.17
6.	बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान	12.92	44.26
7.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	294.39	91.59
8.	गुजरात विद्यापीठ	269.41	85.33
9.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	183.29	37.57
10.	भारतीय खान स्कूल, धनबाद	757.56	62.66
11.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	50.69	194.37
12.	जामिया हमदर्द	334.09	38.64
13.	राजस्थान विद्यापीठ	-	20.65
14.	श्री सत्य साईं उच्च शिक्षा संस्थान	-	29.97
15.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	-	8.20
16.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई	297.19	156.34

1	2	3	4
17.	जैन विश्वभारती	0.38	44.10
18.	लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ	142.37	67.88
19.	डकन कालेज स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थान, पुणे	3.97	15.00
20.	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय, कांचीपुरम्	7.00	15.00
21.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	88.18	47.99
22.	योजना और वास्तुकला विद्यालय	–	–
23.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	52.46	25.00
24.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली	2.54	–
25.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज़ातनगर	–	–
26.	कला संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय	3.58	0.65
27.	थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	22.35	56.67
28.	गोखले राजनीति तथा अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	–	11.15
29.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	0.35	–
30.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	3.22	–
31.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायुविज्ञान संस्थान, बंगलौर	4.50	0.21
32.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	0.40	–
	जोड़	**3302.09**	**1235.62**

4.5 वर्ष के दौरान समविश्वविद्यालय संस्थाओं की मुख्य उपलब्धियाँ

(i) महिलाओं के लिए गृह-विज्ञान तथा उच्च शिक्षा का अविनाशीलिंगम् संस्थान, कोयम्बत्तूर

वर्ष के दौरान संस्थान की गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है :-

1) वर्ष के दौरान पूर्व-स्नातक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी तथा फैशन डिज़ाइन और स्नातकोत्तर स्तर पर अनुप्रयुक्त विज्ञान के पाठ्यक्रम शुरू किए गए ।

2) आलोच्य वर्ष के दौरान 41 छात्रों ने एम०फिल० पाठ्यक्रम और 7 शिक्षकों ने पीएच०डी० पूरी की ।

3) अनुसंधान लेख प्रस्तुत करने के लिए पाँच संकाय सदस्य विदेश गए ।

4) रु० 4.45 लाख की लागत पर एक बृहत् अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी गई जिसका नाम था - '*ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ शौचालयों के द्वारा सुरक्षित पर्यावरण का सृजन करना*' । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रु० 3.82 लाख की लागत पर एक और परियोजना को मंजूरी दी जिसका नाम था - 'सामान्य भारतीय नुस्खों के पोषक मूल्य पर डाटाबेस का विकास तथा अस्पताल के आहार विभागों एवं गृह-स्थिति में प्रयोगार्थ रोग प्रबंध में डाइट किटों का निर्माण' ।

5) वर्ष के दौरान दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए गए ।

6) संस्थान ने पंचायती राज के लिए ग्रामीण महिलाओं के हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया ।

7) गैर-औपचारिक शिक्षकों के लिए एक तीन दिवसीय कार्यशाला-व-अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इसका प्रायोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था ।

8) सत्कार तथा पर्यटन प्रबंध में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

9) जिन संस्थानों में, खाद्य-विज्ञान तथा गुणवत्ता नियंत्रण तथा नैदानिक पोषण एवं आहार विज्ञान जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं उन संस्थानों के प्रिंसिपलों तथा विभागाध्यक्षों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

10) एक संकाय सदस्य ने मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया तथा संकाय सदस्यों ने भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लिया ।

(ii) बनस्थली विद्यापीठ

1. शिक्षण तथा अनुसंधान का अंतर-विद्याशाखा कार्यक्रम : वर्ष के दौरान सामाजिक विज्ञान तथा अंग्रेजी में एम०फिल० शुरू किया गया ।

2. अकादमिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं आदि में संकाय सदस्यों द्वारा भाग लेना : 13 संकाय सदस्यों ने अनेक सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया ।

3. उच्चस्तरीय पत्रिकाओं में शिक्षकों द्वारा प्रकाशित लेख/निबंध तथा प्रकाशित मोनोग्राफ/पुस्तकें : उच्चस्तरीय पत्रिकाओं, मोनोग्राफों/पुस्तकों में शिक्षकों द्वारा सात निबंध/लेख प्रकाशित किए गए ।

4. ***पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन :***

   क. *पूर्व-स्नातक शिक्षा :* विद्यापीठ ने पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों का पूर्णतः पुनर्गठन किया जिसका उद्देश्य इस प्रकार था :

   (क) छात्रों को भारतीय विरासतमूलक आधुनिक उदार शिक्षा के लिए प्रशिक्षित करना ।

   (ख) छात्रों को समाज का सृजनशील सदस्य बनने के लिए प्रशिक्षित करना ।

   (ग) उच्च अकादमिक कार्य के लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराना ।

   ख. *स्नातकोत्तर शिक्षा :* इस स्तर पर नए तथा उदीयमान क्षेत्रों में मास्टर पाठ्यक्रम प्रदान करने पर जोर दिया जाता है ।

5. ***विद्यापीठ के शैक्षिक कार्यक्रमों की विशेषताएँ :***

   - पाठ्यचर्या पुनरीक्षण ।
   - सामान्य शिक्षा, स्नातक स्तर पर व्यावसायिक प्रकार का संघटक ।

- अध्ययन क्षेत्रों का विविधीकरण ।
- अकादमिक विकल्पों में नम्यता ।
- अध्ययन में अंतर-विषयक परिप्रेक्ष्य ।
- परीक्षा सुधार ।
- हिंदी में अध्ययन तथा संदर्भ सामग्री ।

6. ***स्तरों में सुधार करने के उपाय :***

लिखित परीक्षा को छोड़कर अन्य साधनों को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है ।

7. ***परीक्षा-सुधार के उपाय :***

(i) विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्य-विवरण को यूनिटों में विभाजित किया गया है और उसको महत्व दिया गया है ।

(ii) परीक्षकों को गत परीक्षाओं में सेट किए गए प्रश्नों की पुनरावृत्ति करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

(iii) सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक परीक्षाओं में 20 प्रतिशत सतत निर्धारण ।

(iv) परीक्षा में शामिल होने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक कक्षाओं में 70 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है ।

8. ***सामुदायिक सेवाएँ तथा विस्तार कार्यक्रम :***

राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा एन एस एस कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

(iii) केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाएँ संस्थान

फिलहाल, संस्थान में 15 विभाग, दो क्षेत्रीय केंद्र तथा एक शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र है । इन विभागों में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, अरबी, स्पेनिश तथा जापानी भाषा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं । इस संस्थान में अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं में विभिन्न स्तरों पर प्रारंभिक प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं ।

संस्थान ने वर्ष 1995-96 के दौरान अंग्रेजी, दूरस्थ शिक्षा, भाषा विज्ञान, सम्प्रेषणात्मक अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन तथा रूसी में वि०अ०आ० के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए ।

संस्थान ने शिक्षकों तथा बड़े उद्योग घरानों में काम करने वाले व्यापार प्रबंधाधिकारियों के लिए अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया ताकि अतिरिक्त संसाधनों का सृजन किया जा सके और समाज की जरूरतों को पूरा किया जा सके ।

संस्थान ने विदेशी छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम आयोजित किए ।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संपूर्ण देश में 22 जिला स्तरीय केंद्र स्थापित किए गए ।

पाँच पुस्तकों - इंगलिश 150 (एन्रिच योर इंगलिश) का कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया गया है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले उन छात्रों की जरूरतों को पूरा करना है जिन्होंने माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी-आधारित शिक्षा प्राप्त नहीं की है ।

संस्थान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अंग्रेजी पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के परिवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए एक व्यापक अध्ययन कार्यक्रम शुरू किया है ।

ई एम आर सी द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की कुल संख्या : 62

आर टी वी विभाग द्वारा तैयार/प्रसारित किए गए कार्यक्रमों की कुल संख्या : 177

(iv) केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ

केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी की स्थापना तिब्बती अध्ययन की प्रमुख संस्था के रूप में संत दलाई लामा के परामर्श से भारत सरकार ने 1967 में की थी । इस संस्थान में कम्प्यूटर से सुसज्जित पुस्तकालय है, पीएच०डी० के स्कालर इसका लाभ उठाते हैं, और इसमें मूल रचनाएँ, संगोष्ठी संबंधी सामग्री, दुर्लभ मूलपाठ उपलब्ध हैं तथा दुर्लभ बौद्ध मूलपाठ अनुसंधान परियोजनाओं पर एक छमाही जर्नल निकाला जाता है ।

उद्देश्य :

1. तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा का परिरक्षण,
2. तिब्बती भाषा में परिरक्षित ऐसे भारतीय प्राचीन विज्ञान तथा साहित्य का पुनरुद्धार जिसका मूल पाठ नष्ट हो चुका है,
3. भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों के उन छात्रों को वैकल्पिक शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना जिन्हें पहले तिब्बत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त था, तथा
4. तिब्बती अध्ययनों में डिग्रियाँ प्रदान किए जाने की व्यवस्था सहित आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पारंपरिक विषयों में शिक्षण एवं अनुसंधान क्षेत्र का लाभ प्राप्त करना ।

संस्थान तीन वर्गों अर्थात् मध्यमा (पूर्व-स्नातक), शास्त्री (स्नातक) तथा आचार्य (स्नातकोत्तर) के अंतर्गत तिब्बती अध्ययनों में 9 वर्ष के पाठ्यक्रम संचालित करता है ।

संस्थान के निम्नलिखित मुख्य अनुसंधान एकक एवं परियोजनाएँ हैं :-

(i) पुनरुद्धार एकक

(ii) अनुवाद एकक

(iii) प्रकाशन एकक

(iv) कोश एकक

(v) दुर्लभ बौद्ध मूल पाठ परियोजना

संस्थान ने तिब्बती कला एवं पुरावस्तु संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ।

(v) डकन कालेज पी०जी० तथा अनुसंधान संस्थान

आलोच्य वर्ष के दौरान कालेज की मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार थीं :-

1. इसने पुरातत्व विज्ञान में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए ।
2. सम्मेलनों, संगोष्ठियों, परिचर्या आदि में 26 शिक्षकों ने भाग लिया ।
3. संग्रहालय विज्ञान में एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया ।

4. दिसम्बर, 1995 में एस पी एम स्कूल के ग्राउंड में प्राचीन भारत में कृषि जीवनशैली पर एक प्रदर्शनी (किसान, 1995) आयोजित की गई ।

5. पुरातत्व संग्रहालय ने अन्य संग्रहालयों से सहयोग किया और स्कूल तथा कालेज छात्रों के लिए संग्रहालय के दिशा निर्देशित दौरे आयोजित किए ।

6. संस्थान में व्याख्यान देने के लिए विदेशी स्कालरों को आमंत्रित किया गया ।

(vi) गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान

वर्ष के दौरान संस्थान में निम्नलिखित गतिविधियां संपन्न की गईं :-

1. शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम :

   (i) एम॰ सी॰ ए॰ ।

   (ii) महात्मा गांधी तथा जनसंख्या शिक्षा के रचनात्मक कार्यक्रम में अंशकालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम ।

2. शिक्षण तथा अनुसंधान का अंतरविषयक कार्यक्रम :

   सामान्यतः सभी पाठ्यक्रम अंतर-विषयक होते हैं यथा - ग्राम उद्योग तथा प्रबंध, ग्राम विकास, भविष्य विज्ञान, गृह-विज्ञान, विस्तार, बी॰एससी॰ ग्रामीण प्रौद्योगिकी आदि ।

3. आलोच्य वर्ष के दौरान भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संकाय सदस्यों ने 46 सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया ।

4. आलोच्य वर्ष के दौरान 45 लेख/निबंध/पत्रिकाएँ प्रकाशित की गईं ।

5. समाज के साथ अन्योन्यक्रिया :

   यह एक निराला संस्थान है जहाँ तीसरे आयाम अर्थात् विस्तार को मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है । अधिसंख्य छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के हैं । विभिन्न संगठित क्षेत्र यथा - इडारा, कुक, एक्सिस, शांति सेना समाज एवं पड़ोसी ग्रामों के साथ अन्योन्यक्रिया कर रहे

हैं । इसके लिए वे ग्रामीण लोगों, विशेषकर महिलाओं तथा अशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं ।

6. सामुदायिक सेवाएँ तथा विस्तार कार्यक्रम :

ग्रामों में उद्यम विकास के लिए सतत सेवा तथा मार्गदर्शन तथा सूचना-प्रबंध और ग्रामीण प्रौद्योगिकी में एक दर्जन स्वैच्छिक एजेंसियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया । पड़ोसी ग्रामों के लिए कुछ विशेष विस्तार कार्यकलाप आयोजित किए गए ।

7. तीन नवाचार पाठ्यक्रम भी संचालित किए गए ।

8. उपलब्धियाँ :

भौतिकी विभागों में तकनीकी मार्गदर्शन तथा चूल्हा संस्थापित करने को गाँवों में लोकप्रिय बनाया गया है ।

विस्तार शिक्षा विभाग में, तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में 'पॉन' कृषि के ग्रामीण प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू कर दिया गया है ।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र ने राष्ट्रीय मंच पर कम लागत के घरों की तकनीकों में काफी प्रगति की है ।

9. छठा वार्षिक दीक्षांत समारोह तथा सातवां वार्षिक दीक्षांत समारोह क्रमशः 9-5-1995 और 25-11-1995 को आयोजित किया गया ।

10. खाद्य विज्ञान की सोया अनुसंधान टीम और पोषण विभाग ने मदुरै में आयोजित खाद्य मेला प्रदर्शनी में भाग लिया और द्वितीय पुरस्कार जीता । विभाग ने फरवरी, 1996 में मदुरै में आयोजित 12वीं आदर्श गृह प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार जीता ।

(vii) गोखले राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे

आलोच्य वर्ष के दौरान इस संस्थान की गतिविधियाँ इस प्रकार थीं :-

1. संकाय सदस्यों द्वारा शैक्षिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया जाना : संस्थान के 12 संकाय सदस्यों ने 37 सम्मेलनों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि में भाग लिया ।

2. उच्च स्तरीय पत्रिकाओं में शिक्षकों द्वारा प्रकाशित लेख/निबंध तथा प्रकाशित किए गए मोनोग्राफ/पुस्तकें : वर्ष के दौरान संस्थान के संकाय सदस्यों ने 15 अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी कीं तथा 37 शोध लेख प्रकाशित किए ।

3. पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया : एम०ए० कार्यक्रमों के कुछ पाठ्यक्रमों के लिए संशोधित पाठ्यविवरण संचालित किया जा रहा है ।

(viii) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप सम्पन्न किए गए :

1. शुरू किए गए पाठ्यक्रम :

   पूर्व-स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी में एम०एससी० पर्यावरण विज्ञान तथा व्यावसायिक विषय शुरू किए गए हैं ।

2. शैक्षिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में संकाय सदस्यों द्वारा भाग लिया जाना : संकाय सदस्यों ने विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/राज्य स्तर के सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लिया ।

3. उच्चस्तरीय पत्रिकाओं में शिक्षकों द्वारा प्रकाशित लेख/निबंध तथा प्रकाशित मोनोग्राफ/पुस्तकें : शिक्षकों ने राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं/मैग्ज़ीनों में विज्ञान तथा मानविकी विषयों पर अनेक अनुसंधान लेख/निबंध प्रकाशित किए ।

4. शुरू किए गए पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन : निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को संशोधित/पुनर्गठित किया गया और 1995-96(पे) से लागू किया गया - बी०एससी०, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन-एम०एससी० रसायन और गणित ।

5. समाज तथा पड़ोस के साथ अन्योन्यक्रिया : इस विश्वविद्यालय के प्रौढ़ एवं अनुवर्ती शिक्षा विभाग ने पिछड़े तथा अल्प आय वर्ग की रहन-सहन की स्थितियों में सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है ।

6. अन्य नवाचार पाठ्यक्रम :

प्रौढ़ एवं अनुवर्ती शिक्षा विभाग समुदाय सेवाओं यथा - जनसंख्या शिक्षा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता आदि के संबंध में सूचना उपलब्ध करा रहा है ।

(ix) भारतीय खान स्कूल, धनबाद

1. शिक्षण तथा अनुसंधान के अंतर-विषयक कार्यक्रम :

पेट्रोलियम खोज पर एक अंतर-विषयक एम०टेक कार्यक्रम का संचालन अनुप्रयुक्त भूविज्ञान तथा अनुप्रयुक्त भू-भौतिकी (तीसरा सेमेस्टर) विभागों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया ।

अंतर-विद्याशाखा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या तीन है ।

2. शैक्षिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि में संकाय सदस्यों द्वारा भाग लिया जाना :

78 संकाय सदस्यों ने शैक्षिक सम्मेलनों आदि में भाग लिया ।

सरकारी कार्य में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए स्टाफ को उनके ही संकाय द्वारा विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

3. संस्थान वृक्षारोपण कार्यक्रमों आदि से संबंधित धनबाद विकास फोरम से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है ।

(x) जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं (राजस्थान)

1. लागू किया गया नया पाठ्यक्रम :

कम्प्यूटर विज्ञान में तीन-मासी प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया ।

2. परीक्षा सुधार :

आलोच्य वर्ष के दौरान कुल अंकों के 1/3 महत्व सहित आंतरिक निर्धारण पद्धति लागू की गई । थ्यौरी प्रश्न-पत्रों का मूल्यांकन मुख्यत: बाहरी परीक्षकों द्वारा किया जाता है । मानव के व्यवहार-परिवर्तन पर ध्यान और योग के प्रभावों का मापन करने के लिए शरीरक्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया गया ।

3. वर्ष के दौरान संकाय ने अनेक अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू कीं और विज्ञान, शिक्षा तथा आध्यात्मिकता पर एकाधिक परियोजनाएँ पूरी की गईं ।

4. आयोजित की गईं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ/सम्मेलन :

   (क) "भारतीय चिंतन परम्परा में कर्मवाद का सिद्धांत" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी ।

   (ख) "शांति एवं अहिंसक कार्य : प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवनयापन करना" पर 17 से 21 दिसंबर, 1995 तक तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ।

   (ग) "मूल्य शिक्षा : शिक्षण कार्य में नैतिक मूल्यों का पुनः प्रवर्तन" पर 11 से 13 फरवरी, 1996 तक विश्वविद्यालय शिक्षकों की राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ ।

   (घ) "मूल्य शिक्षा पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम" पर 4 शिविर आयोजित किए गए जिसमें 130 शिक्षकों ने भाग लिया ।

5. अन्य उपलब्धियाँ : संस्थान ने अकादमिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए सहायता के रूप में लगभग रु॰ 1.75 करोड़ का दान प्राप्त किया ।

6. कमजोर वर्गों के लिए सुविधाएँ :

   अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं को न्यूनतम पात्रता में 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

(xi) जामिया हमदर्द

जामिया हमदर्द रोजगारप्रधान शिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करता है । वर्ष के दौरान कोई नया पाठ्यक्रम लागू नहीं किया गया । लेकिन, फार्मेसी छात्रों के लिए कम्प्यूटर अनुप्रयोग का शिक्षण शुरू किया गया ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा रैनबक्शी क्लीनिकल फार्मोकोलाजी यूनिट के साथ सहयोगी अनुसंधान कार्य शुरू किया है । भारत की विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनेक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए निधियाँ प्रदान की जा रही है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान छह संकाय सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि में भाग लिया और चार सदस्यों ने राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि में भाग लिया ।

आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न संकायों के 39 लेख/निबंध, चार अनुसंधान रिपोर्टें तथा तीन पुस्तकें प्रकाशित की गईं । विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों पर चार संगोष्ठियों का आयोजन किया ।

विभिन्न संकायों के छात्रों ने एन एस एस में भाग लिया । सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत परिचर्या के छात्रों ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया तथा स्वास्थ्य मेला के अधीन आयोजित की गई प्रदर्शनी में भी भाग लिया ।

(xii) राजस्थान विद्यापीठ

1. लागू किए गए पाठ्यक्रम :
   - (क) निम्नलिखित में स्नातकोत्तर डिप्लोमा -
     - (i) पुरातत्व विज्ञान तथा राजस्थान का इतिहास ।
     - (ii) राजस्थान की भाषा तथा साहित्य ।
   - (ख) कम्प्यूटर अनुप्रयोग में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।
   - (ग) कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।
2. शिक्षण तथा अनुसंधान का अंतर्विद्याशाखा कार्यक्रम :
   - (क) पूर्वस्नातक स्तर पर छात्रों को कला या वाणिज्य संकाय में से कोई एक विषय चुनने का विकल्प ।
   - (ख) पुरातत्व विज्ञान तथा संग्रहालय विज्ञान विभाग विभिन्न विभागों यथा - भूविज्ञान, रसायन, वनस्पति-विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान, भूगोल आदि के सहयोग से बलथाल गांव, जिला उदयपुर में पुरातत्व खुदाई करवा रहा है ।
   - (ग) सामाजिक कार्य संकाय ने प्रौढ़ शिक्षा विभाग की सहायता से मुख्य अनुसंधान परियोजना का कार्य शुरू किया है जो सामाजिक कार्य अनुसंधान पर आधारित है ।

3. शैक्षिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में संकाय सदस्यों द्वारा भाग लेना

   वर्ष 1995-96 के दौरान 25 संकाय सदस्यों ने विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में भाग लिया ।

4. प्रकाशन आदि : आलोच्य वर्ष के दौरान 8 पुस्तकें, 1 मोनाग्राफ तथा 2 लेख प्रकाशित किए गए ।

5. पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन : बी०एड० स्तर पर एक पेपर, स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र में दो पेपर और पुरातत्व तथा राजस्थान के इतिहास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में एक पेपर का पुनर्गठन किया गया ।

6. स्तरों को सुधारने के उपाय : शिक्षकों द्वारा दृश्य-श्रव्य साधनों, कम्प्यूटरों तथा क्षेत्र प्रशिक्षण का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है ।

7. सामुदायिक सेवाएँ तथा विस्तार कार्यक्रम : विश्वविद्यालय के संघटक कालेजों ने निकटवर्ती गाँवों में एन एस एस शिविरों का आयोजन किया । प्रौढ़ शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा संस्थान छह गाँवों में कार्यरत है और यह विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों का संचालन करता है ।

8. प्रौढ़ तथा सामाजिक शिक्षा संस्थान में एक जनपद विभाग है जो समाज और पड़ोस के साथ अन्योन्यक्रिया विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है ।

9. विद्यापीठ द्वारा आयोजित किए गए सभी कार्यक्रम महिलाओं के लिए हैं ।

(xiii) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

भारत सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन वर्ष 1987 में समविश्वविद्यालय घोषित किया था । वर्ष 1995-96 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गए :-

1. यह संकाय शिक्षा शास्त्री (बी०एड०) तथा शिक्षा आचार्य (एम०एड०) पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है ।

2. इस वर्ष से शास्त्री की पाठ्यचर्या में व्यावसायिक विषय के रूप में प्रयोजनमूलक संस्कृत के शिक्षण को भी लागू किया गया है ।

3. आलोच्य वर्ष के दौरान विद्यापीठ ने 5 विद्यावारिधि (पीएच०डी०) डिग्रियाँ प्रदान कीं ।

4. विश्व पुस्तक मेला, 1996 में विद्यापीठ के प्रकाशनों की बिक्री अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में सर्वाधिक थी ।

5. विभिन्न शास्त्रों के मौखिक शिक्षण की परम्परा को कायम रखने के लिए इस विद्यापीठ ने फोर्ड फाउंडेशन ऑफ अमेरिका द्वारा प्रायोजित एक परियोजना शुरू की है ।

6. शैक्षिक वर्ष के दौरान वागवर्धिनी परिषद् तथा 15 संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं ।

7. विद्यापीठ द्वारा आयोजित की गई सह-पाठ्यचर्या गतिवधियाँ इस प्रकार हैं :- (क) स्काउट एवं गाइड (ख) प्राथमिक उपचार (ग) खेल-कूद (घ) योग कक्षाएँ ।

8. 1-2-1996 को "हेत्व भाषा " पर वाक्यार्थ गोष्ठी आयोजित की गई । तृतीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के विख्यात विद्वानों ने भाग लिया ।

9. विद्यापीठ ने टी०टी० देवस्थानम् के तत्वावधान में संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया ।

10. विद्यापीठ ने संस्कृत में 3 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं ।

11. आलोच्य वर्ष के दौरान विद्यापीठ ने आठ संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया है ।

(xiv) श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती महाविद्यालय, कांचीपुरम

आलोच्य वर्ष के दौरान भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बी०ए०एम०एस० (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एंड सर्जरी) का प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया और 27 छात्रों को दाखिल किया गया ।

संस्कृत विभाग ने एक साहित्यिक संस्था गठित की है । यह संस्था संस्कृत में छात्रों की योग्यता बढ़ाने के लिए सप्ताह में दो बार "सरस्वती सभा" आयोजित कर रही है ।

(xv) श्री सत्यसाई उच्च शिक्षा संस्थान

1. 25 संकाय सदस्यों ने देश तथा विदेश में आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों/परिचर्चाओं तथा अभिविन्यास कार्यक्रमों में भाग लिया ।

2. आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों के संकाय सदस्यों द्वारा लिखे गए विभिन्न विषयों पर 12 लेख प्रकाशित किए गए ।

3. पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन : शैक्षिक वर्ष 1995-96 से सभी पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए पर्यावरण अध्ययनों में दो-क्रेडिटीय-बोध पाठ्यक्रम शुरू किए गए ।

4. नवाचार कार्यक्रम : मई, 1995 में 'भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता' पर एक ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया ।

(xvi) टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई

1. लागू किए गए नए पाठ्यक्रम :

   क. एम०ए० (सामाजिक कार्य) के लिए "भारतीय सामाजिक समस्याएँ" पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया और उसका नाम "भारत में सामाजिक मुद्दे" रखा गया । संशोधित पाठ्यक्रम के भाग-। में सामाजिक मुद्दों के भारतीय प्रसंग और भाग-।। में सामाजिक सुविधावंचन, कबीली नृ-जातीयता, संचार, हिंसा, दंगे, भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण, घोर संकट तथा युवकों में तनाव का उल्लेख किया गया है ।

   ख. परिवार तथा बाल कल्याण विभाग ने पुनर्वास में एक पूर्णकालिक सेमेस्टर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया जिसमें 9 प्रशिक्षणार्थियों को उपबोधित किया गया ।

2. संस्थान ने निम्नलिखित अंतर्विद्याशाखा अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू की हैं :-

क. साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष : चालू कार्यक्रमों का प्रलेखीकरण ।

ख. विवाह में महिलाओं के मानसिक हिंसा विषयक अनुभव का गवेषणात्मक अध्ययन ।

ग. महाराष्ट्र में प्रारंभिक बाल-देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रमों की निर्देशिका ।

घ. हैदराबाद मेट्रो गैस पावर प्रोजेक्ट के प्रभावित परिवारों का जनांकिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक अध्ययन ।

ड. महाराष्ट्र में महिलाओं का दर्जा ।

च. महाराष्ट्र में रोजगार तथा प्रवास : एन एस एन 43वें राउंड डाटा का विश्लेषण ।

छ. बंबई में हुए दंगों के कारण ।

ज. वर्ष 1993 में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा भूकंप से संबंधित राहत और पुनर्वास पर अध्ययन ।

झ. सामाजिक समूह-कार्य पद्धतियों का क्षेत्रीय बोध ।

ञ. स्तनपान तथा शिशुपोषण पद्धतियों के किए गए अनुसंधान की समीक्षा ।

ट. मंगलौर पावर प्रोजेक्ट के अधीन परियोजना से प्रभावित लोगों का अनुसंधान तथा पुनर्वास अध्ययन ।

ठ. महाराष्ट्र में बेरोजगारों की संख्या ।

3. संकाय सदस्यों द्वारा अकादमिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेना : संस्थान के 110 संकाय सदस्यों में से 53 ने विभिन्न संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि में भाग लिया । इसके अतिरिक्त, 15 संकाय सदस्य अकादमिक तथा व्यावसायिक कार्यों पर देश से बाहर गए ।

4. संस्थान के शिक्षकों द्वारा दस पुस्तकें लिखी गईं और उत्कृष्ट पत्रिकाओं में 51 लेख/निबंध प्रकाशित किए गए ।

5. स्तर सुधारने के उपाय : शिक्षण में दृश्य-श्रव्य साधनों, केस अध्ययनों, संगोष्ठियों तथा अन्य विधियों का प्रयोग किया जाता है । व्याख्यान देने तथा निदर्शनों के लिए बाहर के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है । छात्र सेवा सेल कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता आधारित अनुशिक्षणों की व्यवस्था करता है । आलोच्य वर्ष के दौरान चार कार्यशालाएँ आयोजित की गईं (मराठी और हिंदी भाषा कौशल - प्रत्येक में एक-एक तथा "किसी रोज़गार का चयन किस प्रकार करें" पर दो) ।

6. कार्मिक प्रबंध तथा औद्योगिक संबंध विभाग के छात्रों ने "वार्तालाप 95" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया । सामाजिक कार्य-मंच के विद्यार्थियों ने "सामाजिक परिवर्तन में हस्तक्षेप" - विषय पर 5वीं वार्षिक संगोष्ठी - "अंतर्दर्शन 96" का आयोजन किया ।

7. समाज तथा पड़ोस के साथ अन्योन्यक्रिया तथा सामुदायिक सेवाएँ / विस्तार कार्यक्रम :

   छात्रों द्वारा क्षेत्र-कार्य, क्षेत्रीय कार्य परियोजनाएँ तथा विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के अभिन्न अंग होते है । संस्थान 26 क्षेत्रीय कार्य परियोजनाएं संचालित करता है (वर्ष 1995-96 के दौरान तीन क्षेत्रीय कार्य परियोजनाएँ बंद रहीं) इनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :-

   क. प्रयास ।

   ख. बंबई बाल कल्याण समन्वय समिति ।

   ग. महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष सैल ।

   घ. मेल-जोल हम बच्चों का ।

   ङ. हेल्पलाइन

   च. थाने स्वास्थ्य परियोजना

छ. समन्वित ग्राम स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना, अघाल ग्राम, शाहपुर, थाने ।

ज. बाल मार्गदर्शन निदानशाला, जेरबाई वाडिया हास्पीटल

झ. महाराष्ट्र आपातकालीन राहत परियोजना (एम ई ई आर पी) में समुदाय द्वारा सहभागिता ।

ञ. पर्यावरण प्रौद्योगिकी तथा संसाधन विकास केंद्र ।

ट. सरकार द्वारा संचालित बाल संस्थाओं को मानवोचित बनाना ।

ठ. ई ए पी पर्यवेक्षण कार्यक्रम ।

ड. तुर्भे स्वास्थ्य तथा विकास परियोजना ।

ढ. सामुदायिक प्रतिभागिता के माध्यम से बच्चों के खेल अधिकार को बढ़ावा देना ।

ण. मद्यपान पर निर्भर अभिभावकों (शराबियों) के बच्चों के साथ शराब की रोकथाम का प्रशिक्षण ।

त. सामुदायिक सामंजस्य ।

थ. हमारा क्लब (गली-मोहल्ले के बच्चों के लिए परियोजना) ।

द. शाहपुर, ताल्लुका, जिला बेयूल, म०प्र० में जनजातीय बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा ।

ध. एम० वार्ड (वेस्ट), बंबई में परिवीक्षण साक्षरता गतिविधि ।

न. महाराष्ट्र सरकार के लिए सामुदायिक विकास परामर्श : ग्रामीण टोंटी वाले पीने के पानी की पूर्ति तथा सफाई कार्यक्रम ।

प. प्राकृतिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच ।

फ. स्वस्थ जीवनशैली से संबंधित प्रलेखन तथा मार्गदर्शन केंद्र ।

ब. पंजरापोल समुदाय में प्रौढ़ साक्षरता ।

8. परीक्षा सुधार के उपाय :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन कर दिया गया है । इनमें सेमेस्टर पद्धति तथा आंतरिक मूल्यांकन भी शामिल है ।

9. अन्य नवाचार कार्यक्रम : तुलजापुर स्थित संस्थान का ग्रामीण परिसर कार्ययोजनाओं का संचालन करता रहा है । इसमें एकीकृत जलविभाजक विकास और बचत तथा आय जनन कार्यक्रम शामिल हैं ।

10. उपलब्धियाँ :

संस्थान ने मारिशस विश्वविद्यालय के साथ एक निराला शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम निष्पादित किया । इस कार्यक्रम में यह प्रकल्पित किया गया है कि यह संस्थान मारिशस विश्वविद्यालय के सामाजिक अध्ययन तथा मानविकी संकाय (एफ ओ एस एस एच) के लिए सामाजिक कार्य पाठ्यचर्या विकास के लिए एक संसाधन अभिकरण होगा ।

संस्थान के दृश्य-श्रव्य यूनिट की "ओधनी" नामक प्रस्तुति ने सितम्बर, 1995 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वीडियो उत्सव में द्वितीय पुरस्कार जीता है । "ओधनी" प्रस्तुति हमारी अपनी आत्मा और शरीर तथा "अभिज्ञान - व्यक्तित्व निर्माण" की सामूहिक गवेषणा है ।

संस्थान के एक संकाय सदस्य को "जाति, वर्ग तथा पितृसत्त: दलित महिलाओं की बदलती हुई स्थिति पर एक अध्ययन" पर टाइम्स आफ इंडिया की प्रतिष्ठित फैलोशिप प्रदान की गई है ।

11. आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थान ने 81 संगोष्ठियों/कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

12. महिलाओं के लिए कार्यक्रम : महिलाओं तथा बच्चों का विशेष सेल राज्य से धन प्राप्त करने तथा मुंबई शहर में विशेष सेल की प्रतिकृति करने का प्रयास करता रहा ।

4.6 राज्य विश्वविद्यालय

विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत स्थापित किए गए 164 राज्य विश्वविद्यालय हैं । वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12 बी के अनुसार 17 जून, 1972 के पश्चात् स्थापित नवीन राज्य विश्वविद्यालय तब तक केंद्रीय सरकार, वि०अ०आ० अथवा केंद्रीय सरकार से निधि प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे जब तक कि आयोग विहित मानकों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार यह संतुष्टि नहीं कर लेता है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने योग्य है ।

सम्प्रति, कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर 103 राज्य विश्वविद्यालय वि०अ०आ० से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं । पात्र विश्वविद्यालयों को विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदानों सहित विकास अनुदान प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उन आधार-संरचनात्मक सुविधाओं को प्राप्त कर सकें जो सामान्यत: उन्हें राज्य सरकार अथवा उनकी सहायता करने वाले अन्य निकायों से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं । संकाय के पदों, अकादमिक भवनों, छात्रावासों, उपस्करों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, स्टाफ क्वार्टरों के लिए तथा ऐसी अन्य सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिससे शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि हो एवं सामाजिक जीवन को प्रोत्साहन मिलता हो । यद्यपि प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए आम विकासार्थ परिव्यय की मात्रा का निर्णय योजना अवधि के प्रारंभ में ही कर लिया जाता है और यह उस विश्वविद्यालय के विकास की स्थिति के आधार पर निश्चित की जाती है तथापि विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त प्रस्तावों की जाँच के पश्चात् विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं ।

वर्ष 1995-96 के दौरान पाँच विश्वविद्यालयों को रु० 7600.62 लाख के योजना विकास अनुदान प्रदान किए गए । सारणी 4.4 में योजनागत विकास अनुदान के राज्यवार आबंटन का विवरण दिया गया है :

सारणी 4.4

राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान

1995-96

(कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर)

राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रदत्त अनुदान (रु० लाख में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	10	1036.30
अरुणाचल प्रदेश	1	16.50
असम	2	141.83
बिहार	7	119.42
हिमाचल प्रदेश	1	50.64
जम्मू और कश्मीर	2	139.62
गोवा	1	30.23
गुजरात	7	432.00
हरयाणा	2	178.75
कर्नाटक	9	397.37
केरल	4	344.99
मध्य प्रेदश	10	633.69
महाराष्ट्र	8	885.60
मणिपुर	1	91.96
उड़ीसा	4	201.21

1	2	3
पंजाब	3	467.66
राजस्थान	5	272.85
तमिलनाडु	10	724.52
त्रिपुरा	1	21.44
उत्तर प्रदेश	14	813.40
पश्चिम बंगाल	7	600.64
जोड़	**109**	**7600.62**

अध्याय V

कालेजों को वित्तीय सहायता

5.1 वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कालेज

कालेजों में प्राय: पूर्वस्नातक स्तर पर कुल नामांकन का 85 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कुल नामांकन का 55 प्रतिशत नामांकन होता है । लेकिन केवल वही कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं जो वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 2(एफ) और 12 बी के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं । अनुदान की मात्रा विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर परिकलित की जाती है यथा, शिक्षण का स्तर, छात्र और संकाय संख्या ।

असमानताओं और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, ग्रामीण अथवा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कालेजों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के कालेजों को विकास अनुदान देने में मानकों में ढील दी है । अनुदान सामान्यत: छात्रावास समेत भवन निर्माण तथा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने तथा शिक्षकों के संकाय सुधार कार्यक्रमों के लिए दिए जाते हैं ।

वर्ष 1995-96 के दौरान देश में कालेजों की संख्या 9278 (अनुमानित) है । इनमें से 4730 कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने के पात्र थे । वर्ष 1995-96 के दौरान, पात्र कालेजों ने रु० 4295.38 लाख के योजनागत अनुदान प्राप्त किए ।

5.2 कालेजों को योजनागत अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न राज्यों में विशेषज्ञ समितियाँ इस उद्देश्य से भेजीं ताकि कालेजों के प्रिंसिपलों के परामर्श से आठवीं योजना के अंतर्गत कालेजों को दिए जाने वाले विकास अनुदान के परिव्ययों को अंतिम रूप दिया जा सके । इस कार्य में राज्य सरकारों तथा संबंधक विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था । वर्ष 1995-96 के दौरान कालेजों को प्रदत्त विकास अनुदान समेत योजनागत अनुदान का राज्यवार ब्योरा सारणी 5.1 में दिया गया है :-

सारणी 5.1
कालेजों को प्रदत्त योजनागत अनुदान 1995-96

क्र.सं.	राज्य	प्रदत्त अनुदान (रु० लाख में)
1.	आंध्रप्रदेश	311.23
2.	असम	221.04
3.	अरुणाचल प्रदेश	4.74
4.	बिहार	237.30
5.	गुजरात	161.04
6.	गोवा	15.23
7.	हरयाणा	137.28
8.	हिमाचल प्रदेश	66.77
9.	जम्मू और कश्मीर	20.65
10.	कर्नाटक	222.16
11.	केरल	122.28
12.	मध्य प्रदेश	396.72
13.	महाराष्ट्र	554.34
14.	मणिपुर	24.49
15.	नागालैंड	6.25
16.	उड़ीसा	150.67
17.	पंजाब	235.14
18.	राजस्थान	233.39
19.	त्रिपुरा	8.81
20.	तमिलनाडु	318.47
21.	उत्तर प्रदेश	485.91
22.	पश्चिम बंगाल	361.47
	जोड़	**4295.38**

5.3 स्वायत्त कालेज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक और योजना है जिसके अंतर्गत इसके संबंधक विश्वविद्यालय द्वारा घोषित स्वायत्त कालेज अपने द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की विषय-वस्तु तथा गुणवत्ता के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं ।

ऐसे कालेज अपने परीक्षा प्रश्नपत्र तैयार करने और अपनी परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं । कालेज छात्रों का मूल्यांकन ऐसी डिग्रियाँ प्रदान करने के लिए करता है जिन्हें उनका मूल विश्वविद्यालय स्वीकार कर लेगा ।

स्वायत्त कालेज को प्रतिवर्ष रु॰ 4.00 लाख से लेकर रु॰ 8.00 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो उनके द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रमों और शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है ।

31.03.1996 तक 113 कालेज स्वायत्त कालेजों के रूप में काम कर रहे थे । इन कालेजों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :-

सारणी 5.2

स्वायत्त कालेज

राज्य का नाम	कालेजों की संख्या
तमिलनाडु	43
आंध्रप्रदेश	19
मध्य प्रदेश	34
उड़ीसा	5
उत्तर प्रदेश	3
महाराष्ट्र	2
गुजरात	2
हिमाचल प्रदेश	5
जोड़	113

5.4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कालेजों को योजनागत तथा योजनेतर सहायता

वर्ष 1995-96 के दौरान अनुरक्षण व्यय पूरा करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के 55 कालेजों को रु॰ 9602.92 लाख और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 4 संघटक कालेजों को रु॰ 96.40 लाख की राशि प्रदान की गई । वर्ष 1995-96 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों को रु॰ 278.67 लाख का योजनागत अनुदान भी प्रदान किया गया ।

5.5 शताब्दी समारोह अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक ऐसे कालेज को रु॰ 20.00 लाख की विशेष सहायता उपलब्ध कराता है जिसने अपने स्थापना के 100 या इससे अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं । यह सहायता भवनों के निर्माण और उनके नवीकरण पर होने वाले पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए दी जाती है । आलोच्य वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन निधियों की कमी के कारण कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

०००००

अध्याय VI

उदीयमान और अंत:विद्याशाखा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा अध्ययन

6.1 अतिचालकता कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अतिचालकता कार्यक्रम के अंतर्गत मूलभूत और अनुप्रयुक्त - दोनों क्षेत्रों में शिक्षा एवं अनुसंधान क्षमताओं के विकास के लिए वर्ष 1987 से सहायता प्रदान करता रहा है । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एक स्थायी समिति वि॰अ॰आ॰ की सहायता करती है । समूह परिवीक्षण बैठकों तथा वार्षिक/छमाही रिपोर्टों के माध्यम से आवधिक समीक्षा के रूप में इस कार्यक्रम का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है । 31 मार्च, 1996 तक इस कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही थी :-

1. अन्ना विश्वविद्यालय
2. एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय
3. पुणे विश्वविद्यालय
4. कल्याणी विश्वविद्यालय
5. बरकतुल्ला विश्वविद्यालय
6. उत्कल विश्वविद्यालय
7. मद्रास विश्वविद्यालय
8. राजस्थान विश्वविद्यालय
9. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
10. दिल्ली विश्वविद्यालय

11. इलाहाबाद विश्वविद्यालय
12. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
13. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
14. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय
15. शिवाजी विश्वविद्यालय
16. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय

6.2 वायुमंडलीय विज्ञान

वि०अ०आ० ने विश्वविद्यालयों में मौसम-विज्ञान संबंधी तथा वायुमंडलीय विज्ञानों का संवर्धन करने और मध्यम क्षेत्रीय पूर्वानुमान करने के लिए मौसम-विज्ञान तथा भू-विज्ञान परिषद् में लगाए गए कम्प्यूटर तंत्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया । 31.03.1996 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जा रही थी :-

1. आंध्र विश्वविद्यालय
2. कलकत्ता विश्वविद्यालय
3. कर्नाटक विश्वविद्यालय
4. गुजरात विश्वविद्यालय
5. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
6. पुणे विश्वविद्यालय
7. कोचीन विश्वविद्यालय

6.3 उदीयमान क्षेत्रों में पाठ्यक्रम

उदीयमान क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों में ये विषय शामिल हैं :- कम्प्यूटर अनुप्रयोग, व्यावहारिक हिंदी, जैव-प्रौद्योगिकी, पर्यावरण शिक्षा/ऊर्जा शिक्षा, इलैक्ट्रॉनिकी, फ्यूचरोलाजी, व्यवसाय प्रबंध, संचार और रिमोट सेंसिंग । ऐसे अनेक पाठ्यक्रमों पर लागू होने वाले मार्गनिर्देशों को तैयार करने का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में विशेषीकृत मानव संसाधन तैयार करना था । इनमें से कुछ पाठ्यक्रमों यथा - जैव-प्रौद्योगिकी, पर्यावरण शिक्षा, ऊर्जा शिक्षा, इलैक्ट्रॉनिकी तथा फ्यूचरोलाजी को, जिनका कार्यान्वयन क्रमशः डी बी टी, डी एन ई एस और डी ओ ई के सहायोग से 1992-93 तक पृथक्

कार्यक्रमों के रूप में किया जा रहा था, 1993-94 से "उदीयमान क्षेत्रों में पाठ्यक्रम" के व्यापक शीर्षक के अंतर्गत तब लाया गया जब इन एजेंसियों ने निधियों का शेयर करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की । इस प्रकार, आठवीं योजना के प्रारंभ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन कार्यक्रमों के लिए निधियाँ उपलब्ध कराता रहा है ।

इस कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं :-

1. **मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम**

   (i) व्यवसाय प्रशासन

   (ii) इलैक्ट्रॉनिक विज्ञान

   (iii) जैव-प्रौद्योगिकी

   (iv) भविष्य विज्ञान (फ्यूचरोलाजी)

   (v) पर्यावरण-विज्ञान/ऊर्जा

   (vi) कम्प्यूटर अनुप्रयोग

   (vii) व्यावहारिक हिंदी

   (viii) संचार (दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति/ग्राफिक्स/कैमरामैन/संपादन/पत्रकारिता/ मुद्रण प्रौद्योगिकी/ पुस्तक प्रकाशन में पृथक् एम.ए./एम.एससी.) ।

2. **मास्टर स्तर पर विशेष पेपर**

   (i) वायुमंडलीय विज्ञान

   (ii) रिमोट सेंसिंग

   (iii) भौतिकी, रसायन, गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, जीव-विज्ञान, पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में कम्प्यूटर अनुप्रयोग ।

   (iv) रसायन, जीव-विज्ञान, भू-विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, समाजशास्त्र में प्रयोज्य पर्यावरण संबंधी अध्ययन ।

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित प्रस्तावों पर एक विशेषज्ञ दल ने विचार किया । वर्ष 1995-96 के दौरान आयोग ने इन पाठ्यक्रमों के लिए जो सहायता अनुमोदित की उसका विवरण सारणी 6.1 में दिया जा रहा है :-

सारणी 6.1

	योजना का नाम	नए विभागों तथा चालू गतिविधियों के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान अनुमोदित की गई राशि (रु० लाख में)	वर्ष 1995-96 के दौरान अनुमोदित विभाग	31.03.96 तक अनुमोदित विभागों की कुल संख्या
1.	पर्यावरण ऊर्जा	138.00	29	77
2.	जैव-प्रौद्योगिकी	15.00	08	20
3.	इलैक्ट्रॉनिकी	150.00	04	29
4.	फ्यूचरोलॉजी	5.00	-	10
5.	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	300.00	11	30
6.	वायुमंडलीय विज्ञान/ रिमोट सेंसिंग	5.00	-	07

इस संबंध में पर्यावरण के प्रति बढ़ती हुई चिंता की दृष्टि से तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को यह लिखा है कि वे पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर अनिवार्य विषय के रूप में पर्यावरण पर एक पाठ्यक्रम लागू करें । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पर्यावरण शिक्षा पर विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया है और 31.03.1996 तक निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुमोदित की है :-

(i) विश्वविद्यालयों/कालेजों के विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण शिक्षा पर कार्यशालाएँ /संगोष्ठियाँ ।

(ii) विश्वविद्यालयों/कालेजों के विभिन्न विभागों में पर्यावरण शिक्षा पर विशेष पेपर शुरू करना ।

(iii) दस विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा में एम०एससी० पाठ्यक्रम लागू करना ।

(iv) "फ्लाई ऐश संचयन तथा उसके व्यापक पैमाने पर उपयोग के लिए उपाय सोचना" - पर छह अनुसंधान परियोजनाएँ ।

आयोग ने पर्यावरण विशेषज्ञ दलों की सहायता से पूर्व-स्नातकों के लिए पाठ्यपुस्तक तथा कुछ लोकप्रिय साहित्य भी तैयार किया है । आयोग ने अपने "देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम" के माध्यम से पर्यावरण संबंधी जानकारी बढ़ाने के लिए लगभग 100 एपीसोड प्रसारित किए हैं ।

6.4 नवाचार कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक योजनाएँ शुरू की हैं जिनमें विश्वविद्यालय क्षेत्रक में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने पर विचार किया गया है । लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएँ यहीं समाप्त नहीं हो जातीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर विश्वविद्यालयों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त करता रहता है जो नवाचारी होते हैं लेकिन फिर भी उन पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत नहीं आते । इस बात को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1993-94 में यह निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय क्षेत्रक में "नवाचार कार्यक्रम" नामक एक योजना को कार्यान्वित किया जाए ।

इस योजना का उद्देश्य यह है कि सीमित संख्या में उन नवाचार परियोजनाओं को वि०अ०आ० के उपलब्ध संसाधनों के सीमांतर्गत सहायता प्रदान करने का एक ढाँचा उपलब्ध कराया जाए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं । इस योजना के तहत कोई भी विश्वविद्यालय या स्कालर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव भेज सकता है, बशर्ते कि :-

(i) कार्यक्रम नवाचारी है और विश्वविद्यालय में शिक्षण/अनुसंधान की गुणवत्ता पर निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा ।

(ii) प्रस्ताव इस प्रकार का है जिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की किसी भी योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जा सकता ।

प्रस्तावों की जाँच एक विशेषज्ञ समिति करती है । इस योजना के अधीन सीमित अवधि के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है । अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करताहै जिन्हें कुछ ही वर्षों में और योजना अवधि के दौरान तो निश्चित ही पूरा किया जा सकता हो ।

वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के अधीन चालू कार्यकलापों के लिए आयोग ने रु॰ 20 लाख का अनुदान प्रदान किया । 31.03.1996 को इस योजना के अधीन छह विभागों/विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई ।

नवाचारी कार्यक्रमों तथा सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालयों/विभागों की सूची नीचे दी जा रही है :-

1.	रुहेलखंड विश्वविद्यालय	-	अनुदेशात्मक संसाधन सामग्री के लिए इलैक्ट्रॉनिक शैक्षिक प्रयोगशाला
2.	जादवपुर विश्वविद्यालय	-	संज्ञानात्मक विज्ञान
3.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	-	कम्प्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से गणितीय मॉडलन तथा डिजाइनिंग
4.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	-	शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र
5.	रुहेलखंड विश्वविद्यालय	-	टैराकोटा म्यूरल का विकास
6.	अंतर्विश्वविद्यालय संकाय	-	प्रयोगात्मक नाभिकीय भौतिकी तथा इलैक्ट्रॉनिक्स

6.5 क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन संबंधित क्षेत्र की समस्याओं और संस्कृति से संबद्ध विशेषीकृत अध्ययनों के लिए स्कॉलरों को प्रशिक्षित करने और तुलनात्मक दृष्टि से अंतर्विद्याशाखा अनुसंधान और शिक्षण का विकास करने के विशिष्ट उद्देश्यों से किया जा रहा है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित क्षेत्र अध्ययन केंद्रों के संचालन के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करता है ।

वर्ष 1995-96 के अंत तक 19 विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित 23 क्षेत्र अध्ययन केंद्र काम कर रहे थे :-

1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	–	पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	–	नेपाल संबंधी अध्ययन केंद्र
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	–	चीनी एवं जापानी अध्ययन
4.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	–	दक्षिण-पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र
5.	बंबई विश्वविद्यालय	–	1. अफ्रीकन अध्ययन केंद्र 2. रूसी अध्ययन केंद्र
6.	मद्रास विश्वविद्यालय	–	दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र
7.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	–	शहरी विकास एवं क्षेत्रीय योजना केंद्र
8.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	–	भारत-चीन अध्ययन केंद्र
9.	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान	–	पूर्व-यूरोपीय अर्थशास्त्र केंद्र
10.	राजस्थान विश्वविद्यालय	–	दक्षिण एशिया जिसमें सरकार और राजनीति के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है ।
11.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	–	हिमालय संबंधी अध्ययन
12.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	–	1. खाड़ी के देश 2. रूसी अध्ययन 3. यूरोपीय अध्ययन

13.	कश्मीर विश्वविद्यालय	–	मध्य एशिया, मंगोलिया
14.	आंध्र विश्वविद्यालय	–	'सार्क' देशों में सहयोग की संभावनाएँ
15.	गोवा विश्वविद्यालय	–	लेटिन अमरीकी देश
16.	मणिपुर विश्वविद्यालय	–	मणिपुरी और तिरुप्ती अध्ययन
17.	जामिया मिलिया इस्लामिया	–	1. विकासशील देशों की अकादमी 2. फेडरल अध्ययन केंद्र
18.	पुणे विश्वविद्यालय	–	रक्षा और सामरिक अध्ययन
19.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	–	भारतीय डायसपोरा अध्ययन

° ° ° ° °

अध्याय VII

अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र तथा सूचना केंद्र

7.1 अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वि०अ०आ० अधिनियम में वर्ष 1984 में हुए संशोधन का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त केंद्र स्थापित करने की पहल की है । ऐसे केंद्रों से विश्वविद्यालयों को सामान्य सुविधाएँ, सेवाएँ और कार्यक्रम प्रदान करते की आशा की जाती है क्योंकि आधार-सरंचना और निविष्टियों में अत्यधिक निवेश के कारण अलग-अलग विश्वविद्यालयों के लिए सभी सुविधाएँ मुहैया करना संभव नहीं है ।

सारणी 7.1

वर्ष 1995-96 के दौरान स्थापित किए गए केंद्र

	केंद्र*	उद्देश्य
1.	नाभिकीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली - 110067(1984)	त्वरक-प्रधान अनुसंधान
2.	खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, पुणे - 411007(1988)	खगोल-विज्ञान और खगोल भौतिकी में अनुसंधान के लिए अधुनातन खगोल विज्ञान यंत्रीकरण ।
3.	डी ए ई सुविधाओं के लिए अंतर्विश्वविद्यालय संकाय (कान्सॉर्टियम), इंदौर-452001 (1989)	परमाणु ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग ।
4.	राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, बंगलौर-560010 (1994)	उच्च शिक्षा की सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रत्यायन करना ।
5.	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क (इन्फिलिब्नेट), अहमदाबाद-380009 (1991)	इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों की नेट-वर्किंग ।

* कोष्ठक में स्थापना वर्ष दिया गया है ।

7.2 राष्ट्रीय सुविधाएँ

वि॰अ॰आ॰ राष्ट्रीय सुविधाओं के रूप में निम्नलिखित केंद्रों की भी सहायता करता है ।

सारणी 7.2

	केंद्र	उद्देश्य
1.	पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, बंबई विश्वविद्यालय, बंबई	देशी उपस्करों का डिज़ाइन और विकास तथा यंत्रीकरण में स्टाफ का प्रशिक्षण ।
2.	क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, भारतीय विकास संस्थान, बंगलौर	देशी उपस्करों का डिज़ाइन और विकास तथा यंत्रीकरण में स्टाफ का प्रशिक्षण ।
3.	क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास	क्रिस्टल संवृद्धि में अनुसंधान तथा ज्ञान का प्रसार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
4.	एम॰एस॰टी॰ राडार केंद्र, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	वायुमंडलीय गतिविज्ञान में अध्ययन ताकि शिक्षक एम एस टी/राडार सुविधा का उपयोग कर सकें ।
5.	भारतीय उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, शिमला	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र के एसोशिएटों के रूप में विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों को आमंत्रित करना और उन्हें नए विचारों और विधियों की जानकारी तथा अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना ।
6.	रेडियो खगोल भौतिकी का पूर्वी केंद्र, कलकत्ता	खगोल भौतिकी में अनुसंधान ।
7.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर - 560012	विज्ञान संबंधी सूचना ।

8.	राष्ट्रीय सूचना केंद्र, एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदरा (गुजरात)	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में सूचना केंद्र ।
9.	राष्ट्रीय सूचना केंद्र, एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, बंबई	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में सूचना केंद्र ।
10.	जापल-रंगपुर वेधशाला, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	विज्ञान अनुसंधान वेधशाला ।

7.3 नाभिकीय विज्ञान केंद्र

वर्ष 1995 में पेलेट्रान त्वरक 5636 घंटे 92 प्रतिशत सद्यकाल (अपटाइप) सहित चला । इसकी तुलना विदेश की ऐसी ही प्रयोगशाला से की जा सकती है । प्रयोक्ता समुदाय 44 विश्वविद्यालयों, 23 कालेजों तथा 24 अनुसंधान संस्थाओं के थे । इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी शामिल हैं । अनुरक्षण अवधि को छोड़कर 24 घंटे/दिन, 7 दिन/सप्ताह के कार्यक्रम के बजाय बीम टाइम की मांग दुगुनी थी । आधे से अधिक प्रयोक्ता-सामग्री विज्ञान में 59 प्रतिशत, नाभिकीय भौतिकी में 30 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में 11 प्रतिशत है । आलोच्य वर्ष के दौरान अनेक सम्मेलन कागज-पत्रों, तकनीकी रिपोर्टों आदि के अतिरिक्त जर्नलों में 41 प्रकाशन निकाले गए ।

यह परियोजना गत वर्ष शुरू की गई थी । इसका उद्देश्य कोरोना प्रणाली के स्थान पर प्रतिरोधक चेन लगाकर पेलेट्रान त्वरक का उन्नयन करना था । यह परियोजना पूरी हो गई है और इसके माध्यम से टर्मिनल वोल्टता प्राप्त करना संभव हो सकेगा ।

नाभिकीय विज्ञान केंद्र में एक बहु-कैथोड आयन स्रोत तैयार किया गया है । इससे चंद मिनटों में कैथोड में परिवर्तन हो जाता है जबकि वर्तमान आयन स्रोत में कई घंटे लगते हैं । इसका परीक्षण पेलेट्रान के साथ किया गया है और उसमें कुछ संशोधन किए जा रहे हैं । देश में विकसित किए जा रहे इस बहु-कैथोड आयन स्रोत से पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत होगी । आयातित आयन पर लगभग रु॰ 20.00 लाख खर्च होंगे ।

आलोच्य वर्ष के दौरान अनेक विश्वविद्यालयों में गामा संसूचक व्यूह (जी डी ए) के साथ नाभिकीय स्पेक्ट्रमिकी अध्ययनों को काफी बढ़ावा मिला क्योंकि 13 संसूचकों के तैयार किए गए विन्यास के साथ यह व्यूह पूरा हो गया था । प्रयोक्ताओं को आजीवन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आजकल प्रतिक्षेप दूरी युक्ति चालू हो गई है । जी डी ए ग्रुप को डी एस टी की एक परियोजना के माध्यम से निधियां उपलब्ध होती हैं । इसका उद्देश्य उसकी क्षमताएँ बढ़ाने के लिए जीडीए के साथ आवेशित कण व्यूह (सी पी ए) का समावेशन करना है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान अनेक प्रकार के परीक्षणों के लिए गुरु आयन अभिक्रिया विश्लेषक (हीरा) का प्रयोग किया गया है जिसे नाभिकीय स्पेक्ट्रममापी और गतिकी अध्ययनो के लिए सर्वश्रेष्ठ सुविधा माना जाता है । इस वर्ष विशेष घटना यह हुई कि 'हीरा' स्पेक्ट्रममापी के साथ 'जी डी ए' से 8Ge संसूचकों तथा 14 तत्व बी जी ओ बहुकता व्यूह का युग्मन किया गया जिसके परिणामस्वरूप "संहित न्यूक्लीक स्पेक्ट्रम विज्ञान" का क्षेत्र खुल गया । ऐसी सुविधाएँ विश्व में केवल छीन स्थानों पर उपलब्ध हैं ।

वर्ष के दौरान पदार्थ विज्ञान प्रयोक्ताओं की उच्च ऊर्जा संबंधी बढ़ती हुई मांगों को पूरा किया गया जिसके लिए जी पी एस सी तथा पदार्थ विज्ञान की बीम लाइनों के स्वचन का मुख्य कार्य हाथ में लिया गया । इस बीम लाइन में अब देश में विकसित किए गए "क्रमवीक्षक" का प्रयोग किया जाता है । एक "गोनीमीटर" लगाकर सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए डी एस टी से अतिरिक्त परियोजना राशि प्राप्त कर ली गई है । इस क्षेत्र के प्रयोक्ता नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए बीम टाइप का अनुरोध करते रहे । एन आर आई द्वारा दान दी गई "प्रकाश संदीप्ति मापन सुविधा" चालू हो गई है । इससे सामग्री अध्ययनों में आनलाइन अध्ययनों की अतिरिक्त संभावनाएँ बढ़ गई हैं । यह सुविधा विश्व में कुछेक स्थानों पर ही उपलब्ध है । हाल ही में डी एस टी द्वारा निधि-प्रदत्त भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के साथ शुरू की गई संयुक्त परियोजना के अनुसार एक चुनौतीपूर्ण कार्य "क्रमवीक्षण सुरंगन सूक्ष्मदर्शी (एस टी एम) की संस्थापना की जाएगी जो पृष्ठीय अध्ययनों के लिए आनलाइन एस टी एम के रूप में विश्व में अपने किस्म का पहला सूक्ष्मदर्शी होगा । इस वर्ष एक और विशेष आयाम जुड़ गया है जिसके अनुसार इलैक्ट्रॉनिक युक्तियों से संबंधित अध्ययनों के लिए संयुक्त जे.एन.आर. - सी ई ई आर आई - एन एस सी परियोजना के वास्ते सी एस आई आर से धनराशि प्राप्त की गई है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विकिरण जैविकी तथा विकिरण रसायन के लिए समर्पित बीम लाइन को पूर्णतः चालू किया गया । इसका उद्देश्य अवस्तर पर तनुफिल्म या एक विशेष बोतल में तरल पदार्थ के रूप में वायुमंडलीय दाब पर सैम्पुलों के किरणन के लिए सुविधा उपलब्ध कराना था । अब प्रयोक्ताओं के लिए साधारण कोशिका संवर्धन प्रयोगशाला उपलब्ध करा दी गई है ।

'हीरा' ग्रुप ने बी एच यू के वैज्ञानिकों के सहयोग से जी पी एस सी बीम लाइन में संपात प्रतिक्षेप तथा प्रक्षेपी आयन (स्कार्पियन) के अध्ययन के लिए एक सुविधा स्थापित की जो आजकल आयन परमाणु संघट्य अध्ययनों के लिए एक समुचित सुविधा उपलब्ध कराती है ।

चरण-।। त्वरक संवर्धन कार्यक्रम के लिए कुछ निर्धारित निधियाँ प्रदान की गईं । वर्ष 1995-96 के दौरान त्वरक उन्नयन परियोजना (चरण-।।) की मुख्य उपलब्धि यह रही है कि उच्च चालकता 'लिनाक' गुहिकाओं के लिए क्राइयोजनिक प्रणाली को चालू करने के वास्ते सभी अपेक्षाएँ पूरी हो गई हैं । प्रणाली के अनेक भाग तैयार किए गए हैं, उनका अंत:योजन किया गया है तथा उनकी जाँच की गई है । संभवत: दिसम्बर, 1996 तक इसे संस्थापित कर दिया जाएगा । एन एस सी के कर्मचारियों ने मैसर्स स्ट्राइलिंग क्राइयोजेनिक्स, जो सभी घटकों की सप्लाई करेगी, के सहयोग से 82K. पर शीतलन क्षमता 5000 वाट के सहयोजित द्रव नाइट्रोजन संयंत्र का डिज़ाइन तैयार किया है ।

'लिनाक' गुहिकाओं का कार्य आगोने नेशनल लैब. यू.एस.ए. के सहयोग से चल रहा है । वांछित क्यू-मान आदिप्ररूप अनुनादकों को प्राप्त करने के लिए प्रथम गुहिका पर व्यापक परीक्षण किए जा रहे थे ।

एल आई एन सी (लिंक) बूस्टर के लिए आर एफ यंत्रीकरण के विकास का एक स्पिन आफ एक ऐसी परियोजना रही है जिसके लिए डी एस टी द्वारा धन की व्यवस्था की जाती है । इसका उद्देश्य 'आर एफ जनरेटर तथा प्रतिबाधा मैचिंग नेटवर्क' का विकास करना है । एन पी एल तथा ए आई आई एम एस के परीक्षणात्मक संगठनों में इसका अनुप्रयोग पहले ही किया जा चुका है ।

गोवाहाटी और बड़ौदा में "विश्वविद्यालय तंत्र में अनुसंधान की संभावनाएँ" विषय पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं । संभाव्य प्रयोक्ताओं को एन एस सी की संभावनाओं से अवगत कराने के लिए भोपाल, मंगलौर और गोवा विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए गए ।

7.4 खगोलविज्ञान तथा खगोलभौतिकी के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, पुणे (आई यू सी ए ए)

वर्ष 1995-96 के दौरान केंद्र में निम्नलिखित कार्यकलाप निष्पादित किए गए :-

i. *कोर अकादमिक कार्यक्रम*

इसमें 11 (ग्यारह) संकाय सदस्य (निदेशक सहित), 5 पोस्ट-डाक्टोरल अध्येता और 14 अनुसंधान स्कालर हैं । वे खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी के अनेक विषयों में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं यथा - प्रमात्रा गुरुत्वाकर्षण तथा ब्रह्मांड विज्ञान, चिरप्रतिष्ठित गुरुत्व, गुरुत्वीय तंरग, ब्रह्मांड विज्ञान तथा संरचना निर्माण, प्रेक्षणात्मक ब्रहमांडिकी, क्वासार तथा परागांगेय

खगोल- विज्ञान, मंदाकिनीय खगोल-विज्ञान तथा गतिकी, आकाश-गंगा का रासायनिक विकास, सूर्य तथा सौर मंडल, तारकीय खगोल भौतिकी, यंत्रीकरण आदि । वर्ष के दौरान राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में 38 शोध लेख प्रकाशित किए गए ।

ii. *अभ्यागत अकादमिक कार्यक्रम*

आई यू सी ए ए का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अनुसंधानकर्ताओं को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना है । इस प्रयोजन के लिए आई यू सी ए ए की सूची में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के 62 एसोशिएट और वरिष्ठ एसोशिएट थे । एसोशिएट तथा वरिष्ठ एसोशिएट अवकाश के दिनों में समय-समय पर आई यू सी ए ए की सुविधाओं यथा - कम्प्यूटर केंद्र, पुस्तकालय, खगोलीय डाटा केंद्र, यंत्रीकरण प्रयोगशाला आदि का उपयोग करते हैं । वर्ष 1995-96 के दौरान एसोशिएट तथा वरिष्ठ एसोशिएटों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में 27 शोध पत्र प्रकाशित किए । कुछ एसोशिएट तथा वरिष्ठ एसोशिएटों ने आई यू सी ए ए के कोर सदस्यों के साथ सहयोग स्थापित किया तथा उनके दौरों से लाभ उठाया । एसोशिएटों और वरिष्ठ एसोशिएटों के दौरों के परिणामस्वरूप उन्हें अन्य एसोशिएटों एवं वरिष्ठ एसोशिएटों तथा विश्व के विभिन्न भागों के आई यू सी ए ए के अभ्यागतों के साथ अन्योन्यक्रिया करने का अवसर प्राप्त हुआ ।

अतिथि प्रेक्षक कार्यक्रम के अधीन मुख्यतः आई यू सी ए ए के प्रयासों के माध्यम से अनेक विश्वविद्यालयों को ई-मेल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं । विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को भारत तथा विदेशी में वेधशालाओं में दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया । आई यू सी ए ए की यंत्रीकरण वेधशाला ने बंगलौर विश्वविद्यालय के लिए स्वचालित फोटो इलैक्ट्रिक दूरबीन तैयार करने में सहायता की तथा अन्य कुछ विश्वविद्यालय विभागों में भी ऐसा ही किया जा रहा है । इस विषय में अधिक से अधिक विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों ने रुचि प्रदर्शित की है ।

आई यू सी ए ए ने खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी के अनुसंधानकर्ताओं के लाभ के लिए अनेक कार्यशालाएँ, स्कूल आदि आयोजित किए हैं । ये कार्यशालाएँ प्रारंभिक स्तर से लेकर तकनीकी स्तर तक की थीं । विशेषतः आई यू सी ए ए ने विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के लिए खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी के पाठ्यक्रम में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित

किए हैं । आई यू सी ए ए अवकाशी छात्र कार्यक्रम के माध्यम से अपने पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए छात्रों का पूर्व-चयन करता है । अनेक संगोष्ठियाँ, परिचर्चा आदि आयोजित की गईं । आई यू सी ए ए खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को प्रोत्साहित करता है ।

iii. *विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम*

इस कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित किए गए :-

1. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम
2. स्कूल के छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम ।
3. स्कूल के छात्रों के लिए दूसरा शनिवार व्याख्यान प्रदर्शन कार्यक्रम ।
4. आम जनता के लिए चौथा शुक्रवार आकाश निरीक्षण कार्यक्रम ।

इन कार्यक्रमों का आयोजन खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी में अनुसंधान कैरियर के लिए छात्रों को प्रेरित करना था ।

24 अक्तूबर, 1995 को पूर्ण सूर्यग्रहण के अवसर पर सूर्यग्रहण की चौड़ाई को मापने का प्रयास किया गया । परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा था ।

iv. *सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम*

निम्नलिखित अन्य विभिन्न देशों के साथ आई यू सी ए ए का अनुसंधान सहयोग विद्यमान है :-

1. खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी में भारत-अमेरिका विनिमय कार्यक्रम ।
2. आई एफ सी पी आर कार्यक्रम के अधीन भारत-फ्रांस सहयोग ।
3. खगोल-विज्ञान पर भारत-चीन सहयोग ।
4. गुरुत्व तरंग संसूचन पर भारत-आस्ट्रेलिया सहयोग ।

7.5 डी ए ई सुविधाओं के लिए अंतर्विश्वविद्यालय संकाय, इंदौर

अनुसंधान परियोजनाएं

आई यू सी - डी ए ई एफ के तीन केंद्रों में फिलहाल 72 परियोजनाएँ चालू हैं जिनसे विश्वविद्यालयों के कार्मिक संबंधित हैं । 72 परियोजनाओं में से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बंबई में ध्रुव पर 28, इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र, कल्पकम में निम्न ऊर्जा त्वरकों पर 12 तथा कलकत्ता में कैरियेबिल ऊर्जा साइक्लोट्रान पर 32 परियोजनाएँ चल रही थीं ।

आयोजित कार्यशालाएँ

तीन आई यू सी - डी ए ई एफ केंद्रों द्वारा स्वतंत्र रूप से या विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से निम्नलिखित कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

i) आयन बीम तथा एक्स-रे सुविधाओं सहित सामग्री अनुसंधान पर कार्यशाला - भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर, जुलाई 27-28, 1995.

ii) लैंगूमुरी - ब्लागेट फिल्मों पर कार्यशाला, मंगलौर विश्वविद्यालय मंगलौर, अगस्त 28-30, 1995.

iii) निम्न तापमानों पर परीक्षणात्मक तकनीकों पर कार्यशाला, आई यू सी डी ए ई एफ, इंदौर, दिसम्बर 4-15, 1995.

iv) विभेदन तकनीकों पर कार्यशाला, आई यू सी, मार्च 23, अप्रैल 4, 1995.

v) ई सी आर आयन स्रोत से परमाणु भौतिकी संभावनाओं पर कार्यशाला, वेरियेविल इनर्जी साइक्लोक्ट्रान ।

vi) नाभिकीय संरचना भौतिकी मीटिंग-।। पर कार्यशाला, एम.एम. विश्वविद्यालय तिरुनलवेली ।

सृजित की गईं प्रायोगिक सुविधाएँ

इंदौर केंद्र में निम्नतापी सुविधा को और सुदृढ़ किया गया । इसके लिए पूना विश्वविद्यालय से अधिगृहीत किए गए दो दशक पुराने तरल नाइट्रोजन संयंत्र का चालू किया गया और शुद्ध नाइट्रोजन गैस तैयार करने के लिए दाब प्रदोल अधिशोषक प्रणाली को शामिल किया गया । वर्ष के दौरान, इस संयंत्र ने एलएन 2 के 4000 लीटर तैयार किए ।

ताप-वैद्युत पाव34 माप की सुविधा का विस्तार 4.2 K. तक कर दिया गया । एक निमनज्जन यष्टि प्रतिरोधकता सेट का निर्माण किया गया है जो एक समय पर 8 नमूनों का मापन 45.2 K. तक कर सकता है । निम्न तापमान उच्च तापमान प्रतिरोधकता मापन सेट-अप का डिजाइन तैयार किया गया, उसका निर्माण किया गया तथा 77 K. तक उसका परीक्षा किया गया । 80-200 K. तापमान में एक ताप चालकता सेट-अप का निर्माण और उसका परीक्षण किया गया । चुम्बक नियंत्रण मापन के लिए सेट-अप का निर्माण किया गया है और उसका प्रयोग रवाहीन मिश्रातु के चुम्बक प्रत्यास्थ गुण-धर्मों के अध्ययन के लिए किया जा रहा है । ई एस सी ए उपकरण में पृष्ठ परिमार्जन और उच्च तथा निम्न तापमान संलग्नों के लिए एक स्क्रेपर असेम्बली लगाई गई है । ए डी एस सी उपस्कर संस्थापित कर दिया गया है और वह संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है ।

कलकत्ता केंद्र में लक्ष्य, संसूचक, वैश्लेषिक रसायन, संगणन कक्ष तथा कम्प्यूटर सुविधा में निम्नलिखित नए उपस्कर चालू कर दिए हैं - 3 कि.वा. इलैक्ट्रॉनिक गन आधारित तनु फिल्म कोटिंग यूनिट, 4 प्रोब उच्च परिशुद्धता प्रतिरोधकता मापन यूनिट, जी ए एस क्रोमेटोग्राफ, स्पेक्ट्रममापी, एम पी डब्लू आई एन 33.2 न्यू वर्सन मल्टी पैरामीटर सॉफ्टवेयर तथा न्यूट्रल नेटवर्क सॉफ्टवेयर किट्स । टी एस आर एफ प्रणाली से एक्स-रे ट्यूब, शील्ड, एच.वी. केबल, सिरेमिक टूट, सिरेमिट उच्च वोल्टता फीड, एपोक्सीरोधी अक्षीय क्राम्प्टन सुप्रेसर, संवृत चक्र रेफ्रीगेटर सिस्टम, रेडियो एक्टिव आइसोटाप आदि प्राप्त कर लिए गए हैं । मंद स्थिति बीम त्वरक, नाभिक भौतिकी प्रयोगशाला, मासबौर प्रयोगशाला, समय विभेदक विक्षुब्ध कोणीय सहसंबंध प्रयोगशाला चालू की जाने वाली है ।

बंबई केंद्र में लघु कोशीय एक्स-रे कैमरा चालू किया गया ।

ये सभी उपस्कर विश्वविद्यालय ग्रुपों को उपलब्ध कराए जाते हैं और इनका प्रयोग प्रायः पूरक रूप में किया जाता है जिसमें मुख्य डी ए ई सुविधाएँ शामिल हैं ।

प्रयोक्ताओं को प्रदत्त सेवा

विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के लगभग 110 प्रयोक्ताओं ने आई यू सी - इंदौर का दौरा किया और सुविधाओं का लाभ उठाया । एक वर्ष के दौरान 11,500 लीटर तरल नाइट्रोजन तथा 2000 लीटर तरल हीलियम का उत्पादन किया गया । इसमें से 100 लीटर तरल नाइट्रोजन तथा 240 लीटर तरल हीलियम बाहरी उपयोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई ।

संस्थागत अनुसंधान कार्यकलाप

इंदौर केंद्र के संस्थागत अनुसंधान कार्यकलाप में उच्च टी सी चालकों के निम्न ताप परिवहन गुण-धर्मों, रवाहीन मिश्रातु तथा अंतर्चुम्बकीय योगिकों, संक्रमण धातु आक्साइडों, बेरियम संचालित आक्साइड प्रणाली धातु रोधक संक्रमण व्यवहार, कैल्कोजनाड ग्लास और मासबौर से संबंधित ई एक्स ए एफ एस तथा एक्स ए एन ई एस अध्ययन और धात्विक बहुस्तरों के परावर्तकता मापनों के अध्यायन शामिल हैं । इन अध्ययनों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 13 लेख प्रकाशित किए गए तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सम्मेलनों में लगभग 25 लेख प्रस्तुत किए गए । कलकत्ता केंद्र की संस्थागत अनुसंधान गतिविधियों ने अनेक क्षेत्रों यथा - मासबौर अध्ययनों, नई सामग्री पी आई एक्स ई अध्ययनों, पूर्ण सूर्य ग्रहण आदि में अच्छी प्रगति की है । इन विषयों में अनेक लेख प्रकाशित, सम्प्रेषित तथा प्रस्तुत किए गए हैं ।

7.6 राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् (एन ए ए सी) बंगलौर

राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् के कार्यकलाप : आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित किए गए :

(i) *विचारावेश सत्र*

मार्च, 1995 में एक विचारावेश सत्र का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा अनुपालित प्रक्रिया के संबंध में विशेषज्ञों के विचार जानना था । इस सत्र की सिफारिशें अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुईं । इनके आधार पर एक प्रकार से राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् की गतिविधियाँ शुरू हुईं ।

(ii) *उच्च शिक्षा पर सूचना डाटाबेस (आई डी बी एच ई)*

राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों का एक डाटाबेस तैयार किया है । यह अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के विशेषज्ञों के अतिरिक्त कार्यक्रम निर्धारण के लिए भी अत्यंत आवश्यक होगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अद्यतन आँकड़ों के अनुसार तीन लाख से भी अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा क्षेत्रक में 60 लाख से भी अधिक छात्रों के लिए इन कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं । राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् के निदेशक ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कालेज के प्रिंसिपलों को पत्र लिखा है जिसमें उनसे यह अनुरोध किया है कि वे निर्धारण एवं प्रत्यायन की प्रक्रिया में भाग लें ।

इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सामग्री तैयार की है :-

- एक ब्रोशर जिसके साथ 24000 संकायों को प्रेषित पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए प्रोफार्मा भी था ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कालेजों के 4628 प्रिंसिपलों को ब्रोशर तथा पाठ्यचर्या प्रोफार्मा ।
- विश्वविद्यालयों के हाल में ही सेवा-निवृत्त 581 वरिष्ठ संकायों को पत्र-व्यवहार जिसमें अनुरोध किया गया कि वे उच्च कोटि की शिक्षा अभियान में भाग लें ।

(iii) *संस्थाओं द्वारा प्रत्युत्तर*

- राष्ट्रीय महत्व के 214 विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में से 145 ने राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद् के पत्र का उत्तर दिया है और संकाय की सूची भेजी है ।
- अब तक 120 विश्वविद्यालयों के संकाय ने उत्तर भेजा है ।
- वरिष्ठ संकायों ने इस प्रक्रिया में रुचि दिखाई है । प्रतिशतता की दृष्टि से यह कारगर नहीं भी हो सकती है लेकिन अब तक जिन संकाओं ने उत्तर भेजा है उनका स्तर बहुत ऊँचा है ।

(iv) *'आशय पत्र' के लिए आमंत्रण*

उन्नीस संस्थाओं ने निर्धारण और प्रत्यायन के लिए आशय पत्र भेजे हैं ।

(v) *आंतरिक गुणता आश्वासन सेल (आई क्य एस सी)*

स्व-मूल्यांकन निर्धारण प्रक्रिया का मेरुदंड माना जाता है । निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष ने कुलपतियों तथा संस्थाओं के निदेशकों को एक पत्र भेजा जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे संकाय और सहायक स्टाफ में गुणता बोध उत्पन्न करने के लिए आंतरिक निर्धारण प्रणाली स्थापित करें । स्व-अंतर्दर्शन और स्व-निर्धारण संबंधित संस्था की मुख्य जिम्मेदारी है । विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया गया कि वे राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद् के परामर्श से "आंतरिक गुणता आश्वासन सेल" की स्थापना करें ।

(vi) *राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् की संवर्धनात्मक गतिविधियाँ*

कुलपतियों तथा संस्थाओं के निदेशकों की एक बैठक 15 दिसम्बर, 1995 को राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् के कार्यालय में हुई । इन संस्थाओं ने अपने आशय-पत्र में निर्धारण एवं प्रत्यायन के लिए लिखा था ।

कुलपतियों तथा संस्थाओं के निदेशकों की एक बैठक राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् के कार्यालय में 3 जनवरी, 1996 को आयोजित की गई । बैठक ने आंतरिक गुणता आश्वासन सेल (आई क्यू ए सी) स्थापित करने का इरादा व्यक्त किया था ।

(vii) *राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद की जानकारी*

निर्धारण तथा प्रत्यायन प्रक्रिया का बोध कराने के लिए कुलपतियों, वि०अ०आ० द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के निदेशकों तथा कालेजों के प्रिंसिपलों को व्यक्तिगत पत्र लिखे गए । राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् के निदेशक द्वारा संकाय को व्यक्तिगत पत्र लिखे गए जिनमें उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे गुणतापूर्ण शिक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान में शामिल हों क्योंकि उनकी सहभागिता प्रक्रिया की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है ।

(viii) *कुलपतियों से भेंट*

राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् के प्रतिनिधियों ने यू.जी.सी. तथा ए.आई.यू. (पुणे 1994), नीपा, दिल्ली विश्वविद्यालय के (सी पी डी एच ई) तथा मणिपाल (1995) द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में कुलपतियों से भेंट की ।

(xi) *एक दिवसीय संगोष्ठियाँ*

अनेक विश्वविद्यालयों में संकाय के लिए एक दिवसीय संगोष्ठियाँआयोजित की गईं और इसके लिए राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् ने अनेक क्षेत्रों को शामिल करने का प्रयत्न किया । मद्रास, हैदराबाद तथा भोपाल के स्वायत्त कालेजों के प्रिंसिपलों के लिए भी ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया । मार्च, 1996 के अंत तक कुल मिलाकर 42 कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

(x) *प्रकाशन*

राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् ने निम्नलिखित दो प्रकाशन निकाले :-

- क्वालिटी एजूकेशन सेल्फ स्टडी एंड एक्सटर्नल इवेल्यूएशन ।
- सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स आन असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ।

(xi) *संपर्क*

(क) *यू एस ए के साथ* : राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् ने यू.एस.ए. में निर्धारण तथा प्रत्यायन प्रक्रिया और यू.के. में गुणता निर्धारण, गुणता आश्वासन, गुणता लेखापरीक्षा तथा अकादमिक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त निष्पादन संकेतकों का विश्लेषण किया है । परिषद् अब अन्य देशों विशेषतः आस्ट्रेलिया, हांगकांग, न्यूज़ीलैंड, जापान तथा कनाडा में प्रयुक्त निर्धारण विधियों से परिचित है ।

(ख) *यू.के. के साथ* : ब्रिटिश काउंसिल के निमंत्रण पर, राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् के अध्यक्ष और निदेशक ने मार्च, 1996 के पहले और दूसरे सप्ताह में यू.के. का दौरा किया । इसका उद्देश्य गुणता आश्वासन प्रणाली और उसके कार्यकरण का स्थलगत अध्ययन करना था ।

(xii) *संगठनात्मक गतिविधियाँ*

राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् ने सी-डी ए सी के साथ निम्नलिखित के लिए सहयोग स्थापित किया है :-

- संख्यात्मक तथा मूल पाठ फार्मेट, डाटा संग्रहण, पुनः प्राप्ति तथा विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर का विकास ।
- चाक्षुषीय स्मृति पठन (ओ एम आर) सुविधा द्वारा फार्म प्रक्रमण संसाधन सॉफ्टवेयर का विकास, तथा
- स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एल ए एन) के लिए हार्डवेयर ।

7.7 सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क

मंत्रालय ने अगस्त, 1995 में यू.जी.सी. अधिनियम के अनुच्छेद 12 (सी सी सी) के तहत इन्फिलिब्नेट कार्यक्रम को अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र में बदलने का अनुमोदन प्रदान किया । अब इन्फिलिब्नेट केंद्र को एक स्वायत्त संस्था (सोसाइटी) के रूप में

पंजीकृत किया गया है और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नियमित अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र बन गया है । केंद्र के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं - प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का कम्प्यूटरीकरण, डाटाबेस तैयार करना और देश में अकादमिक कार्य के लिए सूचना सेवाएँ आयोजित करना ।

पुस्तकालय के प्रचालन स्टाफ के लिए तीन पाठ्यक्रम और पुस्तकालय के वरिष्ठ प्रबंधाधिकारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई । उन विश्वविद्यालयों में जिनमें पहले से ही कम्प्यूटर लगे हुए हैं, पुस्तकालय स्टाफ के स्थलगत प्रशिक्षण के लिए छह अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । बड़ोदरा में फरवरी, 1996 में एम एस विश्वविद्यालय, बड़ौदा के साथ संयुक्त रूप से तीसरा राष्ट्रीय कन्वेंशन 'केलीबर-96' आयोजित किया गया जिसमें पुस्तकालय डाटाबेस प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया गया । इस कन्वेंशन में पूरे देश के 200 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

'कोस्पेट' सेवाएँ लोकप्रिय बनती जा रही हैं । इन सेवाओं द्वारा सदस्यों को पत्रिकाओं की विषय-सूची तथा उद्धरण उपलब्ध कराए जाते हैं । एन सी एस आई, बंगलौर के सहयोग से आयोजित इस सेवा का लाभ लगभग 290 ग्राहक उठा रहे हैं ।

इन्फिलिब्नेट कार्यक्रम के अधीन पुस्तकालय स्वचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक 54 विश्वविद्यालयों को निधियाँ प्रदान की हैं । इनमें कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है । इन्फिलिब्नेट में विकसित किए गए पुस्तकालय प्रबंध के अनेक माड्यूलों को पुस्तकालय में लगाया गया है और उसमें क्षेत्र-परीक्षण के बाद सुझाए गए आशोधन भी किए गए हैं ।

आन-लाइन पहुँच के लिए 60 से भी अधिक विश्वविद्यालयों से प्राप्त आँकड़ों को इन्फिलिब्नेट के केंद्रीय डाटाबेस से एकीकृत किया गया है । डाटाबेस में पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोधप्रबंधों, शोध निबंधों तथा भिन्न-भिन्न अकादमिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बारे में 5 लाख प्रविष्टियाँ दी गई हैं । एक मिनी कम्प्यूटर पर उपयुक्त आर डी बी एम एस सहित डाटाबेस संस्थापित किया जा रहा है तथा एक्स. 25 लीज लाइन पर 1-नेट के लिए आन-लाइन पहुँच हेतु इसको जोड़ा गया है । कोई भी विश्वविद्यालय 1-नेट के माध्यम से डाटाबेस आन-लाइन पहुँच रख सकता है । इसके अतिरिक्त वह ई-मेल का प्रयोग करते हुए आफ-लाइन सेवाओं का उपयोग भी कर सकता है ।

विश्वविद्यालयों में विद्यमान राष्ट्रीय सुविधाएँ

7.8 पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, बंबई

आलोच्य वर्ष के दौरान पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र ने अनुसंधान तथा विकास की दो प्रायोजित परियोजनाएँ पूरी कीं और तीन परियोजनाओं पर कार्य चालू था । (उक्त तीनों परियोजनाओं के लिए क्रमश: डी एस टी, डी ओ डी / एस ओ आई तथा उद्योग द्वारा निधि-व्यवस्था की गई थी) । केंद्र द्वारा विकसित किए गए कुछ उपकरण प्रौद्योगिक अंतरण के लिए तैयार हैं । राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों, अन्य सरकारी अभिकरणों तथा कुछ उद्यमियों/उद्योगों ने अपने इस्तेमाल या प्रौद्योगिकी जानकारी के अंतरण के लिए उपकरण उपलब्ध कराने/विकसित करने में गहरी रुचि प्रदर्शित की है । इस संबंध में सितम्बर, 1995 में भोपाल में एक उपकरण प्रदर्शन दौरा आयोजित किया गया ।

वर्ष 1995-96 के दौरान केंद्र ने यंत्रीकरण के विभिन्न पक्षों पर सात प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए । इनमें से कुछ कार्यक्रम का आयोजन यू एस आई सी (बर्दवान, जोधपुर, भोपाल, कोल्हापुर तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) के संयुक्त सहयोग से किया गया । आजकल डब्लू आर आई सी - यू एस आई सी के बीच विभिन्न स्तरों पर जोरदार एवं बार-बार अन्योन्यक्रिया की जा रही है ।

केंद्र ने अगस्त 1995 में यंत्रीकरण के 16 शिक्षकों के लिए दो सप्ताह का एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया । केंद्र ने नवम्बर 1995 में 'इन्स्डाक', नई दिल्ली के संयुक्त सहयोग से मुम्बई में "यंत्रीकरण प्रणाली तथा डाटाबेस प्रबंध पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (सी आई एस एम ओ डी 95) का आयोजन भी किया ।

आधार-संरचना को सुदृढ़ बनाकर मरम्मत, अनुरक्षण तथा अंशांकन कार्य का उन्नयन किया गया है । विश्वविद्यालय विभागों तथा कालेजों के अतिरिक्त अनुसंधान तथा विकास संगठनों एवं उद्योगों द्वारा भी ये सेवाएँ उपलब्ध की जा रही है । उपकरण मरम्मत के लिए कम रेट वाले उपकरण परिणामित्रों का संस्थागत निर्माण शुरू कर दिया गया है । केंद्र की अनुरक्षण सेवाओं में अब बंबई विश्वविद्यालय के सभी विभागों/केंद्रों/संस्थानों तथा लेखा कार्यालय के पीसीज (लगभग 100) और प्रिंटर (लगभग 50) की मरम्मत एवं अनुरक्षण करना शामिल है ।

केंद्र की सुविधाओं के उपस्कर में जो महत्वपूर्ण वृद्धियाँ की गईं वे इस प्रकार हैं :- शिमादजू दुहरा बीम स्पेक्ट्रममापी, वेवटेक सार्वत्रिक अंश शोधक, एम सी एस-51 सूक्ष्म नियंत्रक प्रशिक्षक किट तथा प्रणाली विकास, 80486 - आधारित पीसीज, फिल्टर प्रतिदीप्तिमापी, आर्द्रता/नमी मापी, एल सी आर मीटर, अंकीय तथा एनेलाग आई सी संपरीक्षित्र, बिजली की तोल मशीन, 5.5 अंक डिजिट टाप अंकीय बहुलभावी आदि ।

आलोच्य वर्ष के दौरान केंद्र के पुस्तकालय में 103 नई पुस्तकें जोड़ी गईं । केंद्र का पुस्तकालय अकादमिक तथा अनुसंधान और विकास से संबंधित व्यक्तियों को सभी विज्ञान विषयों में सूचना उपलब्ध कराता है । स्टाफ के सदस्यों ने कार्यक्रमों में भाग लेने के अतिरिक्त, अनेक संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लिया तथा लेख प्रस्तुत किए ।

7.9 क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र (आर आई सी) आई एस यू का एक भाग है जिसे वर्ष 1995-96 के दौरान पूरा विभागीय दर्जा प्रदान किया गया है और उसका नाम बदल कर यंत्रीकरण विभाग रखा गया है ।

वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न ग्रुप के विभागों द्वारा किए गए अनुसंधान तथा विकास कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :-

(I) *विश्लेषणात्मक यंत्रीकरण*

क. द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति

द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति प्रयोगशाला दो प्रकार के द्रव्यमान स्पेक्ट्रममापी का डिज़ाइन तैयार करने में संलग्न रही है । ये स्पेक्ट्रममापी हैं - चतुर्ध्रुवी आयन ट्रेप (आई टी एम एस) तथा आयन साइक्लोट्रॉन अनुनाद (आई सी आर) द्रव्यमानमापी । आई टी एम एस के अंतरापृष्ठ पर आधारित एक बहुसंसाधित्र तैयार किया गया है और आई सी आर की सभी आवश्यक उप प्रणालियों का निर्माण किया जा रहा है ।

ख. उच्चदाब यंत्रीकरण

पिस्टन-सिलेंडर युक्ति पर आधारित एक उच्चदाब विभेदक तथा विश्लेषण यूनिट (10 kbar, 700k) का विकास किया जा रहा है ।

विद्युत स्विचन : जीई – एस टी(Ge - As - Te) काचीय प्रणाली में आसानी से उत्क्रम्य विद्युत स्विचन पाया गया है जिसके साथ संभावित पठन प्रायः स्मृति (रीड मोस्टली मेमोरी एप्लीकेशंस) भी पाए जाते हैं । AI - AS - Te में स्विचन व्यवहार (मेमोरी टु थ्रैश होल्ड) में संरचना संबंधी परिवर्तन पाया गया है । Agl आधारित फास्ट आयन चालन काच (एस एस सी यू के साथ सहयोगी कार्य) में पहली बार लगभग आइडियल काच द्रुत विद्युत स्विचन देखा गया है जो रासायनिक मूल सहित इलैक्ट्रानिक प्रकार का है । इन परिणामों से यह संकेत मिलता है कि स्मृति युक्तियों में द्रुत आयन चालन काचों के एक दम नए अनुप्रयोग की संभावना हो सकती है ।

(II) *इलेक्ट्रॉनिक्स*

प्रायोगिक कार्य के लिए विशेष उपकरण विभाग के विकास पर इलैक्ट्रॉनिकी ग्रुप अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है । इस दिशा में परिशुद्ध मापन के लिए द्वि-प्रेरणिक वोल्टता विभाजक आधारित संतुलन एसी ब्रिज का विकास किया गया है । विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए एक स्वचालित विद्युत स्विचन अभिलक्षण विश्लेषक का विकास किया जा रहा है । सुरक्षा क्रांतिक अनुप्रयोगों में लाभदायक वितरित परिकलन प्रणाली के लिए एक अंतःस्थापित मॉनिटर के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है ।

(III) *प्रकाशिक यंत्रीकरण तथा अनुसंधान*

क. संसक्त प्रकाशिकी प्रयोगशाला

आयाम तथा कंपन आवृत्ति के मापन के लिए एक तंतु प्रकाशिक संवदेक का विकास किया गया है । इस संवेदक का प्रयोग करके विभिन्न पदार्थों के अवमंदक गुणांक को मापा जाता है ।

ख. लेसर तथा सामग्री अन्योन्यक्रिया

पृष्ठीय प्लाज़्मा अनुनाद पर आधारित एक प्रकाशकीय संवेदक युक्ति का डिज़ाइन तैयार और उसका विकास कर लिया गया है । प्रकाशिक यंत्रीकरण अनुप्रयोगों के लिए उसके निष्पादन अभिलक्षण का मूल्यांकन कर लिया गया है । इस युक्ति के आधार पर पतले तार फार्म बल तथा बल आघूर्ण में यंग के सामग्री माड्यूलों तथा द्रव सैंपुलों के अपवर्तनांक के मापन के लिए नई विधियों का विकास किया जाता है ।

ग. प्रकाशिक सूचना संसाधन

संकर प्रकाशिक – प्रतिबिम्ब के लिए अंकीय संसाधित्र

प्रकाशिक टामोग्राफीय डाटा एकत्रण के लिए प्रावस्था मापन के लिए एक गैर व्यतिकरणमितिक विधि का परीक्षण कर लिया गया है । तरंगाग्र अनुमान की परिशुद्धता का विश्लेषण किया जाता है ।

पुनर्निर्माण की सुविधा के लिए प्रकाशिक टामोग्राफी हेतु पुनर्निर्माण एल्गोरिथ्म का परीक्षण किया जाता है ।

(IV) *सौर ऊर्जा तथा तापीय यंत्रीकरण*

एक सौर ऊर्जा द्वारा चालित जल संयंत्र (क्षमता प्रतिदिन 1,00,000 लीटर, 85^0 सें. पर) का डिज़ाइन कर लिया गया है और वह मैसर्स बालाजी फूड्स एंड फीड्स (हैदराबाद के निकट) में लगा दिया गया है ।

सोर ऊर्जा प्रणाली के लिए उपयुक्त यंत्रों एवं नियंत्रणों का विकास कर लिया गया है ।

तापीय तथा वैद्युत संस्पर्श प्रतिरोध दोनों के लिए एक सतत चालकता सेल का मानकीकरण किया गया है ।

तापीय तथा विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध के मापन के लिए एक सतत चालकता सेल का मानकीकरण कर दिया गया है । अंतराली मीडिया सहित ओ एफ एच सी, ब्रास, एलूमिनियम, स्टेनलैस स्टील, Cu-W आदि पर प्रायोगिक कार्य पूरा कर दिया गया है और आँकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है ।

एक टर्बोमालिक्यूलर पंप का सम्पूर्ण माडलिंग तैयार कर लिया गया है और उसका सत्यापन प्रायोगिक परिणामों से कर लिया गया है ।

(V) *निर्वात और तनु फिल्में*

निर्वात तथा तनु फिल्म अनुभाग में अनुसंधान तथा विकास कार्य के परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की तकनीकों/युक्तियों का डिजाइन तैयार किया गया है और उनका विकास किया गया है । देश तथा विदेश में अनेक अनुसंधान तथा विकास संगठनों के सहयोग से विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए युक्तियों/तकनीकों का उपयोग करना संभव हो गया है ।

नवीनतम उपलब्धियों के कारण रक्षा संगठनों ने इस ग्रुप को देश में कतिपय अनुसंधान तथा विकास ग्रुपों से एक ऐसे ग्रुप के रूप में अभिज्ञात किया है जो रक्षा प्रयोगों के लिए तनु फिल्म युक्तियाँ विकसित कर सकता है ।

एक क्रमवीक्षण मेग्नेट्रान कण क्षेपण लक्ष्य का विकास कर लिया गया है । इसकी लक्ष्य उपयोगिता क्षमता लगभग 100 प्रतिशत है और साथ ही इसमें परम्परागत मेग्नेट्रान कणक्षेपण के अन्य लाभ बने रहते हैं । टार्गेट की अत्यधिक औद्योगिक संभाव्यता है और टाइटन वाच कंपनी के कणक्षेपण प्रणाली में इसको शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

बहुलक्ष्यी कण क्षेपण के लिए उपयुक्त एक बक्स प्रकार के निर्वात चैम्बर (बहुस्तर सेंसर फिल्म तैयार करने के लिए) का डिजाइन तैयार कर दिया गया है, उसका निर्माण कर दिया गया है तथा उसे चालू कर दिया गया है । मेडिस्केन सिस्टम्स, मद्रास में गर्भिणी स्त्रियों में एनमियोटिक द्रव प्रैसर को मापने के लिए, इस प्रौद्योगिकी से विकसित किए गए गैर-संक्रामक गेज संवेदकों का प्रयोग कर लिया गया है । इस डाटा की तुलना पराध्वनि मापन से प्राप्त परिणामों से की जा रही है ।

घूर्णी टार्गेट आयन-बीम कण क्षेपण के लिए टार्गेट असेम्बली का प्रारंभिक डिजाइन तैयार कर लिया गया है ।

7.10 क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास

"क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र : यू जी सी - अन्ना विश्वविद्यालय सुविधा" कार्यक्रम के अधीन क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र क्रिस्टल संवृद्धि तथा अभिलक्षण के क्षेत्र में कार्य करता रहा है । वर्ष 1995-96 के दौरान केंद्र के मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार थे -

क्रिस्टल संवृद्धि उपस्कर तथा अभिलक्षण उपस्कर (क्रमवीक्षण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा हाल प्रभाव प्रणाली) संस्थापित कर दिए गए हैं और अनुसंधान कार्यों के लिए कारगर प्रयोग हेतु चालू कर दिए गए है ।

जहाँ तक अर्धचालक गतिविधियों का संबंध है, संवृद्धि 2.5" व्यास जी ए ए एस (GaAs) एकल क्रिस्टलों के लिए संवृद्धि प्रौद्योगिकी की इष्टतमीकरण कर दिया गया है । अनेक II-VI यौगिक अर्धचालकों का संश्लेषण कर दिया गया है और उनका विकास एकल क्रिस्टलों के रूप में कर दिया गया है । जी ए ए एस (GaAs) तथा आई एन पी (INP) क्रिस्टलीय वेफरों पर युक्ति संरचनाएँ तैयार कर दी गई हैं । वेफरों के

संबंध में किरणन तथा रोपण अध्ययन भी किए गए हैं । अर्धचालक लेसर अनुप्रयोगों के लिए जी ए ए स (GaAs) और आई एन पी (INP) अवस्तरों पर ए 1 जी ए ए एफ (A1 GaAs) और आई एन जी ए ए एस (INGaAs) के ऐपीटेक्सीय परत जमा दिए गए हैं ।

लेसर सामग्री के क्षेत्र में अनेक क्रिस्टलों की संवृद्धि की गई है और उनके अभिलक्षण निरूपित किए गए हैं । विलयन संवृद्धि तकनीक द्वारा केडीपी, केडीपी तथा एल ए पी के विशुद्ध एवं मादित क्रिस्टलों की संवृद्धि की गई है । बृहदाकार युक्ति क्वालिटी क्रिस्टलों की संवृद्धि के लिए संवृद्धि पैरामीटरों का इष्टतमीकरण कर दिया गया है ।

वाई वी सी ओ (YBCO) तथा बी एस सी सी ओ (BSCCO) जैसे उच्च तापमान वाले अतिचालकों के एकल क्रिस्टलों की संवृद्धि फ्लक्स संवृद्धि तकनीक द्वारा की गई है और उनके वैद्युत एवं चुम्बकीय अभिलक्षण अध्ययन कर लिए गए हैं । C_{60}, C_{70} तथा अन्य व्युत्पन्नों के एकल क्रिस्टलों की संवृद्धि वाष्प वहन तकनीक द्वारा की गई हैं ।

पेरावस्काइट परिवार के फेरो-विद्युत क्रिस्टलों की संवृद्धि उच्च ताप विलयन से की गई है । $BaTi0_3$, $PbTi0_3$, $KTaNb0_3$ तथा $BiTi0_{12}$ की संवृद्धि की गई है । इनके भौतिक गुण-धर्म महत्वपूर्ण होते हैं । डाइइलैक्ट्रिक, ताप विद्युत तथा अन्य प्रकाशिक अभिलक्षणन अध्ययन कर लिए गए हैं ।

ब्रिगमैन तकनीक द्वारा क्रिस्टिल संवृद्धि का प्रयोग II-VI यौगिक अर्ध-संचालकों और जैव क्रिस्टलों की संवृद्धि के लिए किया गया है । कम्प्यूटर नियंत्रित एक स्वतः पुलिंग हैड असेम्ब्ली का निर्माण कर लिया गया है जिसकी फर्नेस झुकी हुई होती है । कोलेस्टेराल, पथरी, स्ट्रूवाइट, ब्रूसाइट आदि जैसे जैविक क्रिस्टलों की संवृद्धि जल (Gel) तथा अन्य सोलूशन संवृद्धि तकनीकों द्वारा कर ली गई है ।

वर्ष 1995-96 के दौरान आक्साइड क्रिस्टल संवृद्धि संबंधी गतिविधि को बढ़ाया गया है । बी एस ओ (BSO), बी जी ओ (BGO), TeO_2, $LiMoO_2$, आदि एकल क्रिस्टलों की संवृद्धि के लिए पहले से ही सुविधा स्थापित कर दी गई है । इन आक्साइड क्रिस्टलों की संवृद्धि दर घूर्णन दर के प्रभाव का अध्ययन कर लिया गया है । मध्यवर्ती खतरा घूर्णन रेंज की विद्यमानता तथा बुद्बुद्मुक्त आक्साइड क्रिस्टलों की संवृद्धि के लिए इस रेंज से ठीक उच्च घूर्णन दरों का प्रयोग करने की आवश्यकता के बारे में पता लगाया गया है । वर्तमान आक्साइड क्रिस्टल संवृद्धि प्रणाली में से ऐसे उपयुक्त आशोधन किए गए हैं ताकि उनमें Ti, सैफाइर तथा $LiNbo_3$ के प्रकाशिक क्वालिटी क्रिस्टलों की संवृद्धि हो सके ।

आलोच्य वर्ष के दौरान आठ उम्मीदवारों ने अपनी पीएच.डी. पूरी की तथा विभिन्न निधीयन एजेंसियों द्वारा क्रिस्टिल संवृद्धि केंद्र के संकाय को छह मुख्य परियोजनाएँ मंजूर की गईं। विदेश में अनुसंधान करने के लिए दो संकाय सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं। विदेशी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्य जारी रखने के लिए तीन अनुसंधान स्कालरों को विदेशी अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई हैं। 23 से भी अधिक अनुसंधान लेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं और 50 से भी अधिक अनुसंधान लेखों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विचार-विमर्श किया गया है।

7.11 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र की अकादमिक गतिविधि के तीन बुनियादी घटक हैं - (1) एसोशिएटशिप की योजना, (2) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन, और (3) शिमला के संस्थान में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हित की समस्याओं पर अध्ययन सप्ताह आयोजित करना।

(i) *एसोशिएटशिप*

वर्ष 1995-96 के दौरान, 61 विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों (प्रत्येक) ने केंद्र का एक महीने का दौरा किया। गत वर्ष की भाँति, एसोशिएटों के चयन में मुख्यतः उसकी योग्यता पर ध्यान दिया गया लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा गया कि देश के अधिकांश भागों का दौरा किया जाए। सभी ऐसोशिएटों ने संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं तथा अकादमिक गतिविधियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

(ii) *अध्ययन सप्ताह*

अध्ययन सप्ताह का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के उत्कृष्ट शिक्षाविदों द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक आदि मुद्दों पर विस्तृत वाद-विवाद करवाना है।

अध्ययन सप्ताह प्रायः संस्थान में ही आयोजित किए जाते हैं और महत्वपूर्ण समस्याओं पर एक सप्ताह के वाद-विवाद के लिए वरिष्ठ स्कालरों के लघु ग्रुप को आमंत्रित किया जाता है।

आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित अध्ययन सप्ताह आयोजित किए गए :-

(क) समकालिक भारत में नृजातीय नृवैज्ञानिक आंदोलन (जून 26 - जुलाई 2, 1995)

(ख) "भारतीय सिनेमा को उद्देश्यपूर्ण बनाना" (26-29 अक्तूबर, 1995)

(iii) *आई यू सी जर्नल*

आई यू सी जर्नल - *मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन* वर्ष में दो बार प्रकाशित किया जाता है । इसका एक अंक विषयपरक और दूसरा सामान्य प्रकार का होता है । देश और विदेश में शैक्षिक समुदाय ने इस पत्रिका की भूरि-भूरि प्रशंसा की है ।

(iv) *प्रकाशन*

मानिविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में अध्ययनों के अतिरिक्त, यह केंद्र उसके द्वारा अब तक आयोजित विभिन्न अनुसंधान संगोष्ठियों एवं अध्ययन सप्ताहों की सम्पादित कार्यवाहियों को प्रकाशित कर रहा है । निम्नलिखित खंडों को विभिन्न चरणों में तैयार किया जा रहा है :-

1. भारतीय समाज में सांस्कृतिक तथा राजनीतिक स्वायत्तता संबंधी समस्याएँ ।
2. वर्तमान सामाजिक राज्य तंत्र की समाप्ति ।
3. अल्पसंख्यकों की संकल्पना ।
4. भारतीय परम्परा में साक्षरता तथा संचार ।
5. समकालीन भारत में नृजातीय आंदोलन ।
6. भारतीय सिनेमा को उद्देश्यपूर्ण बनाना ।

(v) *लेखे*

वर्ष 1995-96 के दौरान आई यू सी कार्यक्रम के अधीन उसकी विभिन्न गतिविधियों के लिए रु॰ 16.42 लाख खर्च किए गए ।

7.12 खगोल भौतिकी में अनुसंधान के लिए पूर्वी केंद्र (ई सी आर ए)

खगोल भौतिकी अनुसंधान के लिए पूर्वी केंद्र (ई सी आर ए) की स्थापना बहु-एजेंसी प्रयास के रूप में वर्ष 1993 में की गई थी । इसका उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र में प्रायोगिक सौर रेडियो खगोलविज्ञान पर प्रारंभिक बल देते हुए खगोल भौतिकी के लिए कार्य करना था । वर्ष 1995-96 के दौरान इसकी मुख्य उपलब्धियों में निम्नलिखित उपलब्धियाँ शामिल थीं :-

i. 40-1000 एमएचजेड (MHz) के लिए लाग आवधिक द्वि-ध्रुव व्यूह (एल पीडीए) का विकास पूरा किया गया तथा कल्याणी साइट पर संस्थापित किया गया ।

ii. ए एन आर आई टी यू स्पेक्ट्रम विश्लेषक पर आधारित एल डी पी ए सहित मीटर वेव गतिशील स्पेक्ट्रम लेखी पूरा किया गया और वह कल्याणी साइट पर चालू है तथा आई पी आर ई, सी.यू. में कम्प्यूटर डाटा अधिग्रहण प्रणाली का विकास किया गया ।

iii. कल्याणी फील्ड साइट पर रेडियो आवृत्ति बाधा (आर एफ आई) ग्रे लेवल प्लाट को प्राप्त करने के लिए मीटरवेव गतिशील स्पेक्ट्रम लेखी का प्रयोग किया गया है जो साइट पर बहुत कम शोर का संकेत देता है ।

iv. कल्याणी साइट पर मीटर वेव पर सौर गतिशील स्पेक्ट्रा के नेमी प्रेक्षण शुरू किए गए ।

v. सौर पार्थिव ऊर्जा कार्यक्रम (एस टी ई पी) के भाग के रूप में कल्याणी साइट पर "स्प्राइडों" के अध्ययन के लिए एक सेट-अप बनाया गया है ।

vi. 24 अक्तूबर, 1995 को डाइमंड हार्बर पर पूर्ण सूर्य ग्रहण में सी-बैंड (4 जी एच जेड) में माइक्रोवेव पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का प्रेक्षण किया गया । जी एच जेड (GHz) पर सूर्य का एक विमीय रेडियो मानचित्र लेने के लिए परिणामों का विश्लेषण किया गया जिसमें एक सक्रिय क्षेत्र की उपस्थिति का संकेत मिला ।

vii. कलकत्ता विश्वविद्यालय के सहयोग से कल्याणी विश्वविद्यालय में रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र में एल-बैंड (1 जी एच जेड) में माइक्रो वेव सौर रेडियो दूरबीन का विकास किया गया है ।

viii. कलकत्ता विश्वविद्यालय के सहयोग से असम विज्ञान तथा प्रौदयागिकी एवं पर्यावरण परिषद् के अधीन रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र, काटन कालेज, गोवाहाटी में एस-बेंड (2.6 जी एच जेड) पर माइक्रोवेव सौर रेडियो दूरबीन का विकास कर लिया गया है ।

ix. दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च तुंगता क्षेत्र स्टेशनों का पता लगाया गया और ई सी आर ए के लिए कुछ स्थलों को चुना गया । निम्नलिखित के विषय में प्रारंभिक प्रयोग किए गए (1) के यू (Ku) बैंड में सौर माइक्रोवेव उत्सर्जन तथा (2) सौर कण उत्सर्जन यथा न्यूट्रान ।

इनके अतिरिक्ति, आई यू सी ए ए की वित्तीय सहायता से रेडियो भौतिकी तथा इलैक्ट्रॉनिक्स, कलकत्ता विश्वविद्यालय में ई सी आर ए के लिए एक ई-मेल सुविधा स्थापित की गई है । ई-मेल के लिए एक समर्पित टेलीफोन लाइन भी मुहैया की जा रही है । तब फैक्स सुविधा के अतिरिक्त, 'इर्नेट' के माध्यम से 'इंटरनेट' भी उपलब्ध होगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा इलैक्ट्रॉनिक संचार क्षेत्र में वी एस ए टी तथा एल ए एन शुरू करने के लिए तथा ग्लोबल नेट वर्किंग के लिए ई सी आर ए को उसे उपलब्ध कराने का नया प्रयास किया जा रहा है ।

सूचना केंद्र

7.13 राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विज्ञान सूचना के लिए एक अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र है । इस केंद्र का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अनुसंधानकर्ताओं को सुविधापूर्वक तथा समय से विज्ञान सूचना उपलब्ध कराना है । इस केंद्र की स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी, तभी से देश में यह एक प्रमुख सूचना केंद्र के रूप में विख्यात है । एन सी एस आई की तृतीय चरण की गतिविधियाँ वर्ष 1993-94 से 1996-97 के दौरान निष्पादित की जाएँगी । चरण-1 (1983-84 से 1987-88) इस दौरान भारतीय विज्ञान संस्थान में केंद्र की स्थापना हुई थी और विश्वविद्यालयों में वैयक्तिक अनुसंधानकर्ताओं को भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, गणित तथा भूविज्ञान में अद्यतनबोध सार सेवाएँ उपलब्ध कराते हुए इस केंद्र के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने पर ध्यान दिया गया । दूसरे चरण में केंद्र ने आन लाइन तथा सी डी - आर ओर एम आधारित सेवाएँ शुरू कीं तथा प्रलेख पूर्ति सेवा में सुधार

किया । तीसरे चरण के दौरान केंद्र का काफी विस्तार हुआ और उसके कार्यकलापों में वृद्धि हुई । विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को विज्ञान तथा इंजीनियरी की पत्रिकाओं में विषय-सूची पृष्ठ नियमित रूप से उपलब्ध कराने के लिए एन सी एस आई ने इन्फिलिब्नेट के सहयोग से एक प्रमुख सूचना सेवा - 'कोप्सेट' शुरू की । 'इर्नेट' पर प्रयोक्ताओं को उपलब्ध ई-मेल आधारित पत्रिका विषय-सूची पृष्ठ-सेवा - "एस पी एस ई आर वी ई आर" चालू की गई । 'सी डी - आर ओ एम' डाटाबेस खोज सेवा इंजीनियरी और कृषि पर भी लागू की गई । डी एस आई आर, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों से पूर्ण पाठ डाटा बेस 'एडोनिस' स्थापित किया गया है । यह जैव-चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे लेख उपलब्ध कराता है । दो अतिरिक्त होस्ट - एस टी एन तथा 'डाटा-स्टार' तक भी आनलाइन डाटा बेस का विस्तार किया गया । संख्यात्मक डाटा खोज सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 'बेल्सटाइन' डाटा बेस को भी शामिल किया गया है । इसके द्वारा लगभग 3,00,000 रासायनिक यौगिकों के गुणधर्म, संरचनात्मक तथा ग्रंथ सूची संबंधी आंकड़े तथा 65,000 से भी अधिक रासायनिक पदार्थों के द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी डाटा उपलब्ध कराते हुए द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी डाटाबेस उपलब्ध कराया गया । केंद्र को 'इंटरनेट' से पूर्णतः जोड़ा गया और उसके परिणामस्वरूप "सूचना व्यवसायियों के लिए इंटरनेट" पर राष्ट्रीय स्तर की दो कार्यशालाएँ आयोजित की गईं । केंद्र ने एक और नई सेवा "इंटरनेट खोज सेवा" (आई एस एस) शुरू की जिसका उद्देश्य इंटरनेट आधारित सूचना की खोज करने में उपयोक्ताओं की सहायता करना था । इस अवधि के दौरान केंद्र ने दो प्रायोजित परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कीं । ये परियोजनाएँ थीं - इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग (इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार) के लिए सूचना स्रोतों का डाटा बेस और डाइरेक्टरी तैयार करना तथा पुस्तकालय और सूचना सेवाओं (डी एस आई आर, भारत सरकार) के लिए ई-मेल विचार-विमर्श फोरम एल आई एस - फोरम स्थापित करना । आलोच्य अवधि के दौरान केंद्र की आधार-संरचनात्मक सुविधाओं में भी पर्याप्त वृद्धि की गई ।

केंद्र ने हाल ही में नेटवर्क से संबंधित अनेक कार्यकलाप शुरू किए हैं । केंद्र के लिए वेबसर्वर की स्थापना पहले ही की जा चुकी है । यह एक 'सूर्य स्फुलिंग सुसंगत वर्कस्टेशन' है । एन सी एस आई सेवाओं का विवरण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, इस सर्वर के माध्यम से इंटरनेट पर कतिपय डाटाबेस तथा हाइपर टैक्स्ट लिंकों से लेकर मुख्य एस एडं टी साइटों तक पहुँचा जा सकता है । इस केंद्र ने सी डी - आर ओ एम डाटाबेसों तक नेटवर्क की पहुँच कराने के लिए इलैक्ट्रॉनिक संदर्भ लाइब्रेरी (ई आर एल) प्रौद्योगिकी तथा नेटवेयर अध्यारोपित सी डी - आर ओ एम डाटाबेसों के उपयोग का सफलतापूर्वक प्रयोग भी कर लिया है ।

7.14 राष्ट्रीय सूचना केंद्र, एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, बंबई

राष्ट्रीय सूचना केंद्र अपनी स्थापना के दस वर्ष के दौरान, एक सेवाप्रधान यूनिट में बदल गया है जिसका आधार अत्यंत मजबूत है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान एक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि मार्च 27, 1996 की सीडी-आर ओ एम पर 'सूचक' का मोचन किया गया । इस निराले उत्पाद का विकास मैसर्स पाइनियर इन्फोविजन टैक्नोलॉजीज (प्रा॰) लि॰, बंबई द्वारा किया गया था ।

वर्ष 1995-96 के दौरान इस केंद्र ने अनेक प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराते हुए संपूर्ण भारत के लगभग 5100 प्रयोक्ताओं की जरूरतें पूरी कीं । अकादमिक समुदाय की जरूरतें पूरी करने के लिए केंद्र ने 1,17,037 संदर्भों की पूर्ति की जो वर्ष 1994-95 की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक थी । फोटोकापी किए गए पृष्ठों की संख्या 70 प्रतिशत बढ़ गई । सेवाओं के प्रयोग का सारांश नीचे सारणी में दिया गया है :-

सारणी 7.3

सेवाओं का उपयोग

सेवाएँ	1995-96	1994-95
एस डी आई		
प्रयोक्ता	1,373	1,329
पूर्ति किए गए संदर्भ	34,026	32,000
पूछताछ		
संख्या	3,736	3,280
पूर्ति किए गए संदर्भ	83,011	72,160
प्रलेखों की सुपुर्दगी		
प्राप्त निवेदन	3,768	3,303
फोटोप्रति पृष्ठ	30,914	18,138
संदर्भ		
वापस किए गए निवेदन	295	278

शिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों को समर्थन देने के लिए केंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथ-सूचियों का संकलन किया :

1. फेमिनिस्ट लिटरेचर एंड क्रिटीसिज्म (महिला साहित्य तथा आलोचना)
2. जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन
3. फूड सेफ्टी (खाद्य सुरक्षा)

उपर्युक्त सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए केंद्र अनेक संस्थागत डाटाबेसों का अनुरक्षण एवं विकास करता है तथा विदेशी डाटाबेस भी रखता है । संसाधानबेस में प्रतिवर्ष औसतन 10,000 अभिलेखों की सतत वृद्धि हो रही है । इनमें स्थानीय रूप से सृजित किए गए ग्रंथ सूची संबंधी डाटाबेस शामिल हैं जिसमें भारतीय अनुसंधानों और प्रकाशनों पर जोर दिया गया है । 'सूचक' मुख्य ग्रंथ सूची डाटाबेस की संख्या 88,119 तक पहुँच गई । 'सूचक' डाटाबेसों में समाजशास्त्र के अभिलेख 44 प्रतिशत, महिला अध्ययनों के 20 प्रतिशत, गृह विज्ञान के रिकार्ड 33 प्रतिशत, पुस्तकालय विज्ञान के 13 प्रतिशत तथा विशेष शिक्षा के रिकार्ड 3.5 प्रतिशत हैं । लगभग 17 प्रतिशत रिकार्ड एक से अधिक विषय में एक समान हैं । कुल रिकार्डों में भारतीय संदर्भों की संख्या 57 प्रतिशत है जिनमें सारांशों की संख्या 8 प्रतिशत है ।

केंद्र की सेवाओं का प्रचार करना तथा प्रयोक्ता समुदाय में जानकारी पैदा करना एक सतत प्रक्रिया है । केंद्र प्रयोक्ताओं को सूचना आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण देने, अनुसंधान विवरण तैयार करने तथा अपना साहित्यिक अनुसंधान करने में प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

० ० ० ० ०

अध्याय VIII

भारतीय संस्कृति, विरासत और मूल्यों का संवर्धन तथा परिरक्षण

8.1 गांधी अध्ययन

इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में गांधी अध्ययन केंद्र तथा गांधी भवन स्थापित करने तथा शिक्षकों और छात्रों को महात्मा गांधी के दर्शन और विचारों से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु शत प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक स्थायी विशेषज्ञ समिति है जो इस संबंध में विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करती है । 31.03.96 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित 17 गांधी अध्ययन केंद्र तथा 8 गांधी भवनों के लिए सहायता प्रदान की ।

महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगाँठ मनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा लिखित तथा उनके जीवन और मिशन पर पुस्तकों की खरीद के लिए प्रत्येक पात्र कालेज को रु॰ 5,000 का अनुदान उपलब्ध कराया है । यह राशि आठवीं योजना विकास सहायता के अतिरिक्त है । इसके अतिरिक्त, इन समारोहों के भाग के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों को महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार करने के लिए संगोष्ठियाँ/परिचर्चाएँ आयोजित करने हेतु रु॰ 75,000 (प्रत्येक) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ।

8.2 बौद्ध अध्ययन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बौद्ध अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों को योजनागत आबंटित राशि के अधीन शत-प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31.03.1996 तक बौद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए पाँच विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की । बौद्ध अध्ययनों की एक पीठ भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है ।

8.3 नेहरू अध्ययन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्धारित किया है कि जो विश्वविद्यालय गांधी अध्ययनों पर कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं वे अपने कार्यक्रमों में नेहरू अध्ययनों को भी शामिल कर सकते हैं ताकि आधार-संरचना का विस्तार न हो । तदनुसार, जिन विश्वविद्यालयों में गांधी अध्ययन केंद्र स्थित हैं वे नेहरू अध्ययन कार्यक्रम भी संचालित कर रहे हैं । इसका उद्देश्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नेहरू दर्शन एवं दृष्टिकोण तथा उनके विचारों की प्रासंगिकता का ज्ञान कराना है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेहरू अध्ययन कार्यक्रमों के लिए भी शत प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता है । 31.03.96 तक वि०अ०आ० ने नेहरू अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए तीन विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराई ।

गांधी/नेहरू/बौद्ध अध्ययनों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत इन अध्ययनों के लिए केंद्र और पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने, 3 से 6 महीने तक की अवधि वाले अंशकालिक पाठ्यक्रम संचालित करने, इन अध्ययनों पर पाठ्यक्रम या पेपर संचालित करने वाले अन्य विभागों को शिक्षण सहायता प्रदान करने, अनुसंधान कार्य करने तथा संगोष्ठियाँ आदि आयोजित करने के लिए यू०जी०सी० से सहायता प्राप्त की जा सकती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना अवधि के दौरान एक बार विशेषज्ञ-निरीक्षण समितियों के माध्यम से इन केंद्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन कराता है । यदि केंद्र का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वि०अ०आ० द्वारा दी गई सहायता को बंद किया जा सकता है ।

8.4 क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र (भंजा साहित्य)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र, भंजा साहित्य के लिए बरहामपुर विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान करता रहा है । यह केंद्र क्षेत्रीय साहित्य विशेषतः उपेंद्र भंजा के साहित्य से संबंधित अनुसंधान सामग्री एकत्र कर रहा है ।

8.5 मणिपुरी अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र तथा जनजातीय अध्ययन केंद्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के दो केंद्रों को सहायता प्रदान करता रहा है । इनमें से एक को मणिपुरी भाषा, साहित्य, संस्कृति, पांडुलिपि विज्ञान आदि के विषय में अनुसंधान करने और दूसरे को मणिपुर के जनजातीय विकास के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों की अंतःविद्याशाखा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

8.6 मूल्यपरक शिक्षा

मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों में समान रूप से उन सभी वांछनीय मूल्यों के प्रति बढ़ावा देना है जो राष्ट्रीय अस्मिता, शांतिप्रिय एवं सामंजस्यपूर्ण समाज को कायम रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं । आमतौर पर यह देखने में आया है कि शिक्षा प्रणाली में मूल्य-शिक्षा संबंधी अपेक्षाएँ पर्याप्त रूप से पूरी नहीं की जा रही हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि वे मूल्य तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं जिनके आधार पर नागरिकों के व्यवहार और राष्ट्रीय जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण होता है । अत: मूल्यपरक शिक्षा की योजना विश्वविद्यालयों और कालेजों को मूल्य-शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है ।

इस योजना के अंतर्गत मूल्य-शिक्षा के औपचारिक पाठ्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध नहीं की जा सकती । लेकिन, विशेष रूप से तैयार किए गए उन्हीं कार्यक्रमों को निर्धारित अवधि अर्थात् 2 या 3 वर्ष के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा । विश्वविद्यालय से यह आशा की जाती है कि वह एक या दो ऐसे संकाय सदस्यों का पता लगाएगा जो मूल्य-शिक्षा में रुचि रखते हों और जो इस संबंध में एक परियोजना प्रस्ताव तैयार कर सकें । नेमी कार्यों यथा - मूल्यपरक पुस्तकें प्रकाशित कराने या साहित्य की नेमी तैयारी या वितरण करने अथवा दूरवर्ती स्थानों के लिए अध्ययन दौरे आयोजित करने के लिए सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।

० ० ० ० ०

अध्याय IX

तकनीकी, इंजीनियरी, प्रबंध तथा कम्प्यूटर शिक्षा का विकास

9.1 इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि उनके इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभाग इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान में कार्यक्रम संचालित कर सकें । यह सहायता अकादमिक भवनों एवं छात्रावासों के निर्माण, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के सुधार तथा संकाय को सुदृढ़ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 1995-96 के दौरान आयोग ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) की सिफारिशों/विचारों के लिए एम०ई०/एम०टेक० पाठ्यक्रम शुरू करने के वास्ते निम्नलिखित तीन विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव भेजे :-

सारणी 9.1

क्र०सं०	विश्वविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम
1.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	(क) यंत्रीकरण इंजीनियरी विभाग में एम०ई० (प्रक्रम नियंत्रण तथा यंत्रीकरण)
2.	आई०एस०एम०, धनबाद	(क) शैल उत्खनन इंजीनियरी में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
3.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन	(क) पर्यावरण इंजीनियरी में एम०टेक० (ख) औद्योगिक उत्प्रेरण में एम०टेक० (ग) आवास इंजीनियरी तथा निर्माण प्रबंध में एम०टेक०

वर्ष 1995-96 के दौरान आयोग ने इस योजना के तहत 42 विश्वविद्यालयों को रु॰ 1,437.38 लाख का अनुदान प्रदान किया । आयोग ने इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अनुमोदित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए 4 विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान भी उपलब्ध कराया । ये विश्वविद्यालय हैं - अन्ना विश्वविद्यालय (मद्रास), थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (पटियाला), बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (मेसरा) तथा भूकंप इंजीनियरी स्कूल (रुड़की विश्वविद्यालय) ।

9.2 विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधाओं और कम्प्यूटर शिक्षा का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कम्प्यूटर सुविधाओं की स्थापना और उन्नयन/वृद्धि के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है । वर्ष 1995-96 के दौरान आयोग ने निम्नलिखित चार विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर केंद्र स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया :-

1. रुहेलखंड विश्वविद्यालय
2. मनोनमनियम सुंदरानर विश्वविद्यालय
3. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
4. गांधीग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट

इस प्रकार वर्ष 1995-96 के अंत तक कम्प्यूटर केंद्र स्थापित करने के लिए आयोग ने 118 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की ।

इस क्षेत्र में मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रम यथा - कम्प्यूटर अनुप्रयोग मास्टर (एम सी ए) कम्प्यूटर विज्ञान में एम॰एससी॰ कम्प्यूटर विज्ञान में बी टेक/बी ई तथा कम्प्यूटर विज्ञान में एम॰टेक॰/एम॰ई॰ आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करता रहा है । वर्ष के दौरान आयोग ने गांधीग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट तथा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में एम॰ सी॰ ए॰ पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया और वह गोवाहाटी विश्वविद्यालय में एम॰एससी॰ (कम्प्यूटर विज्ञान) पाठ्यक्रम लागू करने के लिए भी सहमत हो गया । इस प्रकार 31.03.1996 तक वि॰अ॰आ॰ इन कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए 73 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा था ।

9.3 कालेजों में कम्प्यूटर सुविधाएँ

आयोग वैयक्तिक कम्प्यूटर, डोट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्टेबिलाइजर तथा संगत प्रणाली और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए प्रति कालेज रु०1.25 लाख की सहायता उपलब्ध कराता रहा है ।

इस योजना का उद्देश्य प्रशासन, वित्त, परीक्षा तथा अनुसंधान में कम्प्यूटरों के प्रयोग के बारे में छात्रों और शिक्षकों/स्टाफ को बोध कराना है । वर्ष के दौरान, आयोग ने 67 कालेजों का - प्रति कालेज रुपए 1.25 लाख का अनुदान अनुमोदित किया । लेकिन कम्प्यूटर शिक्षा तथा विकास की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रति कालेज की सहायता की सीमा रु 1.5 लाख तक बढ़ा दी गई । इस संशोधित सीमा के आधार पर पेंटियम-आधारित व्यक्तिगत कम्प्यूटर प्राप्त करने के लिए सहायतार्थ 202 कालेजों का अनुमोदन किया गया । इस प्रकार 31.03.1996 तक कम्प्यूटर प्राप्त करने के लिए सहायतार्थ 1983 कालेजों का अनुमोदन किया गया, जिनका राज्यवार वितरण सारणी 9.2 में दिया गया है :-

सारणी 9.2

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कालेजों की संख्या
आंध्र प्रदेश	149
अरुणाचल प्रदेश	01
असम	39
बिहार	85
दिल्ली	38
गोवा	05
गुजरात	104
हरयाणा	96
हिमाचल प्रदेश	27
जम्मू और कश्मीर	21
कर्नाटक	101
केरल	126
मध्य प्रदेश	123
महाराष्ट्र	281
मणिपुर	09
मेघालय	04
उड़ीसा	72
पांडिचेरी	04
पंजाब	150
राजस्थान	79
तमिलनाडु	123
त्रिपुरा	03
उत्तर प्रदेश	222
पश्चिम बंगाल	121
जोड़	**1983**

9.4 कालेज शिक्षकों का प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1993-94 के दौरान उन कालेजों में कम्प्यूटर के प्रयोग में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक योजना तैयार की जिन्हें कम्प्यूटरों की खरीद के लिए वि०अ०आ० द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी । जिन विश्वविद्यालयों के निकट ये कालेज थे उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया ।

वर्ष 1995-96 के दौरान आयोग ने 16 विश्वविद्यालयों में संचालित किए जाने के लिए 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित किए । इस प्रकार, 1995-96 के अंत तक आयोग द्वारा 109 प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित किए गए ।

9.5 स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर अनुप्रयोग

वर्ष 1992-93 में शुरू की गई एक योजना के अधीन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातकोत्तर स्तर पर उन विषयों में एक अतिरिक्त प्रश्न पत्र (पेपर) शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराता है जिनमें कम्प्यूटरों का अनुप्रयोग करना परमावश्यक हो गया है । इस योजना के अंतर्गत पहली बार में भौतिकी, रसायन, गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञानों, अर्थशास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान तथा वाणिज्य जैसे विषयों का पता लगाया गया है ।

इस योजना के अंतर्गत 31.03.96 तक 13 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई ।

9.6 प्रबंध अध्ययनों का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रबंध में कार्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराता रहा है । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर एम बी ए कार्यक्रम को शामिल करने के लिए तीन और विश्वविद्यालयों का अनुमोदन किया । इस प्रकार, 31.03.96 को आयोग इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए 61 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को सहायता उपलब्ध करा रहा था ।

वर्ष 1995-96 के दौरान, इस कार्यक्रम के अधीन रु० 230.76 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

० ० ० ० ०

अध्याय X

अनौपचारिक शिक्षा

10.1 प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा

प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा का लक्ष्य यह है - निरक्षरता का उन्मूलन, अनुवर्ती शिक्षा का संवर्धन, जनसंख्या शिक्षा का संवर्धन, विधिक साक्षरता का संवर्धन, विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी, विज्ञान शिक्षा और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सहायता तथा अन्य कल्याण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का संवर्धन ।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आलोच्य वर्ष के दौरान संशोधित मार्ग-निर्देशों के आधार पर सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के कार्यान्वयनके लिए विश्वविद्यालयों को उनके प्रौढ़ शिक्षा, अनुवर्ती शिक्षा तथा विस्तार शिक्षा विभागों के माध्यम से वित्तीय सहायता देता रहा है । इन संशोधित मार्ग-निर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों/विश्वविद्यालयों के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन/परिवीक्षण प्रणाली शुरू की जानी चाहिए । फिलहाल, ऐसी एजेंसियों की संख्या 13 है ।

वर्ष 1995-96 के अंत में इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष रु॰ 1 लाख की सीमा निर्धारित कर दी गई है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रव्यापी साक्षरता आंदोलन के लिए पूर्णकालिक आधार पर भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (बी जी वी एस) के साथ काम करने के लिए विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर रहा है और प्रतिनियुक्त शिक्षक के एवज़ी का वेतन दे रहा है ।

10.2 जनसंख्या शिक्षा - जनसंख्या पर यू जी सी - यू एन एफ पी ए परियोजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 1983 से विश्वविद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के संवर्धनार्थ विश्वविद्यालयों/कालेजों की सहायता करता रहा है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और उनके माध्यम से समुदाय को परिवार के आकार, जीवन की गुणवत्ता, समुदाय और राष्ट्र पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का स्पष्ट बोध कराना है । चुनिंदा विश्विद्यालयों में प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा

विभागों में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यू एन एफ पी ए) के साथ एक संयुक्त परियोजना शुरू की गई थी जिसके एक भाग के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12 जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्र स्थापित किए हैं । ये केंद्र विभिन्न गति-विधियों यथा सामग्री विकास, पाठ्यचर्या विकास और कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम का परिवीक्षण एवं मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय/कालेजों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं ।

लेखकों की अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और इन केंद्रो ने आवश्यकता-आधारित अधिगम सामग्री तैयार की जिसमें जनसंख्या शिक्षा में जीवन की गुणवत्ता का उल्लेख किया गया । इस सामग्री को जनंसख्या शिक्षा क्लबों के उपयोगार्थ कालेजों तथा सेवा क्षेत्रों में वितरित किया गया । इन कार्यशालाओं के दौरान तैयार की गई अधिगम सामग्री तथा छात्रों द्वारा तैयार किए गए नारे और चाक्षुष सामग्री जनसंख्या संबंधी जानकारी की प्रेरणा देने के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई है । प्रिंसिपलों, कार्यक्रम अधिकारियों, छात्रों, छात्र नेताओं तथा सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनेक अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए । इन कार्यक्रमों से युवकों तथा सामाजिक नेताओं को अधिक सहभागिता जुटाने में पर्याप्त सहायता मिली है तथा जनंसख्या शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए सशक्त आधार विकसित हुआ है । इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किए गए प्रशिक्षण का कालेजों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है जैसाकि लोगों की इच्छा एवं रुचि तथा अन्य कालेजों से ऐसे और अधिक कार्यक्रमों के लिए की गई माँग से पता चलता है ।

पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में जनसंख्या शिक्षा के संघटकों को एकीकृत करने के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं । प्रारंभ में इसके लिए जनसंख्या गतिशीलता से संबंधित चुनिंदा विषयों यथा – परिवार का आकार, बच्चों के जन्म के बीच अंतराल, विवाह की आयु आदि को शामिल किया गया है । विषय क्षेत्र का शनैः शनैः विस्तार किया गया है और उसमें कुछ और विषय यथा – स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, पोषण, मादक द्रव्यों का सेवन, एड्स की जानकारी तथा पर्यावरण संबंधी समस्याएँ शामिल किए गए हैं ताकि जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा सके ।

सेवा क्षेत्र में समाज-आधारित गतिविधियों में प्रदर्शन व्याख्यानों से लेकर, वीडियो शो, लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, समुदाय क्विज़ कार्यक्रम तथा चित्रकारी प्रतियोगिताएँ शामिल हैं ।

जहाँ भी संभव था, साक्षरता को जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों से जोड़ने के प्रयास किए गए । कुछ सामुदायिक विस्तार कार्यक्रमों में महिलाओं तथा बच्चों के लिए प्रतिरोध क्षमता शिविरों, और सामाजिक बुराइयों यथा - दहेज, बाल विवाह आदि विषयों पर विचार-विमर्श तथा निर्णय लेने आदि के लिए शिविरों का आयोजन करना शामिल था । कालेजों ने निकटवर्ती समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया । उनके कार्यक्रमों के संबंध में कालेजों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि छात्रों ने उन कार्यक्रमों में सक्रिय एवं स्वेच्छा से भाग लिया और उन्होंने जनसंख्या शिक्षा से संबंधित बोध और जानकारी प्राप्त की ।

जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों ने सर्वेक्षण भी कराए और जनसंख्या, शिक्षा, एड्स आदि के बारे में कालेज छात्रों के ज्ञान जैसे मुद्दों पर अनुसंधान रिपोर्टें प्रस्तुत कीं ।

10.3 दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार पाठ्यक्रम

दूरस्थ शिक्षा को पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा का मिला-जुला रूप कहा जा सकता है । उच्च शिक्षा के कुल नामांकन में दूरस्थ शिक्षा का नामांकन लगभग 12 प्रतिशत है । उसको देश की शैक्षिक स्थिति की नवीन वास्तविकता कहा जा सकता है । 31.03.1996 को 44 विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहे थे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों (सी सी आई) का उन्नयन दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (डी ई एम) में करने के लिए बीज राशि के रूप में रु॰10 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराता है । प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद सतत आधार पर अतिरिक्त सहायता उपलब्ध की जा सकती है । वर्ष 1995-96 के दौरान आयोग ने 44 पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों को अब तक रु॰ 100.00 लाख की सहायता प्रदान की है और उतनी ही राशि संबंधित विश्वविद्यालय ने अपने स्रोतों से जुटाई है । आयोग ने विशेषत: मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री को दूरस्थ शिक्षा फार्मेट में बदलने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन भी किया ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने शिक्षण की नवीनतम बहु-इलैक्ट्रिक मीडिया तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है । तद्नुसार गत दो वर्षों के दौरान लागू मार्ग-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने वर्तमान पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों (सी सी आई) को उन्नत कर दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में बदल दें और 9वीं योजना के दौरान उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को अंतरित कर दें ।

ओडियो, वीडियो, रेडियो तथा दूरदर्शन सुविधाओं की सहायता से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा रहा है । विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की मदद के लिए चार क्षेत्रों (प्रत्येक) में दृश्य-श्रव्य संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं । उत्तरी क्षेत्र का केंद्र हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कार्यक्रम तैयार कर रहा है । पश्चिमी क्षेत्र स्थित केंद्र मराठी, गुजराती और कन्नड़ में कार्यक्रम विकसित कर रहा है । दक्षिणी क्षेत्र का केंद्र तमिल, तेलुगु और मलयालम में और पूर्वी क्षेत्र का केंद्र उड़िया, बंगला तथा असमिया में कार्यक्रम तैयार कर रहा है ।

० ० ० ० ०

अध्याय XI

शिक्षण और अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है जो शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को उनके विषयों के अद्यतन विकास से अवगत रखने तथा उनकी व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं । इन सभी कार्यक्रमों से विभिन्न विद्याशाखाओं में मानव संसाधन की श्रीवृद्धि करने में सहायता मिली है । इन कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

11.1 संगोष्ठियाँ, परिचर्चाएँ, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ आदि

संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातकोत्तर कालेजों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल संगोष्ठियाँ, परिचर्चाएँ, सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करता है । इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता की मात्रा में वर्ष 1995-96 के दौरान संशोधन किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है :

i)	संगोष्ठी	-	रु॰ 20,000
ii)	राज्यस्तरीय सम्मेलन	-	रु॰ 35,000
iii)	राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन	-	रु॰ 50,000
iv)	अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन	-	रु॰ 50,000

अनुमोदित मानकों के अनुसार विश्वविद्यालयों की "असमनुदेशित अनुदान" योजना के अंतर्गत इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । आयोग "नीपा" जैसी विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं द्वारा आयोजित इसी प्रकार के कार्यकलापों में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता भी प्रदान करता है ।

11.2 राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों में काम करने वाले उत्कृष्ट प्रोफेसर न्यूनतम शिक्षण जिम्मेदारियों के साथ अनुसंधान और अध्ययन कार्य कर सकते हैं । इस अध्येतावृत्ति के लिए केवल वे प्रोफसर पात्र हैं जिनकी आयु नामन के समय 55 वर्ष से कम है और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार अपनी अधिवर्षिता से पहले कम से कम दो वर्ष तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं । किसी नियत अवधि के दौरान पचास स्थान उपलब्ध हो सकते हैं । वर्ष 1993-94 के दौरान आयोग ने कालेजों के उत्कृष्ट शिक्षकों पर भी इस योजना को लागू किया ।

अध्येतावृत्ति अवधि के दौरान अध्येतावृत्ति प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सचिवालयीन सहायता, यात्रा तथा आकस्मिक व्यय के लिए प्रतिवर्ष रु॰ 20,000 के अव्यपगतनीय अनुदान के अतिरिक्त, सामान्य वेतन, भत्ते तथा प्रतिमास रु॰ 600 का अध्येतावृत्ति भत्ता भी मिलता है । वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के तहत कोई चयन नहीं किया गया ।

11.3 अभ्यागत एसोशिएटशिप

आयोग में अभ्यागत एसोशिएटशिप की एक योजना चल रही है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कालेजों के उत्कृष्ट शिक्षकों को अल्पावधि के लिए उच्च अध्ययन संस्थानों तथा अनुसंधान केंद्रों में दौरा करने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे अपनी रुचि के क्षेत्रों में हुए अद्यतन विकासों से अवगत हो सकें । इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 100 स्थान (स्लाट) उपलब्ध होते हैं ।

एसोशिएटशिप का कार्यकाल दो वर्ष का होता है जिसके दौरान उम्मीदवार को मेजबान संस्था में कम से कम 60 दिन (दो-तीन बार में) व्यतीत करने पड़ते हैं । आयोग अभ्यागत एसोशिएट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उसकी मूल संस्थान से मेजबान संस्था तक का वास्तविक यात्रा व्यय देता है । हवाई किराया नहीं दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, रीडर और प्रोफेसर को रु॰ 100 प्रतिदिन और लेक्चरार को रु॰ 75 प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है । सहायता की अधिकतम सीमा लेक्चरार के मामले में प्रति वर्ष रु॰ 15000 और रीडर तथा प्रोफेसर के मामले में रु॰ 25000 है ।

वर्ष 1995-96 के दौरान 49 अभ्यागत एसोशिएटशिपें प्रदान की गईं ।

11.4 अतिथि/अंशकालिक शिक्षक

विश्वविद्यालय और कालेज अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति अपवाद रूप से ऐसे विशेषीकृत क्षेत्रों/विषयों में करते हैं जिनमें शिक्षण को पूर्णता प्रदान करने के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है । यह नियुक्ति ऐसी स्थिति में भी की जाती है जहाँ कार्यभार इतना नहीं होता कि पूरे शैक्षिक वर्ष के लिए पूर्णकालिक नियमित शिक्षक की नियुक्ति उचित समझी जाए । यदि प्रति सप्ताह कार्यभार 7-10 घंटे हो तो ऐसे शिक्षकों को रु॰ 1000 प्रति मास का मानदेय दिया जाता है ।

11.5 अभ्यागत प्रोफेसर/अध्येता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को मानदेय/भत्ते के आधार पर अभ्यागत प्रोफसरों/ अध्येताओं की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । अभ्यागत प्रोफेसर को देय मानदेय की राशि रु॰ 5000 प्रतिमास तक होती है जबकि अभ्यागत अध्येता को रु॰ 200 का दैनिक भत्ता दिया जाता है । इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को दी जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण उसे आठवीं योजना में सामान्य विकास के लिए आबंटित की गई राशि के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है ।

आयोग ने वर्ष 1990-91 से विश्वविद्यालयों में अभ्यागत संकाय के कुछ पद बनाए है ताकि कश्मीर विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कालेजों के शिक्षकों को शिक्षण/अनुसंधान कार्य सौंपा जा सके । इनको 'क' 'ख' और 'ग' वर्गों में विभाजित किया गया है । शिक्षकों को प्रतिमास क्रमशः रु॰ 2500, रु॰ 3000 और रु॰ 4500 का समेकित मानदेय दिया जाता है । ये शिक्षक उपर्युक्त मानदेय के अतिरिक्त, अपने मूल विश्वविद्यालय और कालेजों से वेतन पाने के हकदार भी रहते हैं । अभ्यागत संकाय का कार्यकाल एक शैक्षिक वर्ष है । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने यह निर्णय लिया कि जो योजना 31 दिसंबर, 1996 तक लागू है उसे जारी रखा जाए और प्रत्येक मामले की जाँच उसके गुण-दोषों के आधार पर की जाए ।

आयोग के पास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी और फारसी के पारंपरिक स्कालरों को विश्वविद्यालय तंत्र में शामिल करने की योजना भी है । इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी और चुने हुए पारंपरिक स्कालरों को अभ्यागत प्रोफेसरों के समान मानदेय दिया जाता है । चुने गए स्कालर निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों और अनुसंधान स्कालरों को परामर्श, मार्गदर्शन और व्याख्यान तथा अनौपचारिक वार्ता देने के लिए उपलब्ध होंगे । यदि कुछ स्कालर अपनी जीवन शैली के कारण अपअपना निवास स्थान छोड़ने में असमर्थ हों तो विश्वविद्यालय/कालेज के शिक्षक और शोध छात्र मार्गदर्शन और परामर्श के लिए उनके पास जा सकेंगे जिसके लिए उन्हें उचित यात्रा/दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

11.6 शिक्षक अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक वर्ष की अल्पकालीन शिक्षक अध्येतावृत्ति प्रदान करता है ताकि संबद्ध कालेजों के शिक्षक एम.फिल. या पीएच.डी. कर सकें । इस योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :-

i) यह योजना केवल ऐसे कालेजों पर लागू होगी जो आठवीं योजना के दौरान विकास सहायता पाने के हकदार हैं ।

ii) प्रत्येक कालेज में प्रत्येक 5 स्थायी शिक्षकों को एक वर्ष की अवधि की एक शिक्षक अध्येतावृत्ति दी जाएगी । लेकिन ऐसी अध्येतावृत्तियों की अधिकतम संख्या 8 होगी ।

iii) शिक्षकों का चुनाव एक चयन समिति करेगी जिसका गठन इसी प्रयोजन से किया जाएगा ।

शिक्षकों को प्रतिमास रु॰ 750 का निर्वाह भत्ता और अनुसंधान केंद्र से जाने-आने का यात्रा भत्ता दिया जाता है । इस योजना के तहत मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषयों में प्रतिवर्ष रु॰ 5000 तथा विज्ञान विषयों में प्रतिवर्ष रु॰ 7500 तक का आकस्मिक अनुदान दिया जाएगा ।

11.7 अनुसंधान वैज्ञानिकवृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान नामिकाओं के संयोजकों तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों में मानकों से संबंधित समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1983-84 में अनुसंधान वैज्ञानिकों की एक योजना शुरू की थी । इस योजना का उद्देश्य विज्ञानों, इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों में उच्च कोटि के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को अवसर प्रदान करते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान वैज्ञानिकों का एक काडर बनाना है । अनुसंधान वैज्ञानिकों के स्थान उन उम्मीदवारों के लिए हैं जिनके पास डाक्टरेट की डिग्री है और जो उत्कृष्ट शैक्षिक/अनुसंधान योग्यता वाले हैं । इस योजना के तहत किसी भी नियत समय पर 200 स्थान उपलब्ध होते हैं । उम्मीदवारों को रु॰ 2300-3500 और रु॰ 4000-6500 के दो स्लैबों में रखा जाता है । अनुसंधान वैज्ञानिकों को समय-समय पर लागू अतिरिक्त मँहगाई भत्ता भी दिया जाता है । यह अवार्ड पाँच वर्ष के लिए है और इसकी अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता । बहरहाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च 1995 में हुई अपनी एक बैठक में एक निर्णय लिया जिसके अनुसार वे अनुसंधान वैज्ञानिक जो वर्ष 1993 में इस योजना के

संशोधन से पहले काम कर रहे थे, अपनी अधिवर्षिता तक काम करते रहेंगे लेकिन तीन विशेषज्ञों वाली एक समिति इसकी समीक्षा करेगी । पुरानी योजना (1993 से पहले) के अधीन काम करने वाले अनुसंधान वैज्ञानिकों की संख्या 115 थी और नई योजना के अधीन यह संख्या 24 है ।

11.8 विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों में शिक्षकों के लिए लघु एवं बृहत् अनुसंधान परियोजनाएँ

आयोग अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों को लघु या बृहद् परियोजनाएँ शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करता है । विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में बृहत् अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना रु॰ 7 लाख और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में प्रति परियोजना रु॰ 5 लाख है बृहद् परियोजना की अवधि तीन वर्ष होती है और उसके बीच उसका परिवीक्षण भी किया जाता है । उपयुक्त मामलों में परियोजना की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है । लघु अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी विषयों के लिए सहायता की मात्रा प्रति परियोजना रु॰ 40,000 और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए प्रति परियोजना रु॰ 30,000 है ।

लघु अनुसंधान परियोजना की अवधि दो वर्ष है जिसे आयोग के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है । योजना में यह व्यवस्था की गई है कि बृहद् परियोजना किसी भी सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा 70 वर्ष की आयु तक हाथ में ली जा सकती है ।

वि॰अ॰आ॰ द्वारा बृहत् अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं, अनुसंधान एसोशिएटों की नियुक्ति, क्षेत्रीय दौरे, उपस्कर, परिकलन, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, आकस्मिक व्यय तथा परियोजनाओं के वास्ते अपेक्षित अन्य मदों के लिए निधीयन शामिल है । लघु परियोजनाओं के मामलों में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता/अनुसंधान एसोशिएटों को छोड़कर उपर्युक्त सभी मदों के लिए वि॰अ॰आ॰ द्वारा निधीयन किया जाता है । इन सभी परियोजनाओं का परिवीक्षण नियमित रूप से किया जाता है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान वि॰अ॰आ॰ द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या और जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा सारणी 11.1 में दिया गया है :-

सारणी 11.1

बृहत् एवं लघु अनुसंधान परियोजनाएँ, 1995-96

	योजना	अनुमोदित परियोजनाएँ	प्रदत्त अनुदान* (रु० लाख में)
बृहत् अनुसंधान परियोजनाएँ			
1.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	80	210.91
2.	विज्ञान	52	441.80
3.	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	53	12.01
लघु अनुसंधान परियोजनाएँ			
1.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	36	5.39
2.	विज्ञान	54	12.46
3.	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	2	1.22

* इन आंकड़ों में नई परियोजनाओं तथा चालू परियोजनाओं के अनुदान शामिल हैं ।

आलोच्य वर्ष के दौरान जैव विज्ञानों में मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं का एक मध्य-कालीन समूह परिवीक्षण आयोजित किया गया । 73 प्रधान अन्वेषकों ने अपना कार्य प्रस्तुत किया । इस परिवीक्षण के आधार पर 26 मामलों में निर्धारित तीन वर्ष से अधिक अवधि और/या अतिरिक्त अनुदानों के लिए सिफारिश की गई जिसमें रु०10.94 लाख की वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल थी ।

11.9 भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की रचना

वि०अ०आ० 1970-71 से इस योजना को चला रहा है । इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्रों के लिए उच्च कोटि की पुस्तकों, मोनोग्राफ एवं अन्य संदर्भ सामग्री तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों एवं उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की अन्य संस्थाओं के उत्कृष्ट शिक्षाविदों तथा स्कालरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । पुस्तकें अंग्रेजी या हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखी जा सकती हैं ।

इस योजना को वि०अ०आ० और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एन.बी.टी.) मिलकर चला रहे हैं । पुस्तकों के इमदादी प्रकाशन की योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पांडुलिपि तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उपयुक्त पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायिकी प्रदान करता है ।

आयोग ने पुस्तकें तैयार करने के लिए प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने हेतु पिछले वर्ष से कोर ग्रुप गठित किए हैं । ये कोर ग्रुप प्रस्तावित पुस्तकों के विषय-संक्षेप का मूल्यांकन करने के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों को नामित करते हैं या इन विषय-संक्षेपों को स्वयं निपटा देते हैं । इसके अतिरिक्त, इन ग्रुपों से यह भी आशा की जाती है कि वे उन क्षेत्रों/विषयों का पता लगाएँ जिनमें अधिक पुस्तकें प्रकाशित किए जाने की जरूरत है और उन लेखकों के नाम की सिफारिश करें जो ऐसी पुस्तकें लिख सकते हैं । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने पुस्तकें तैयार करने के लिए 145 प्रस्ताव प्राप्त किए जिनको प्रक्रमित किया गया । इनमें से अधिसंख्य प्रस्तावों को मई, 1996 के प्रथम सप्ताह में अंतिम रूप दिया गया । वर्ष 1995-96 के दौरान पहले अनुमोदित किए गए प्रस्तावों के लिए रु० 422 लाख का अनुदान दिया गया ।

11.10 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलनों में शोध लेख प्रस्तुत करने तथा अन्य देशों में शिक्षा संस्थाओं के कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों को आंशिक सहायता उपलब्ध कराता है । पिछले कुछ वर्षों से अनुसंधान एसोशिएटों और अनुसंधान वैज्ञानिकों को भी यह सुविधा दी जाने लगी है । आयोग कालेज शिक्षकों के लिए यात्रा अनुदान समिति गठित करता है जो इस संबध में प्राप्त किए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन प्रत्येक महीने करती है । इस योजना के अधीन किसी शिक्षक को 60 वर्ष की आयु तक तीन वर्ष में एक बार यह सहायता प्रदान की जा सकती है । वर्ष 1995-96 के दौरान 97 शिक्षकों के प्रस्तावों को सहायतार्थ अनुमोदित किया गया ।

आलोच्य वर्ष के दौरान, आयोग ने यह निर्णय लिया कि कुलपतियों को वि०अ०आ० की असमुदेशित अनुदान योजना के अतिरिक्त तीन वर्ष में एक बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए शत-प्रतिशत आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है । वर्ष 1995-96 के दौरान 15 कुलपतियों के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए ।

11.11 वृत्तिक अवार्ड

इस योजना का उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली युवा शिक्षकों का पता लगाना है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं है (महिलाओं के विषय में 50 वर्ष) ताकि वे शिक्षण कार्य के प्रति कम दायित्वों के साथ अपने को अनुसंधान कार्य में लगा सकें । साधारणत: ये वृत्तिक अवार्ड विश्वविद्यालय/कालेज में उन लेक्चरारों और रीडरों को तीन वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं जिनके पास डाक्टरेट/डाक्टरेटोत्तर अथवा कोई अन्य इसके समकक्ष व्यावसायिक डिग्री हो ।

प्रतिवर्ष 55 स्थान उपलब्ध होते हैं - सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी (भाषा सहित) के लिए 25, विज्ञानों के लिए 25 और इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के लिए पाँच । वि०अ०आ० वृत्तिक अवार्ड पाने वालों के वेतन और भत्ते का व्यय वहन करता है और अवार्ड की अवधि के दौरान अनुसंधान अनुदान (विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए रु० 2 लाख तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए रु० 1.5 लाख) भी प्रदान करता है । ये चयन आयोग द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिशें के आधार पर किए जाते हैं । वर्ष 1995-96 के दौरान वि०अ०आ० ने निधियों की अत्यधिक कमी के कारण कोई अवार्ड प्रदान नहीं किया । बहरहाल, पिछले बैचों के वृत्तिक अवार्डों पर वर्ष 1995-96 के दौरान रु० 77.96 लाख खर्च किए गए ।

11.12 इमेरिटस अध्येतावृत्ति

इमेरिटस अध्येतावृत्ति विश्वविद्यालयों के उन उच्च योग्यताप्राप्त सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को प्रदान की जाती है जो अपने सेवाकाल में अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप में रत रहे हैं ताकि वे अपने विशेषज्ञता क्षेत्रों में सक्रिय रूप में अनुसंधान कार्य कर सकें तथा अपनी सेवाओं का उपयोग वि०अ०आ० के कार्यक्रमों का परिवीक्षण करने के लिए कर सकें । यह अध्येतावृत्ति दो वर्ष के लिए या अध्येतावृत्ति पाने वाले की 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है । अध्योतावृत्ति पाने वाले को सामान्य अधिवर्षिता हितलाभों के अतिरिक्त रु० 4000 प्रति मास की अध्येतावृत्ति तथा रु० 20000 प्रतिवर्ष का अव्यपगतीय आकस्मिक अनुदान मिलता है । यह राशि उसके पिछले पद से संबंधित भविष्य निधि/ पेंशन आदि से अतिरिक्त होती है । किसी एक नियत समय में उपलब्ध अध्येतावृत्तियों की कुल संख्या 100 होती है । वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के अंतर्गत निधियों की अत्यधिक कमी के कारण कोई चयन नहीं किया गया । बहरहाल, पिछले चुने गए व्यक्तियों में से 94 अध्येताओं को निधियाँ उपलब्ध कराई गईं ।

11.13 अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण व्यवसाय और अनुसंधान कार्य में प्रवेशार्थियों के न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है । यह परीक्षा वर्ष में दो बार ली जाती है । विज्ञान विषयों की परीक्षा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) के संयुक्त सहयोग से आयोजित की जाती है । जो उम्मीदवार अनुसंधान करना चाहते हैं उनके लिए पाँच वर्ष के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे आर एफ) उपलब्ध है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, विश्वविद्यालयों को अनेक अध्येतावृत्तियाँ आबंटित की हैं । फिर भी, आयोग आबंटित कोटा के अतिरिक्त, अधिसंख्य अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करता रहता है ताकि सभी अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों को शामिल किया जा सके । पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'गेट' उत्तीर्ण उम्मीदवारों को जे आर एफ प्रदान कर रहा था लेकिन आलोच्य वर्ष के दौरान यह निर्णय लिया गया कि 'गेट' उत्तीर्ण जिन उम्मीदवारों ने 30.11.1995 के बाद कार्यग्रहण किया है वे जे आर एफ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे ।

एक सारणी नीचे दी जा रही है जिसमें उन उम्मीदवारों की संख्या दी गई है जिन्होंने वर्ष 1995-96 के दौरान मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों में जे आर एफ तथा लेक्चरारशिप की परीक्षा उत्तीर्ण की थी :-

सारणी 11.2

परीक्षा	तारीख	पंजीकृत उम्मीदवार	परीक्षा में बैठे उम्मीदवार	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति तथा लेक्चरार पद के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवार	केवल लेक्चरार पद के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवार
मानविकी एवं	जुलाई, 95	32254	24217	346	899
सामाजिक विज्ञान	दिस०, 95	42568	31837	398	935
	जोड़	**74822**	**56054**	**744**	**1834**

11.14 इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ

वि०अ०आ० प्रतिवर्ष कृषि इंजीनियरी सहित इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 60 अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करता है ताकि उच्च अध्ययन और अनुसंधान कार्य करके पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की जा सके । इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/फार्मेसी में 55 प्रतिशत अंक सहित मास्टर की डिग्री है । इस अध्येतावृत्ति को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के पास बी०ई०/बी०टेक० की डिग्री का होना या इंजीनियरी के लिए ग्रेजुएट अभिवृत्ति परीक्षा (गेट) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य शर्त नहीं है ।

इस अध्येतावृत्ति को प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है । महिला एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है ।

वर्ष 1995-96 के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा था ।

11.15 अनुसंधान एसोशिएटशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञानों, मानविकी विषयों, सामाजिक विज्ञानों, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी एवं गांधी अध्ययनों, नेहरू अध्ययनों तथा राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए उन व्यक्तियों को प्रतिवर्ष अनुसंधान एसोशिएटशिपें प्रदान करता है जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान अपनी पीएच.डी. पूरी कर ली है और स्वतंत्र पश्च-डाक्टरेट अनुसंधान कार्य के लिए प्रतिभा एवं योग्यता प्रदर्शित की है । इसके लिए अवार्ड वर्ष की 1 जुलाई को पुरुष उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । उन अनुसंधान-कर्ताओं/शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शोध रचनाएँ प्रकाशित की हैं ।

प्रतिवर्ष 260 स्थान उपलब्ध होते हैं जिनमें से 150 स्थान सामान्य उम्मीदवारों के लिए, 40 स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, 30 विकलांगों के लिए और 40 अंशकालिक एसोशिएटशिपें उन महिला उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं जो पूर्णकालिक शिक्षक तथा अनुसंधानकर्ता नहीं हैं । निम्नलिखित स्लैबों में एसोशिएटशिपें प्रदान की जाती हैं :

पूर्णकालिक

1. रु॰ 2800-100-3300
2. रु॰ 3300-100-3800
3. रु॰ 3750-125-4375
4. रु॰ 4325-125-4700-150-5000

अंशकालिक

1. रु॰ 2500-100-3000
2. रु॰ 2800-100-3000

एसोशिएटशिप के दौरान मानविकी तथा विज्ञान विषयों के लिए क्रमशः रु॰ 7500 प्र॰व॰ तथा रु॰ 10000 प्र॰व॰ का आकस्मिक अनुदान प्रदान किया जाता है ।

एसोशिएटशिप शुरू में तीन वर्ष के लिए होती है किंतु उसका कार्यकाल आगे और बढ़ाया जा सकता है जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगा । अंशकालिक एसोशिटशिप का कार्यकाल 5 वर्ष का है और उसकी अवधि बढ़ाई नहीं जाती है । वर्ष के दौरान कोई चयन नहीं किया गया क्योंकि योजना की समीक्षा की जा रही थी ।

11.16 विकासशील देशों के छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति/अनुसंधान एसोशिएटशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकासशील देशों के छात्रों को प्रतिवर्ष 20 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (जे आर एफ) एम.फिल./पीएच.डी. हेतु अनुसंधान कार्य करने के लिए तथा 7 अनुसंधान एसोशिएटशिप डाक्टरेट-उपरांत विज्ञान, इंजीनियरी तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रदान करता है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान, 20 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ तथा 3 अनुसंधान एसोसिएटशिपें प्रदान की गईं ।

11.17 हरीओम आश्रम न्यास अवार्ड तथा स्वामी प्रणवानंद सरस्वती अवार्ड

हरीओम आश्रम न्यास, नादियाड द्वारा उपलब्ध कराए गए धर्मस्व सहायता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1974 से रुपए 10,000 मूल्य (प्रत्येक) के निम्नलिखित अवार्ड शुरू किए हैं जो प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं :-

1. भौतिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए सर सी.वी. रमण अवार्ड ।
2. अनुप्रयुक्त विज्ञानों में अनुसंधान के लिए होमी जे. भाभा अवार्ड ।
3. सैद्धांतिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए मेघनाद साहा अवार्ड ।
4. जीवन विज्ञानों में अनुसंधान के लिए जगदीश चन्द्र बोस अवार्ड ।
5. विज्ञान तथा समाज के बीच अन्योन्यक्रिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिकों/सामाजिक वैज्ञानिकों को अवार्ड ।

स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, निदेशक, अमेरिका स्थित योग सोसाइटियों द्वारा उपलब्ध कराए गए रु॰ 5 लाख के धर्मस्व की सहायता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1985 से रु॰ 10,000 (प्रत्येक) के निम्नलिखित अवार्ड शुरू किए हैं जो प्रत्येक वर्ष उस उत्कृष्ट विद्वतापूर्ण/वैज्ञानिक कार्य के लिए प्रदान किए जाएँगे जिसने मानवीय ज्ञान लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है और जिसने समस्याओं पर नए ढंग से प्रकाश डाला है :-

1. शिक्षा में स्वामी प्रणवानंद अवार्ड ।
2. समाजशास्त्र में स्वामी प्रणवानंद अवार्ड ।
3. अर्थशास्त्र में स्वामी प्रणवानंद अवार्ड ।
4. राजनीति विज्ञान में स्वामी प्रणवानंद अवार्ड ।
5. पर्यावरण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी में स्वामी प्रणवानंद अवार्ड ।

इस योजना के अंतर्गत चयन किया जा रहा था ।

°°°°°

अध्याय XII

शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूदों का संवर्धन

12.1 शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

यह पाठ्यक्रम देश के 13 राज्यों में स्थित 7 विश्वविद्यालयों और 22 कालेजों में चलाया जा रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन संस्थाओं को व्यय की अनुमोदित मदों यथा - स्टाफ के वेतन, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, उपस्कर और प्रयोगशाला भवन के लिए सहायता प्रदान करता है । आयोग स्टाफ के वेतन के लिए पाँच वर्ष के लिए 100 प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता है जबकि अन्य मदों के लिए संस्था/राज्य सरकार के साथ हिस्सेदारी के आधार पर सहायता प्रदान करता है । ऐसी सहायता विभिन्न मदों के लिए वि०अ०आ० द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि के अंतर्गत दी जाती है । 29 में से 12 संस्थाओं को अभी इस पाठ्यक्रम को संचालित करने की पाँच वर्ष की अवधि पूरी करनी थी । आलोच्य वर्ष के दौरान दो समितियाँ इस पाठ्यक्रम की समीक्षा कर रही थीं ।

12.2 विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद के लिए आधार-संरचना सृजित करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय खेलकूद संगठन, युवा मामले तथा खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई "विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद आधार-संरचना सृजित करने की योजना" के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है । इस योजना का लक्ष्य विश्वविद्यालयों और कालेजों को खेलकूद की आधार-संरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करना है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान करने के लिए कुछ मदों का पता लगाया है । सहायता प्रदान करने के लिए जिन मदों का पता लगाया गया है उनमें ये शामिल है :- बहुउद्देशीय जिमनेजियम, तरणताल, पक्का बास्केट बाल/वालीबाल/बेडमिंटन/टेनिस कोर्ट, मूरम/क्ले लान टेनिस कोर्ट और क्रिकेट पिच, सिंडर/क्ले एथलीटिक ट्रेक (400 मी.) का निर्माण तथा अनपचेय खेल उपस्कर । विश्वविद्यालयों और कालेजों को जिमनेजियम या तरणताल के निर्माण के लिए अधिकतम रु॰ 25 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन धन पर्याप्त न होने के कारण आयोग ने आलोच्य वर्ष के दौरान यह निर्णय लिया कि जिमनेजियम/तरणताल के निर्माण के लिए यू॰जी॰सी॰ कार्यालय में 31 मार्च, 1995 के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार न किया जाए ।

जिन कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाएँ चलती हैं और कम से कम 1000 छात्र नामांकित हैं, वे कालेज इस योजना के अधीन सहायतार्थ आवेदन करने के पात्र हैं । किसी संस्था को एक योजना अवधि के दौरान केवल एक बार अनपचेय खेल उपस्करों के लिए भी मंजूरी दी जाती है । जिन महिला कालेजों में पूर्व-स्नातक कक्षाएँ संचालित की जाती हैं और कम से कम 500 छात्राएँ नामांकित हैं वे भी जिमनेजियम, तरणताल और धावन-पथ जैसी मुख्य खेल सुविधाएँ प्राप्त करने के पात्र हैं ।

आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने खेलकूद की आधार-संरचना संबंधी विभिन्न मदों के लिए रु॰ 118.84 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

12.3 साहसिक खेलों को बढ़ावा देना

1992 में राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रतिष्ठान (एन ए एफ) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के समय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय/कालेज छात्रों के लिए साहसिक खेल योजना का कार्यान्वयन कर रहा है । हालाँकि साहसिक खेलों के कुछ कार्यक्रमों का आयोजन एन ए एफ द्वारा उसकी क्षेत्रीय शाखाओं के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन दूसरों के लिए यह उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनको सहयोजित करने के वास्ते देश में विशेषज्ञ संगठनों का पता लगाता है । एक समन्वय समिति, जिसमें वि॰अ॰आ॰ और एन.ए.एफ. के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है । आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने साहसिक खेल कार्यक्रम को संचालित करने के लिए एन ए एफ को रु॰ 50 लाख की सहायता उपलब्ध कराई ।

12.4 विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा एवं अभ्यास के संवर्धन के लिए योजना

यह योजना विश्वविद्यालयों में छात्रों/शिक्षकों में योग शिक्षा का प्रचार एवं अभ्यास करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को योगाभ्यास कक्ष और अनुदेशकों के रहने के क्वार्टरों के निर्माण, अनुदेशकों को मानदेय देने और फर्नीचर तथा उपस्कर के लिए सहायता प्रदान करता है । लेकिन निधियों की कमी के कारण आयोग ने आलोच्य वर्ष के दौरान यह निर्णय लिया कि अब से आगे योगकक्ष तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी । बहरहाल, आयोग अन्य मदों के लिए संस्थाओं को सहायता प्रदान करना जारी रखेगा ।

इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों को ख्यातिप्राप्त योग संस्था के साथ पाँच वर्ष के लिए नवीयनयोग्य करार करना होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से स्थापित किए जाने वाले योग केंद्र (केंद्रों) का प्रबंध और संचालन भी करेगी । योग केंद्र स्थापित किए जाने के संबध में 31.03.1996 की 28 विश्वविद्यालयों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उन पर वि०अ०आ० द्वारा विचार किया गया । इनमें से 8 विश्वविद्यालयों को रु० 9.97 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

० ० ० ० ०

अध्याय XIII

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुविधाएँ

13.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुविधाएँ देने वाले कालेजों को सहायता और विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में विशेष सेलों की स्थापना

वि०अ०आ० कुछ विशेष योजनाओं द्वारा तथा नियमित योजनाओं में समाज के सुविधा-वंचित लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करके इस वर्ग के उत्थान तथा सामाजिक समानता के लिए योगदान करता रहा है । इसका विवरण इस प्रकार है :

1. आयोग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की परीक्षा में पास होने के लिए प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है और जे.आर.एफ. परीक्षा में उत्तीर्ण अ.जा./अ.ज.जा. के सभी उम्मीदवारों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान कर दी जाती है । कोई रिक्त स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में वि.अ.आ. विश्वविद्यालय को जे.आर.एफ. के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराता है ।

2. संबद्ध कालेजों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को "सीधे अवार्ड की योजना" के अंतर्गत 50 शिक्षक अध्येतावृत्तियाँ (20 पीएच.डी. और 30 एम.फिल. के लिए) दी जाती हैं ।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रतिवर्ष अनुसंधान एसोशिएटशिप के 40 स्थान अलग से रखे जाते हैं ।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे कालेजों को वित्तीय सहायता देने के मानदंड में छूट दी है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र दाखिल हैं और जो पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं ।

5. शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए प्रतिवर्ष 30 अनुसंधान एसोशिएटशिप आरक्षित होती हैं ।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक योजना संचालित कर रहा है जिसके तहत वह विश्वविद्यालयों बी.एड./एम.एड. शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है ताकि वे विकलांग बच्चों को पढ़ा सकें ।

13.2 विश्वविद्यालयों में विशेष सेल

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में विशेष सेल स्थापित किए गए हैं जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विभिन्न योजनाओं का कारगर कार्यान्वयन हो रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ सेलों को संचालित करने हेतु स्टाफ के विभिन्न वर्गों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय/संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्टाफ के लिए उनकी प्रथम नियुक्ति की तारीख से पाँच वर्ष के लिए सहायता प्रदान करता है । आयोग इन सेलों के संचालन के लिए 31 मार्च, 1997 तक सहायता उपलब्ध कराएगा । इसके बाद आवर्ती व्यय का दायित्व संभालना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी । 31 मार्च, 1996 को ऐसे 98 विश्वविद्यालय/संस्थाएँ थीं जिनमें ऐसे सेलों की स्थापना की गई थी ।

13.3 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण के विषय में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों की ओर विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया है । ये आरक्षण विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने, लेक्चरारों तथा शिक्षणेतर पदों में नियुक्तियों और छात्रावासों, स्टाफ क्वार्टरों तथा शिक्षकों के होस्टलों में सीटों के आबंटन से संबंधित हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह व्यवस्था भी की है कि जिन विश्वविद्यालयों को छात्रावासों के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं उन्हें इन छात्रावासों में 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित रखनी चाहिए ।

उच्च शिक्षा में छात्राओं की सामान्य वृद्धि की एक विशेषता यह है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर उनके नामांकन में एकरूपता रही है ।

संकायवार वितरण

वर्ष 1995-96 में महिला नामांकन के संकायवार आँकड़े नीचे सारणी 14.3 और चित्र 14.2 में दिए गए हैं :-

सारणी 14.3

संकायवार महिला नामांकन - 1995-96

संकाय	नामांकन
कला	11,91,774
वाणिज्य	3,09,830
विज्ञान	4,40,354
शिक्षा	85,699
विधि	39,551
इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	26,368
अन्य	97,562
(इनमें आयुर्विज्ञान, कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान संगीत/ललित कलाएँ, सामाजिक कार्य, शारीरिक शिक्षा आदि शामिल हैं)	
जोड़	21,91,138

यद्यपि सभी संकायों में महिलाएँ, थीं लेकिन संकायों में उनके वितरण का पैटर्न सभी छात्रों के समान नहीं था । चित्र 2.6 से चित्र 14.2 की तुलना करने से पता चलता है कि विज्ञान संकाय को छोड़कर जहाँ सभी पुरुष एवं महिला छात्रों का प्रतिशत समान है, छात्रों के दोनों वर्गों के नामांकन पैटर्न में चार उल्लेखनीय अंतर हैं, यथा -

(क) शिक्षा संकाय में नामांकित सभी छात्रों की प्रतिशतता में महिला छात्रों की प्रतिशतता लगभग दुगुनी है ।

(ख) लेकिन विधि, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संकायों में सभी छात्रों की प्रतिशतता की तुलना में महिला छात्रों की प्रतिशतता काफी कम है ।

(ग) महिला छात्रों की सर्वाधिक संख्या कला संकाय में है जिसमें मानविकी विषय भी शमिल हैं । सभी छात्रों के 40.4 प्रतिशत की तुलना में, कला और मानविकी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित महिला छात्रों का प्रतिशत 55 है ।

(घ) यही बात बहुत कुछ वाणिज्य संकाय पर लागू होती है । जिसमें सभी छात्रों के लगभग 22 प्रतिशत की तुलना में वाणिज्य पाठ्यक्रमों में नामांकित महिला छात्रों की संख्या 14 प्रतिशत से किंचित् अधिक है ।

14.3 महिला कालेज

वर्ष 1986-87 से वर्ष 1995-96 तक की अवधि के दौरान महिला कालेजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो नीचे सारणी 14.4 में दी जा रही है :-

सारणी 14.4

वर्ष	महिला कालेजों की संख्या
1986-87	780
1987-88	786
1988-89	824
1989-90	851
1990-91	874
1991-92	950
1992-93	994
1993-94	1033
1994-95	1107
1995-96	1146 *

*अनंतिम

14.4 विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों का संवर्धन

महिला अध्ययनों को बढ़ावा देने से संबंधित वि०अ०आ० के कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि महिला अध्ययन केंद्रों और सेलों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता दी जानी चाहिए। इन केंद्रों/सेलों के लिए अनुसंधान कार्य करना, पाठ्यचर्या का विकास करना, स्त्री-पुरुष समानता के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और विस्तार कार्य आयोजित करना, महिलाओं की आर्थिक आत्म-निर्भरता, लड़कियों की शिक्षा, जनसंख्या समस्याओं, मानव अधिकारों एवं सामाजिक शोषण की समस्याओं के संबंध में कार्य करना आवश्यक होगा। इन गतिविधियों से केवल यही आशा नहीं की जाती है कि उनसे सामाजिक चेतना पैदा होगी और परिवर्तन आएगा बल्कि यह भी आशा की जाती है कि उनसे अकादमिक विकास भी होगा। लेकिन महिला अध्ययन केंद्रों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे किसी विश्वविद्यालय के अन्य पारंपरिक विभागों की भाँति कार्य करेंगे। उनके लिए ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करना आवश्यक नहीं है जिनको पूरा करने पर कोई पूर्व-स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाए यद्यपि वे ऐसा कर सकते हैं। शिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार के अंतर्गत महिला अध्ययन केंद्रों के कार्यकलाप इस प्रकार थे :

शिक्षण	:	पाठ्यचर्या विकास तथा उन्नयन, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका हेतु सामग्री, महिलाओं की समस्याओं पर पर्चियाँ।
अनुसंधान	:	महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान परियोजनाएँ
विस्तार	:	समाचार पत्रक, उपबोधन एवं सहायता केंद्र, परिवार उप-बोधन केंद्र, साक्षरता मिशन, सामुदायिक विकास सर्वेक्षण, महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर वीडियो तैयार करने के लिए दृश्य-श्रव्य यूनिट को सहायता।

महिला अध्ययनों पर स्थायी समिति इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है, उसके संबंध में सलाह देती है और उसका परिवीक्षण करती है। स्थायी समिति का पुनर्गठन सितंबर, 1995 में किया गया था। समिति ने 11वीं योजना के 'एप्रोच पेपर' पर विचार-विमर्श किया। फिलहाल, विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययनों के विकास के लिए सहायता आठवीं योजना अवधि 31.03.1997 तक दी जाएगी। 31 मार्च, 1996 को वि०अ०आ० ने महिला अध्ययन केंद्र/सेल स्थापित करने के लिए (क्रमशः 22 और 11) 33 विश्वविद्यालयों और कालेजों/ विश्वविद्यालय विभागों को सहायता उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययनों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई।

14.5 महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं को प्रतिवर्ष 40 अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप प्रदान करता है । इसका उद्देश्य शोध छात्रों को विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों तथा इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी में स्वतंत्र रूप से परियोजना समनुदेशन आधार पर या डाक्टरेट-उपरांत अनुसंधान कार्य के लिए अवसर उपलब्ध कराना है । इन अवार्डों के लिए दिसंबर, 1994 में साक्षात्कार लिया गया था और 39 उम्मीदवारों का चयन किया गया जिन्होंने 1995 के शुरू में कार्यग्रहण किया था ।

°°°°°

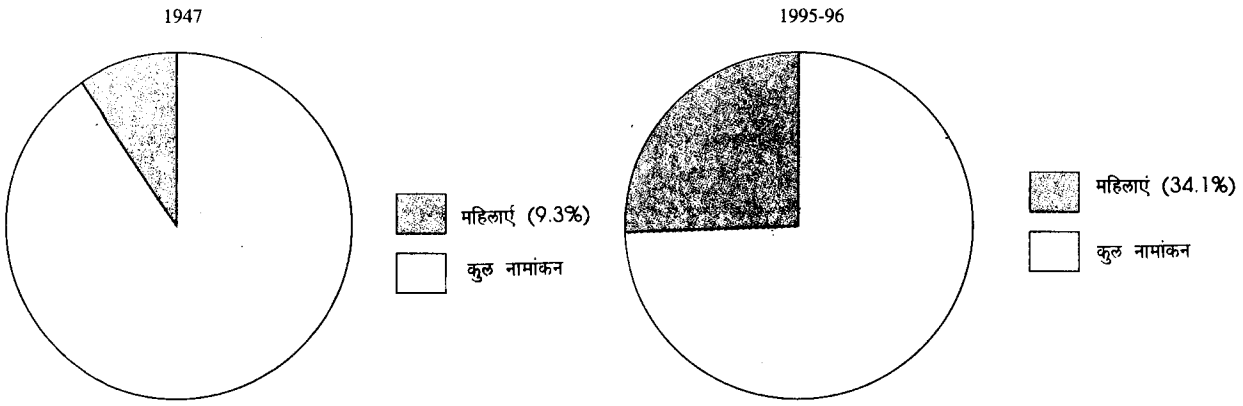

चित्र 14.1 महिला छात्रों के नामांकन की प्रतिशतता (1947 और 1995-96)

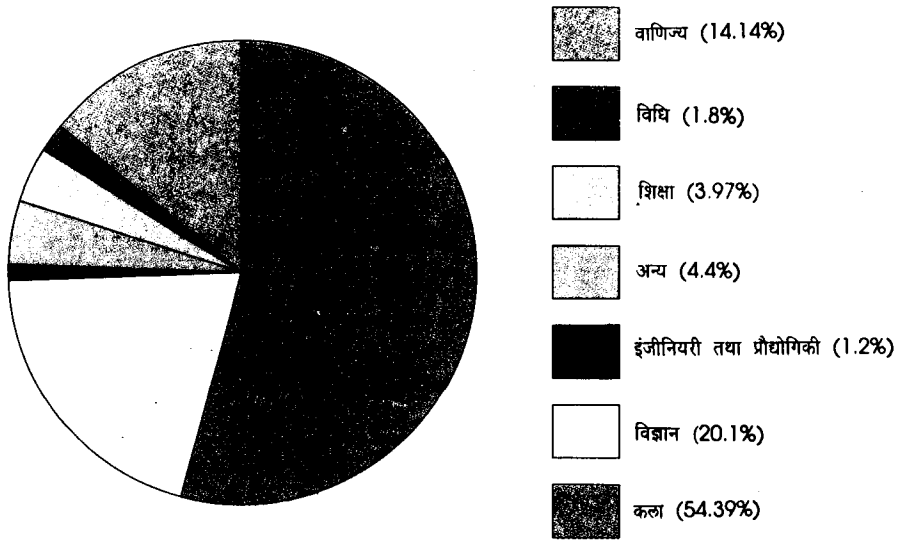

चित्र 14.2 महिला नामांकन की संकायवार प्रतिशतता (1995-96)

अध्याय XV

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.1 द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम

विश्वविद्यालय क्षेत्रक में उच्च शिक्षा से संबंधित भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भारत सरकार की ओर से वि०अ०आ० द्वारा किया जाता है । 1995-96 तक 76 देशों के साथ ऐसे कार्यक्रम चल रहे थे ।

आलोच्य वर्ष के दौरान वि०अ०आ० ने विभिन्न देशों के 23 विदेशी विद्वानों की मेजबानी की और भारत की विभिन्न संस्थाओं में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया । वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेश भेजे गए भारतीय स्कालरों की संख्या 107 थी ।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालयों के अभिज्ञात विभागों एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं के मध्य द्विपक्षीय संस्थागत संबंध निम्नलिखित देशों के साथ विकसित किए जा रहे हैं यथा - जापान, चिली, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, ईरान, जर्मनी, मिस्र, चीन हांगकांग और फिलिपीन्स ।

15.2 शिष्टमंडल

विदेशी शिष्टमंडल

i) नेपाल के एक दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने जनवरी-फरवरी, 1996 में वि०अ०आ० का दौरा किया ।

विदेशी भाषा शिक्षक

वि०अ०आ० सहयोगी विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेशी भाषा शिक्षकों को उन विश्वविद्यालयों में भेजता है जिनमें विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए समुचित आधार-संरचना विद्यमान है । आलोच्य वर्ष 1995-96 के दौरान भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 29 विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति की गई जिनका भाषावार वितरण इस प्रकार है : जर्मन 9, फ्रेंच 5, चीनी 3, मंगोलियन 2, ईरानी 2, और स्लोवाक, पुर्तगाली, अफगानी, बल्गेरियन, इटालियन, रोमानियन तथा कोरियाई प्रत्येक एक-एक ।

15.3 अध्येतावृत्तियाँ तथा छात्रवृत्तियाँ

(क) जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डी.ए.ए.डी.)

i) प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भूविज्ञान, जर्मन भाषा और साहित्य तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के कुछ क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान के लिए प्रदान की गई 11 अध्येतावृत्तियों के लिए 7 छात्र नामित किए गए ।

ii) भारतीय विश्वविद्यालयों के जर्मन विभागों में एम.ए. पाठ्यक्रम के वरिष्ठ छात्रों तथा एम.फिल./एम.लिट. पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की 6 अल्पकालिक अध्येतावृत्तियों के लिए 5 छात्रों को नामित किया गया ।

iii) भारतीय विश्वविद्यालयों, भा॰प्रौ॰सं॰ तथा समविश्वविद्यालयों में जर्मन भाषा के शिक्षकों के लिए तीन मास की अवधि के लिए निमंत्रण पर 8 भारतीय शिक्षकों को नामित किया गया ।

iv) जर्मन संस्कृति, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित किसी भी विषय में भारत में पीएच.डी. करने के लिए पंजीकृत भारतीय छात्रों को प्रदत्त 3 से 6 मास की 6 अल्पकालिक अध्येतावृत्तियों के लिए वर्ष 1995-96 के लिए बारह(12) स्कालरों को नामित किया गया ।

(ख) फ्रांस सरकार की छात्रवृत्तियाँ

जर्मन भाषा के शिक्षकों के लिए तीन मास की अवधि के

फ्रेंच भाषा, साहित्य संस्कृति एवं सभ्यता में अनुसंधान के लिए 9 स्कालरों को फ्रांस सरकार की अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की गईं ।

15.4 सामाजिक वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन आयोग द्वारा नामित किए गए 10 में से 7 भारतीय स्कालरों ने फ्रांस का दौरा किया । वर्ष 1995-96 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन तीन स्कालरों ने भारत का दौरा किया ।

15.5 फ्रांस के साथ सी एस आई आर - सी एन आर एस विनिमय कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन सी एस आई आर, फ्रांस जाने के लिए विश्वविद्यालयों से भारतीय वैज्ञानिकों के दौरे के वास्ते 200 श्रम दिवस आबंटित करता है । उसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सी एन आर एस को फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा अपने अनुसंधान कार्य के संबंध में भारत का दौरा करने के लिए 200 श्रम दिवस आबंटित करता है । वर्ष 1995-96 के दौरान आयोग ने फ्रांस के दौरे के लिए 10 स्कालरों की सिफारिश की लेकिन निधियों की कमी के कारण वे दौरा नहीं कर पाये ।

15.6 अकादमिक संपर्क अंतर्विनिमय योजना (ए एल आई एस)

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भारत और यू.के. में उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच संपर्क विकास के लिए ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से किया जाता है । ऐसे संपर्कों का विकास निर्दिष्ट क्षेत्रों में यथा - संयुक्त अनुसंधान, संयुक्त प्रकाशन, पाठ्यक्रम विकास आदि के लिए किया जाता है ।

वर्ष 1995-96 के दौरान एक भारतीय स्कालर ने यू०के० का दौरा किया ।

15.7 सार्क पीठें/अध्येतावृत्तियाँ/छात्रवृत्तियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सार्क पीठों/अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों की योजना के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करता है । इस योजना के अधीन प्रेषक देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराया देता है और मेजबान पक्ष दाखिलों और भत्तों के भुगतान की व्यवस्था करता है । इस योजना के अंतर्गत देशवार उपलब्ध स्थानों (स्लाटों) की संख्या इस प्रकार है :-

सारणी 15.1

सार्क छात्रवृत्तियाँ

देश	अध्येतावृत्तियाँ	छात्रवृत्तियाँ
बंगला देश	1	2
भूटान	1	–
भारत	6	2
नेपाल	1	2
पाकिस्तान	1	2
श्रीलंका	1	2
मालदीव	–	–

वर्ष 1995-96 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रत्येक देश के लिए निम्नलिखित नामन किए :

सारणी 15.2

वर्ष 1995-96 के दौरान प्रत्येक देश के लिए यू॰जी॰सी॰ द्वारा नामन

देश	अध्येतावृत्तियाँ	छात्रवृत्तियाँ
पाकिस्तान	2	1
बंगला देश	4	5
श्रीलंका	3	2
नेपाल	1	2

15.8 सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी)

सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी) के आयोजक त्रिस्ते (इटली) या किसी अन्य देश में आयोजित ग्रीष्मकालीन स्कूलों में भाग लेने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों/कालेजों के शिक्षकों को आमंत्रित करता है । भारतीय सहभागियों के हवाई किराये के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और आई सी टी पी - दोनों बराबर-बराबर राशि देते हैं । वर्ष 1995-96 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आई सी टी पी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

15.9 राष्ट्रमंडलीय अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्तियाँ/छात्रवृत्तियाँ

इस कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू.के. में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ (ए सी यू) से समन्वय स्थापित करता है और राष्ट्रमंडलीय अध्येतावृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के लिए नामन करता है ताकि भारत में विश्वविद्यालयों और कालेजों में होनहार संकाय सदस्य यू.के. में विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर सकें ।

वष 1995-96 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्येतावृत्तियों के लिए 25 और छात्रवृत्तियों के लिए 20 शिक्षकों की सिफारिश की । इनमें से राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ ने अध्येतावृत्तियों के लिए 10 और छात्रवृत्तियों के लिए 9 शिक्षकों का चयन अंतिम रूप से किया ।

15.10 कनाडियन अध्ययनों का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कनाडियन अध्ययन कार्यक्रम शुरू किया है और कनाडा के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों से संबंधित अध्ययनों के लिए विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहातया देने के वास्ते 13 विभागों का पता लगा लिया है ।

यू॰जी॰सी॰ शास्त्री भारत-कनाडियन संस्थान के दो सदस्यीय मासिक कार्यक्रम के अधीन कनाडा के 5 शिक्षकों ने भारत का दौरा किया और एक भारतीय शिक्षक ने कनाडा का दौरा किया । कनाडियन अध्ययन कार्यक्रम 1996-97 में समाप्त हो जाएगा ।

15.11 स्रोत सामग्री एकत्र करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के शिक्षकों की सीमित संख्या को विदेशों में आने-जाने के लिए यात्रा खर्च प्रदान करता है ताकि वे उच्च अनुसंधान कार्य के लिए विख्यात संस्थाओं से अध्येतावृत्तियाँ प्राप्त कर सकें और/या ऐसी सामग्री एकत्र कर सकें जो भारत में उपलब्ध नहीं है । विदेश में आने-जाने का यात्रा व्यय वि०अ०आ० द्वारा दिया दिया जाता है बशर्ते कि शिक्षक संबंधित देश में सरकारी अभिकरण या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ अकादमिक संस्था से अपने अनुरक्षण के वास्ते कम से कम दो महीने के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन प्रदान करे ।

वर्ष 1995-96 के दौरान, आयोग ने इस कार्यक्रम के अधीन बाहर जाने के लिए छह शिक्षकों को यात्रा खर्च उपलब्ध कराया ।

० ० ० ० ०

परिशिष्टों की सूची

I भारत में विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालय संस्थाओं की सूची - राज्यवार (31.3.1996 को)

II छात्र नामांकन में अखिल भारतीय संवृद्धि (1976-77 से 1995-96)

III राज्यवार नामांकन (पी यू सी/इंटर/पूर्व - व्यावसायिक को छोड़कर) (1995-96)

IV स्तरवार नामांकन : विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज (1995-96)

V विश्वविद्यालयों में संकायवार छात्र नामांकन : (1991-92 से 1995-96)

VI कुल नामांकन में महिला नामांकन का प्रतिशत : राज्यवार (1995-96)

VII कालेजों की संख्या में वृद्धि : राज्यवार (1991-92 से 1995-96)

VIII विश्वविद्यालय विभागों/वि.वि. कालेजों में पदों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण (1991-92 से 1995-96)

IX संबद्ध कालेजों में पदों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण (1991-92 से 1995-96)

X संकायवार प्रदत्त डाक्टरेट की डिग्रियों की संख्या : (1992-93 से 1994-95)

XI वर्ष 1995-96 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) योजनेतर अनुदान के अंतर्गत
वर्ष 1995-96 के दौरान कालेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) योजनेतर अनुदान के अंतर्गत

XII वर्ष 1995-96 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) केंद्रीय योजना, इंजी॰ तथा प्रौद्यो॰ और खंड-।।। के अंतर्गत
वर्ष 1995-96 के दौरान कालेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) केंद्रीय योजना, इंजी॰ तथा प्रौदयो॰ और खंड-।।। के अंतर्गत

XIII वर्ष 1993-94 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालयों के संबंध में अनुरक्षण अनुदान (योजनेतर) तथा आवर्ती व्यय (योजनेतर) को दर्शाने वाला विवरण

परिशिष्ट - I

भारत में विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालय संस्थाओं की सूची - राज्यवार (31.03.1996 को)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
(क)	**विश्वविद्यालय**	
आंध्र प्रदेश		
1.	उस्मानिया	1918
2.	आंध्र	1926
3.	श्री वेंकटेश्वर	1954
4.	आंध्र प्रदेश कृषि	1964
5.	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी	1972
6.	हैदराबाद	1974
7.	ककातिया	1976
8.	नागार्जुन	1976
9.	श्री कृष्णदेवराय	1981
10.	डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर मुक्त	1982
11.	श्री पद्मावती महिला	1983
12.	तेलुगु	1985
13.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	1986
अरुणाचल प्रदेश		
14.	अरुणाचल	1985
असम		
15.	गोवाहाटी	1948
16.	डिब्रूगढ़	1965
17.	असम कृषि	1968
18.	असम	1994
19.	तेजपुर	1994
बिहार		
20.	पटना	1917
21.	बिहार	1952
22.	भागलपुर	1960
23.	रांची	1960
24.	के॰ एस॰ दरभंगा संस्कृत	1961
25.	मगध	1962
26.	राजेंद्र कृषि	1970
27.	ललित नारायण मिथिला	1972
28.	बिरसा कृषि	1980
29.	भूपेंद्र नारायण मंडल	1993
30.	विनोबा भावे	1993
31.	वीर कुवर सिंह	1994
32.	जय प्रकाश	1995
33.	नालंदा मुक्त	1995
34.	सिद्धू कानू विश्वविद्यालय	1995
गोवा		
35.	गोवा	1985
गुजरात		
36.	महाराजा सायाजीराव	1949
37.	गुजरात	1950
38.	सरदार पटेल	1955
39.	सौराष्ट्र	1955
40.	साउथ गुजरात	1965
41.	गुजरात आयुर्वेद	1968
42.	गुजरात कृषि	1972
43.	भावनगर	1978
44.	नार्थ गुजरात	1986
45.	डॉ॰ बी. आर. अम्बेडकर मुक्त	1995

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
(क)	**विश्वविद्यालय जारी**	
हरयाणा		
46.	कुरुक्षेत्र	1956
47.	चौधरी चरणसिंह हरयाणा कृषि	1970
48.	महर्षि दयानंद	1976
हिमाचल प्रदेश		
49.	हिमाचल प्रदेश	1970
50.	हिमाचल प्रदेश कृषि	1978
51.	डा॰ वाई॰एस॰ परमार उद्यान कृषि एवं वानिकी	1986
जम्मू और कश्मीर		
52.	कश्मीर	1949
53.	जम्मू	1969
54.	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1982
कर्नाटक		
55.	मैसूर	1916
56.	कर्नाटक	1949
57.	बंगलौर	1964
58.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	1964
59.	गुलबर्गा	1980
60.	मंगलौर	1980
61.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1986
62.	कुवेम्पू	1987
63.	कन्नड	1992
64.	नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया	1992
केरल		
65.	केरल	1937
66.	कालीकट	1968
67.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1971
68.	केरल कृषि	1972
69.	महात्मा गांधी	1983
70.	श्री शंकराचार्य संस्कृत	1994
मध्य प्रदेश		
71.	डॉ॰ हरीसिंह गौड़	1946
72.	इंदिरा कला संगीत	1956
73.	रानी दुर्गावती	1957
74.	विक्रम	1957
75.	देवी अहिल्या	1964
76.	जवाहर लाल नेहरू कृषि	1964
77.	जीवाजी	1964
78.	रविशंकर	1964
79.	अवधेश प्रताप सिंह	1968
80.	बरकतुल्ला	1970
81.	गुरु घासीदास	1983
82.	इंदिरा गांधी कृषि	1987
83.	चित्रकूट ग्रामोदय	1993
84.	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिकारिता	1993
85.	भोज मुक्त	1995
महाराष्ट्र		
86.	बंबई	1857
87.	नागपुर	1923
88.	पूना	1949
89.	श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकरसे महिला	1951
90.	डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर, मराठवाड़ा	1958
91.	शिवाजी	1962
92.	महात्मा फूले कृषि	1968
93.	पंजाबराव कृषि	1969
94.	कोंकण कृषि	1972
95.	मराठवाड़ा कृषि	1972

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
(क)	**विश्वविद्यालय जारी**	
96.	अमरावती	1983
97.	यशवंत राव चह्वाण महाराष्ट्र मुक्त	1990
98.	नार्थ महाराष्ट्र	1991
99.	डॉ॰ बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकीय	1992
100.	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा	1995
मणिपुर		
101.	मणिपुर	1980
मेघालय		
102.	नार्थ ईस्टर्न हिल	1973
नागालैंड		
103.	नागालैंड	1995
उड़ीसा		
104.	उत्कल	1943
105.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1962
106.	बरहामपुर	1967
107.	सम्बलपुर	1967
108.	श्री जगन्नाथ संस्कृत	1981
पंजाब		
109.	पंजाब	1947
110.	पंजाब कृषि	1962
111.	पंजाबी	1962
112.	गुरु नानक देव	1969
राजस्थान		
113.	राजस्थान	1947
114.	जय नारायण व्यास	1962
115.	मोहनलाल सुखाड़िया	1962
116.	कोटा मुक्त	1987
117.	महर्षि दयानंद सरस्वती	1987
118.	राजस्थान कृषि	1987
तमिलनाडु		
119.	मद्रास	1857
120.	अन्नामलाई	1929
121.	मदुरै कामराज	1965
122.	तमिलनाडु कृषि	1971
123.	अन्ना	1978
124.	तमिल	1981
125.	भरतियार	1982
126.	भारतीदासन	1982
127.	मदर टरेसा महिला	1984
128.	अलगप्पा	1985
129.	डॉ॰ एम॰जी॰आर॰ मेडीकल	1989
130.	तमिलनाडु पशुचिकित्सा तथा पशुविज्ञान	1990
131.	मनोनमनियन सुंदरानर	1992
त्रिपुरा		
132.	त्रिपुरा	1987
उत्तर प्रदेश		
133.	इलाहाबाद	1887
134.	बनारस हिंदू	1916
135.	अलीगढ़ मुस्लिम	1921
136.	लखनऊ	1921
137.	आगरा	1927
138.	रुड़की	1949
139.	गोरखपुर	1957
140.	सम्पूर्णानंद संस्कृत	1958
141.	जी॰बी॰ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1960
142.	चौधरी चरणसिंह (मेरठ)	1965

परिशिष्ट I .. जारी

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
143.	कानपुर	1965
144.	हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल	1973
145.	कुमाऊँ	1973
146.	चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1974
147.	काशी विद्यापीठ	1974
148.	नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1974
149.	डा॰ राम मनोहर लोहिया	1975
150.	रुहेलखंड	1975
151.	बुंदेलखंड	1975
152.	पूर्वांचल	1987
पश्चिम बंगाल		
153.	कलकत्ता	1857
154.	विश्वभारती	1951
155.	जादवपुर	1955
156.	बर्दवान	1960
157.	कल्याणी	1960
158.	नार्थ बंगाल	1962
159.	रवींद्र भारती	1962
160.	बिधानचंद्र कृषि	1974
161.	विद्यासागर	1981
162.	पश्चिम बंगाल पशु तथा मत्स्य विज्ञान	1995
दिल्ली		
163.	दिल्ली	1922
164.	जवाहरलाल नेहरू	1968
165.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त	1985
166.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1988
पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)		
167.	पांडिचेरी	1985

(ख) राज्य विधान अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थाएं

क्र.सं.	राज्य/संस्थान	स्थापना वर्ष
आंध्र प्रदेश		
1.	निज़ाम आयुर्विज्ञान संस्थान	1990
बिहार		
2.	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान	1992
जम्मू और कश्मीर		
3.	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान	1990
उत्तर प्रदेश		
4.	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान	1983

(ग) समविश्वविद्यालय संस्थाएँ

क्र.सं.	राज्य/समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	स्थापना वर्ष
आंध्र प्रदेश		
1.	केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान	1973
2.	श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	1981
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	1987
4.	श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान	1995
बिहार		
5.	भारतीय खान स्कूल	1967
6.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान	1986
गुजरात		
7.	गुजरात विद्यापीठ	1963

(ग) समविश्वविद्यालय संस्थाएँ .. जारी

क्र.सं.	राज्य/समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	स्थापना वर्ष
	हरयाणा	
8.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	1989
	कर्नाटक	
9.	भारतीय विज्ञान संस्थान	1958
10.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी	1994
	महाराष्ट्र	
11.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	1964
12.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	1985
13.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	1987
14.	केंद्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान	1989
15.	डकन स्नातकोत्तर कालेज एवं अनुसंधान संस्थान	1990
16.	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान	1994
17.	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान	1996
	पंजाब	
18.	थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	1985
	राजस्थान	
19.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान	1964
20.	बनस्थली विद्यापीठ	1983
21.	राजस्थान विद्यापीठ	1987
22.	जैन विश्वभारती संस्थान	1991
	तमिलनाडु	
23.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	1976
24.	श्री अविनाशीलिंगम् महिला गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान	1988
25.	श्री चंद्रशेखरेन्द्र एस॰ न्याय शास्त्र महाविद्यालय	1994
26.	श्री रामचंद्र आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान	1995
	उत्तर प्रदेश	
27.	गुरुकुल कांगड़ी	1962
28.	दयालबाग शिक्षा संस्थान	1981
29.	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	1983
30.	केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान	1989
31.	वन अनुसंधान संस्थान	1992
	पश्चिम बंगाल	
32.	बंगाल इंजीनियरी कालेज	1992
	दिल्ली	
33.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	1958
34.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय	1979
35.	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	1987
36.	कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान का राष्ट्रीय म्यूज़ियम संस्थान	1989
37.	जामिया हमदर्द	1989

* * * * *

परिशिष्ट - II

छात्र नामांकन में अखिल भारतीय संवृद्धि (1976-77 से 1995-96)

वर्ष	कुल नामांकन	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1976-77	24,31,563	5,454	0.2
1977-78	25,64,972	1,33,409	5.5
1978-79	26,18,228	53,256	2.1
1979-80	26,48,579	30,351	1.2
1980-81	27,52,437	1,03,858	3.9
1981-82	29,52,066	1,99,629	7.3
1982-83	31,33,093	1,81,027	6.1
1983-84	33,07,649	1,74,556	5.6
1984-85	34,04,096	96,447	2.9
1985-86	36,05,029	2,00,933	5.9
1986-87	37,57,158	1,52,129	4.1
1987-88	40,20,159	2,63,001	7.0
1988-89	42,85,489	2,65,330	6.6
1989-90	46,02,680	3,17,191	7.4
1990-91	49,24,868	3,22,188	7.0
1991-92	52,65,886	3,41,018	6.9
1992-93	55,34,966	2,69,080	5.1
1993-94	58,17,249	2,82,283	5.1
1994-95*	61,13,929	2,96,680	5.1
1995-96*	64,25,624	3,11,695	5.1

* अनुमानित

परिशिष्ट - III

राज्यवार नामांकन
(पी यू सी/इंटर/पूर्व-व्यावसायिक को छोड़कर)
(1995-96)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान वृद्धि की वार्षिक औसत मिश्रित दर
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	451173	23521	5.5	5.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	3431	191	5.9	6.6
3.	असम	154541	6371	4.3	4.2
4.	बिहार	499467	24237	5.1	4.8
5.	दिल्ली	143365	6827	5.0	5.0
6.	गोवा	17979	1002	5.9	6.9
7.	गुजरात	435615	19157	4.6	4.9
8.	हरयाणा	148582	6262	4.4	4.3
9.	हिमाचल प्रदेश	37440	2086	5.9	6.9
10.	जम्मू और कश्मीर	46811	2059	4.6	4.9
11.	कर्नाटक	514865	27303	6.0	6.0
12.	केरल	187615	7562	4.2	3.3
13.	मध्य प्रदेश	393226	18010	4.8	4.8
14.	महाराष्ट्र	995640	44694	4.7	5.1
15.	मणिपुर	29695	1441	5.1	5.5

परिशिष्ट III .. जारी

1	2	3	4	5	6
16.	मेघालय/मिज़ोरम/नागालैंड	20544	1089	5.6	5.7
17.	उड़ीसा	216181	11076	5.4	5.5
18.	पंजाब	197444	10647	5.7	5.1
19.	राजस्थान	217528	12313	6.0	6.1
20.	तमिलनाडु	442070	25416	6.1	6.9
21.	उत्तर प्रदेश	892168	44905	5.3	4.5
22.	पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम	369710	14902	4.2	3.9
23.	पांडिचेरी	10534	624	6.3	5.8
	जोड़	**6425624**	**311695**	**5.1**	**5.1**

परिशिष्ट - IV

स्तरवार नामांकन
विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज
(1995-96)

स्तर	विश्वविद्यालय विभाग/ कालेज	संबद्ध कालेज	जोड़	संबद्ध कालेजों में प्रतिशत		
				1995-96	1994-95	1993-94
स्नातक	6,93,423	49,73,977	56,67,400 (88.2 प्रतिशत)	87.8	87.8	87.8
स्नातकोत्तर	2,62,744	3,41,265	6,04,009 (9.4 प्रतिशत)	56.5	56.5	56.5
अनुसंधान	60,080	10,602	70,682 (1.1 प्रतिशत)	15.0	15.0	15.0
डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र	47,280	36,253	83,533 (1.3 प्रतिशत)	43.4	43.4	43.4
जोड़	**10,63,527**	**53,62,097**	**64,25,624**	**83.4**	**83.4**	**83.4**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक स्तर पर कुल नामांकन का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट - V

विश्वविद्यालयों में संकायवार छात्र नामांकन (1991-92 से 1995-96)

संकाय	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96	
	नामांकन	कुल का प्रतिशत	नामांकन	कुल का प्रतिशत	नामांकन	कुल का प्रतिशत	नामांकन	कुल का प्रतिशत	नामांकन	कुल का प्रतिशत
कला(प्राच्य विद्या सहित)	21,29,418	40.4	22,38,626	40.4	23,52,970	40.4	24,73,027	40.4	25,92,925	40.4
विज्ञान	10,33,614	19.6	10,86,353	19.6	11,41,680	19.6	11,99,830	19.6	12,60,200	19.6
वाणिज्य	11,54,804	21.9	12,13,688	21.9	12,75,478	21.9	13,40,560	21.9	14,10,119	21.9
शिक्षा	1,21,115	2.3	1,27,304	2.3	1,33,797	2.3	1,40,620	2.3	1,47,720	2.3
इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी	2,58,028	4.9	2,71,213	4.9	2,85,045	4.9	2,99,583	4.9	3,15,720	4.9
आयुर्विज्ञान	1,79,040	3.4	1,88,189	3.4	1,97,786	3.4	2,07,874	3.4	2,19,918	3.4
कृषि	55,292	1.1	58,120	1.1	61,091	1.1	64,200	1.1	67,990	1.1
पशु चिकित्सा विज्ञान	13,356	0.3	13,840	0.3	14,550	0.3	15,285	0.3	16,201	0.3
विधि	2,79,092	5.3	2,93,353	5.3	3,08,314	5.3	3,24,038	5.3	3,42,440	5.3
अन्य	42,127	0.8	44,280	0.8	46,538	0.8	48,912	0.8	52,401	0.8
जोड़	**52,65,886**	**100.0**	**55,34,966**	**100.0**	**58,17,249**	**100.0**	**61,13,929**	**100.0**	**64,25,624**	**100.0**

परिशिष्ट - VI

कुल नामांकन में महिला नामांकन का प्रतिशत : राज्यवार (1995-96)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल नामांकन*	महिला नामांकन*	महिलाओं का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	451173	142068	31.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	3431	782	22.8
3.	असम	154541	50641	32.8
4.	बिहार	499467	93028	18.6
5.	दिल्ली	143365	64003	44.6
6.	गोवा	17979	9181	51.1
7.	गुजरात	435615	171789	39.4
8.	हरयाणा	148582	57375	38.6
9.	हिमाचल प्रदेश	37440	14328	38.3
10.	जम्मू और कश्मीर	46811	18657	39.9
11.	कर्नाटक	514865	176954	34.4
12.	केरल	187615	98260	52.4
13.	मध्य प्रदेश	393226	117916	30.0
14.	महाराष्ट्र	995640	362240	36.4
15.	मणिपुर	29695	12706	42.8

परिशिष्ट VI .. जारी

1	2	3	4	5
16.	मेघालय/नागालैंड/मिज़ोरम	20544	8151	39.7
17.	उड़ीसा	216181	69883	32.3
18.	पंजाब	197444	100804	51.1
19.	राजस्थान	217528	71275	32.8
20.	तमिलनाडु	442070	176467	39.9
21.	उत्तर प्रदेश	892168	238471	26.7
22.	पश्चिम बंगाल/सिक्किम/त्रिपुरा	369710	131400	35.5
23.	पांडिचेरी	10534	4759	45.2
	जोड़	**6425624**	**2191138**	**34.1**

*अनुमानित

परिशिष्ट - VII

1991-92 से 1995-96 के दौरान कालेजों की संख्या में वृद्धि : राज्यवार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96*		
		कालेजों की संख्या (यू.सी.+ ए.सी.)	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	कालेजों की संख्या (यू.सी.+ ए.सी.)	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	कालेजों की संख्या (यू.सी.+ ए.सी.)	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	कालेजों की संख्या (यू.सी.+ ए.सी.)	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	कालेजों की संख्या (यू.सी.+ ए.सी.)	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	1991-92 से 1995-96 के दौरान वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	686	94	717	31	790	73	879	89	945	66	259
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0
3.	असम	210	25	218	8	225	7	225	0	230	5	20
4.	बिहार	664	0	715	51	716	1	720	4	738	18	74
5.	गोवा	30	3	30	0	34	4	34	0	36	2	6
6.	गुजरात	370	14	385	15	388	3	435	47	448	13	78
7.	हरयाणा	155	1	155	0	166	11	171	5	177	6	22
8.	हिमाचल प्रदेश	53	11	54	1	54	0	61	7	63	2	10
9.	जम्मू और कश्मीर	46	2	46	0	48	2	53	5	56	3	10
10.	कर्नाटक	790	75	846	56	984	138	1001	17	1057	56	267
11.	केरल	225	32	225	0	226	1	228	2	230	2	5
12.	मध्य प्रदेश	631	0	631	0	636	5	638	2	640	2	9
13.	महाराष्ट्र	1191	90	1216	25	1385	169	1474	89	1550	76	359
14.	मणिपुर	44	19	50	6	50	0	51	1	51	0	7
15.	मेघालय	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	0
16.	मिजोरम	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0
17.	नागालैंड	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0	0
18.	उड़ीसा	289	12	303	14	312	9	543	231	555	12	266
19.	पंजाब	217	4	221	4	229	8	230	1	234	4	17

परिशिष्ट VII .. जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	राजस्थान	256	1	268	12	269	1	270	1	274	4	18
21.	सिक्किम	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0
22.	तमिलनाडु	380	23	384	4	385	1	431	46	439	8	59
23.	त्रिपुरा	19	2	19	0	19	0	19	0	19	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	949	5	953	4	954	1	954	0	957	3	8
25.	पश्चिम बंगाल	390	1	391	1	392	1	399	7	402	3	12
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0
27.	चंडीगढ़	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	0
28.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन दीव	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
30.	दिल्ली	80	1	80	0	82	2	85	3	87	2	7
31.	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	13	0	13	0	13	0	17	4	17	0	4
	जोड़	**7761**	**415**	**7993**	**232**	**8430**	**437**	**8991**	**561**	**9278**	**287**	**1517**

यू.सी. = यूनिवर्सिटी कालेज ए.सी. = संबद्ध कालेज * अनंतिम

परिशिष्ट - VIII

विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में पदों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण (1991-92 से 1995-96)

वर्ष	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरार*	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
1991-92	8,216	16,816	36,586	2,567	64,185
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)
1992-93	8,428	17,250	37,530	2,634	65,842
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)
1993-94**	8,645	17,695	38,498	2,702	67,540
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)
1994-95**	8,868	18,152	39,492	2,771	69,283
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)
1995-96**	9,099	18,624	40,518	2,843	71,084
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े उस वर्ष के कुल स्टाफ की संख्या में संबंधित काडर की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

*इनमें सहायक प्रोफेसर और सहायक लेक्चरार शामिल हैं ।

**अनुमानित

परिशिष्ट - IX

संबद्ध कालेजों में पदों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण (1991-92 से 1995-96)

वर्ष	वरिष्ठ शिक्षक*	लेक्चरार**	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
1991-92	28,979	1,70,327	9,173	2,08,479
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)
1992-93	30.017	1,76,431	9,502	2,15,950
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)
1993-94+	31,068	1,82,606	9,834	2,23,508
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)
1994-95+	32,180	1,89,144	10,186	2,31,510
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)
1995-96+	33,289	1,95,662	10,537	2,39,488
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल संख्या में काडर की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

* इनमें प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर तथा वरिष्ठ लेक्चरार शामिल हैं ।

** इनमें सहायक प्रोफेसर और सहायक लेक्चरार शामिल हैं ।

\+ अनुमानित

परिशिष्ट - X

संकायवार प्रदत्त डाक्टरेट की डिग्रियों की संख्या (1992-93 से 1994-95)

संकाय	1993-94	1994-95*
कला	4,039	4,351
विज्ञान	3,467	3281
वाणिज्य	515	560
शिक्षा	308	335
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	329	343
आयुर्विज्ञान	145	164
कृषि	769	852
पशु चिकित्सा विज्ञान	114	117
विधि	73	79
अन्य	164	188
जोड़	**9,923**	**10,270**

* अनंतिम

परिशिष्ट XI

वर्ष 1995-96 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) योजनेतर अनुदान के अंतर्गत

(रु॰ लाख में)

	केंद्रीय विश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान 02(1)	समविश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान 02(2)	राज्य विश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान 02(3)	शिक्षक अवार्ड 05(1) (क) से 05(iv)	अनुसंधान अध्येता-वृत्तियाँ 06(1क) से 06(2ख)	छात्रवृत्ति अध्येता-वृत्ति अवार्ड ईएंडटी 07	विश्व-विद्यालयेतर संस्थानों को व्यय की प्रतिपूर्ति 08	जनसंपर्क (मीडिया) केंद्र 09	विशिष्ट प्रयोजन	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केंद्रीय विश्वविद्यालय										
1. ए.एम.यू.	7127.99	–	–	0.82	56.96	0.19	–	–	–	7185.96
2. बी.एच.यू.	7540.22	–	–	–	178.73	42.51	–	–	–	7761.46
3. दिल्ली	4146.27	–	–	0.07	176.97	–	–	–	–	4323.31
					*0.19					*0.19
4. हैदराबाद	1167.32	–	–	–	68.99	6.83	–	–	–	1243.14
5. इग्नू	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. जे.एम.आई.	1224.82	–	–	0.43	30.64	–	–	132.50	–	1388.39
7. जवाहर लाल नेहरू	2219.71	–	–	–	313.27	–	–	–	–	2532.98
					*0.01					*0.01
8. नेहू	1536.12	–	–	0.05	0.86	–	–	–	–	1537.03
9. पांडिचेरी	471.69	–	–	–	11.28	–	–	–	–	482.97
10. विश्व भारती	1854.92	–	–	–	25.82	–	–	–	–	1880.74
11. नागालैंड	406.25	–	–	–	–	–	–	–	–	406.25
जोड़	**27695.31**	–	–	**1.37**	**863.52**	**49.53**	–	**132.50**	–	**28742.23**
					*0.20					*0.20

परिशिष्ट XI .. जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नाभिकीय विज्ञान केंद्र										
1. नाभिकीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. एन एस सी का शैक्षिक संचार संकाय	–	–	–	–	–	–	–	45.75	–	45.75
3. अंतर्विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	4.70	–	4.70
4. ई.एम.आर.सी., एम.के. विश्व-विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आई.सी.ए.ए., पुणे	–	–	–	–	0.75	–	–	–	–	0.75
जोड़	–	–	–	–	0.75	–	–	50.45	–	51.20
समविश्वविद्यालय संस्थाएँ										
1. बनस्थली विद्यापीठ	–	100.00	–	0.11	–	–	–	–	–	100.11
2. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	–	52.06	–	–	0.40	–	–	–	–	52.46
3. बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी	–	–	–	–	–	12.92	–	–	–	12.92
4. केंद्रीय इंजीनियरी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	–	330.77	–	0.51	4.81	–	–	44.00	–	380.09
5. केंद्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान, बंबई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	–	114.83	–	–	4.90	0.50	–	–	–	120.23
8. डकन कालेज स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान संस्थान, पुणे	–	–	–	–	3.97	–	–	–	–	3.97

परिशिष्ट XI ...जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	– 287.21	–	–	7.18	–	–	–	–	294.39
10. गोखले संस्थान, पूना	– –	–	–	–	–	–	–	–	–
11. गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद	– 269.41	–	–	–	–	–	–	–	269.41
12. गुरुकुल कांगड़ी वि॰वि॰, हरद्वार	– 182.91	–	–	0.38	–	–	–	–	183.29
13. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	– –	–	–	2.54	–	–	–	–	2.54
14. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	– –	–	0.72	49.97	–	–	–	–	50.69
15. भारतीय खान स्कूल, धनबाद	– 731.84	–	–	25.72	–	–	–	–	757.56
16. अंतर्राष्ट्रीय जन-संख्या विज्ञान संस्थान, बंबई	– –	–	–	3.22	–	–	–	–	3.22
17. भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज़ातनगर	– –	–	–	–	–	–	–	–	–
18. जे॰वी॰ भारती संस्थान, लाडनूं	– –	–	–	0.38	–	–	–	–	0.38
19. जामिया हमदर्द (दिल्ली)	– 325.63	–	–	3.37	5.09	–	–	–	334.09
20. कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान का राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली	– –	–	–	3.38	–	–	–	–	3.58
21. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	– –	–	–	0.35	–	–	–	–	0.35
22. राजस्थान वि॰ विद्यापीठ, उदयपुर	– –	–	–	–	–	–	–	–	–
23. आर॰ संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	– 87.79	–	–	0.39	–	–	–	–	88.18
24. योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	– –	–	–	–	–	–	–	–	–
25. श्री लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	– 138.83	–	–	4.04	–	–	–	–	142.37

परिशिष्ट XI ...जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. महिलाओं के लिए गृह-विज्ञान तथा उच्च शिक्षा का श्री अविनाशीलिंगम संस्थान	– 169.84	–	–	1.00	–	–	–	–	170.84
27. वन अनुसंधान संस्थान	– –	–	–	0.40	–	–	–	–	0.40
28. राष्ट्रीय मेडीकल हैल्थ इन्स्टीट्यूट	– –	–	–	4.50	–	–	–	–	4.50
29. श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	– –	–	–	–	–	–	–	–	–
30. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई	– 296.68	–	–	0.51	–	–	–	–	297.19
31. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	– –	–	–	–	–	–	–	–	–
32. थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	– 21.95	–	–	0.38	–	–	–	–	22.38
33. श्री सी॰एस॰एन॰एस॰ महाविद्यालय, कांचीपुरम्	– 7.00	–	–	–	–	–	–	–	7.00
जोड़	**– 3116.25**	**–**	**1.34**	**121.99**	**18.51**	**–**	**44.00**	**–**	**3302.09**
राज्य विश्वविद्यालय									
आंध्र प्रदेश									
1. आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	– –	–	–	–	–	–	–	–	–
2. आंध्र	– –	–	0.53	62.63	10.42	–	–	–	73.58
3. आंध्र प्रदेश कृषि	– –	–	–	–	–	–	–	–	–
4. डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	– –	–	0.14	–	–	–	–	–	0.14
5. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी	– –	–	–	–	–	–	–	–	–
6. ककातिया	– –	–	–	–	11.91	2.73	–	–	14.64
7. नागार्जुन	– –	–	–		5.60	–	–	–	5.60
8. उस्मानिया	– –	–	1.02	144.73	15.93	–	–	–	161.68
9. श्री कृष्ण देवराया	– –	–	0.70	18.57	–	–	–	–	19.27
10. श्री वेंकटेश्वर	– –	–	0.09	47.12 *0.02	7.34	–	–	–	54.55 *0.02

परिशिष्ट XI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. श्री पद्मावती महिला वि॰वि॰, तिरुपति	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	0.07
12. तेलुगु विश्वविद्यालय	-	-	-	-	4.11	-	-	-	-	4.11
जोड़	-	-	-	**2.48**	**277.23 *0.02**	**51.20**	**2.75**	-	-	**33.64 *0.02**
अरुणाचल प्रदेश										
1. अरुणाचल विश्वविद्यालय	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
असम										
1. असम कृषि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. डिब्रूगढ़	-	-	-	-	0.38	-	-	-	-	0.38
3. गोवाहाटी	-	-	-	0.68	3.06	-	-	-	-	3.74
जोड़	-	-	-	**0.68**	**3.44**	-	-	-	-	**4.12**
बिहार										
1. भागलपुर	-	-	-	0.06	2.69	-	-	-	-	2.75
2. बिहार	-	-	-	-	34.69	-	-	-	-	34.69
3. बिरसा कृषि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. के॰एस॰ दरभंगा संस्कृत	-	-	-	-	0.53	-	-	-	-	0.53
5. मगध	-	-	-	-	7.67	-	-	-	-	7.67
6. एल॰एन॰ मिथिला	-	-	-	-	16.90	-	-	-	-	16.90
7. पटना	-	-	-	0.09	57.04	-	-	-	-	57.13
8. राजेंद्र कृषि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. रांची	-	-	-	0.04	6.04	-	-	-	-	6.08
जोड़	-	-	-	**0.19**	**125.56**	-	-	-	-	**125.75**
हरयाणा										
1. हरयाणा कृषि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. कुरुक्षेत्र	-	-	-	0.06	34.41	-	-	-	-	34.47
3. महर्षि दयानंद	-	-	-	0.21	7.21	-	-	-	-	7.42
4. सी.सी.एस. (हरयाणा कृषि)	-	-	-	-	0.41	-	.	-	-	0.41
जोड़	-	-	-	**0.27**	**42.03**	-	-	-	-	**42.30**

परिशिष्ट XI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात राज्य										
1. भावनगर	–	–	–	–	1.52	–	–	–	–	1.52
2. गुजरात	–	–	–	–	3.23	–	–	5.50	–	8.73
3. गुजरात कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. गुजरात आयुर्वेद	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. एम.एस. वि०वि० बड़ौदा	–	–	–	0.05	6.83	10.29	–	–	–	17.17
6. नार्थ गुजरात वि०वि०	–	–	–	–	12.60	–	–	–	–	12.60
7. सरदार पटेल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. सौराष्ट्र	–	–	–	–	0.54	–	–	–	–	0.54
9. साउथ गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	–	–	–	**0.05**	**24.72**	**10.29**	–	**5.50**	–	**40.56**
गोवा राज्य										
1. गोवा – विश्वविद्यालय	–	–	–	0.57	–	–	–	–	0.57	
जोड़	–	–	–	–	**0.57**	–	–	–	–	**0.57**
हिमाचल प्रदेश										
1. हिमाचल प्रदेश	–	–	–	0.12	4.68	–	–	–	–	4.80
2. हिमाचल प्रदेश कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. डॉ० वाई.एस.पी. कृषि उद्यान तथा वानिकी वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	–	–	–	**0.12**	**4.68**	–	–	–	–	**4.80**
जम्मू-कश्मीर										
1. जम्मू	–	–	–	–	1.39 *0.08	–	–	–	–	1.39 *0.08
2. कश्मीर	–	–	–	0.08	–	–	–	–	–	0.08
3. शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	–	–	–	**0.08**	**1.39** ***0.08**	–	–	–	–	**1.47** ***0.08**

परिशिष्ट XI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक राज्य										
1. बंगलौर	–	–	–	–	15.58	6.46	–	–	–	22.34
2. गुलबर्गा	–	–	–	–	0.30	–	–	–	–	0.30
3. कन्नड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. कर्नाटक	–	–	–	0.13	5.54	–	–	–	–	5.67
5. कोवेम्पू	–	–	–	–	0.38	–	–	–	–	0.38
6. मंगलौर	–	–	–	–	0.48	–	–	–	–	0.48
7. मैसूर	–	–	–	–	32.14	–	–	–	–	32.14
8. भारतीय राष्ट्रीय विधि संस्थान, बंगलौर	–	–	–	–	0.90	–	–	–	–	0.90
9. कृषि विज्ञान वि०वि०, धारवाड़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	–	–	–	–	1.28	–	–	–	–	1.28
जोड़	–	–	–	0.13	56.90	6.46	–	–	–	63.49
केरल राज्य										
1. कालीकट	–	–	–	–	19.00 *0.04	–	–	–	–	19.00 *0.04
2. कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वि०वि०	–	–	–	–	1.06	6.50 *0.11	–	–	–	7.56 *0.11
3. केरल	–	–	–	0.04	8.62	–	–	–	–	8.66
4. केरल कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. महात्मा गांधी वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	–	–	–	0.04	28.68 *0.04	6.50 *0.11	–	–	–	35.22 *0.15
मणिपुर										
1. मणिपुर वि०वि०, इम्फाल	–	–	–		1.22	–	–	–	–	1.22
जोड़	–	–	–		1.22	–	–	–	–	1.22

परिशिष्ट XI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्यप्रदेश										
1. अवधेश प्रतापसिंह वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. बरकतुल्ला वि०वि०	–	–	–	–	16.45	–	–	–	–	16.45
3. गुरु घासीदास वि०वि०, बिलासपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. इंदिरा कला संगीत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. इंदिरा गांधी कृषि वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. देवी अहिल्या वि०वि०	–	–	–	–	10.00	–	–	–	–	10.00
7. माखनलाल सी.आर.पी. विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	–	–	–	0.01	0.53	–	–	–	–	0.54
9. जवाहरलाल नेहरू कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. जीवाजी	–	–	–	0.10	11.78	–	–	–	–	11.88
11. रवि शंकर	–	–	–	0.20	1.50	–	–	–	–	1.70
12. डॉ० एच.एस. गौड़	–	–	–	–	4.54 *0.01	1.94	–	–	–	6.48 *0.01
13. विक्रम वि०वि०	–	–	–	–	3.04	–	–	–	–	3.04
जोड़	**–**	**–**	**–**	**0.31**	**47.84** ***0.01**	**1.94**	**–**	**–**	**–**	**50.09** ***0.01**
महाराष्ट्र राज्य										
1. अमरावती वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. बंबई	–	–	–	0.09	29.13	37.97	–	–	–	67.19
3. डॉ० बी.एस.ए. प्रौद्यो. वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. कोंकण कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. महात्मा फूले कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. मराठवाड़ा वि०वि०	–	–	–	0.14	1.59	–	–	–	–	1.73
8. नागपुर	–	–	–	0.15	2.99	2.85	–	–	–	5.99
9. नार्थ महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. पूना	–	–	–	0.28	29.66	–	–	28.30	–	58.24

परिशिष्ट XI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. पंजाबराव कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. एस.एन.डी.टी. महिला	–	–	–	1.29	3.02	–	–	–	–	4.31
13. शिवाजी	–	–	–	1.29	3.02	–	–	–	–	4.31
14. यशवंतराव चह्वाण वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	–	–	–	**1.95**	**66.39**	**40.82**	–	**28.30**	–	**137.46**
उड़ीसा राज्य										
1. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. बहरामपुर	–	–	–	–	3.58	–	–	–	–	3.58
3. सम्बलपुर	–	–	–	–	3.20	0.65	–	–	–	3.85
4. श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. उत्कल	–	–	–	0.05	47.79	–	–	–	–	47.84
जोड़	–	–	–	**0.05**	**54.57**	**0.65**	–	–	–	**55.27**
पंजाब राज्य										
1. गुरु नानक देव	–	–	–	–	7.71	–	–	–	–	7.71
2. पंजाब	–	–	–	–	51.42	0.36	–	–	–	51.78
3. पंजाब कृषि	–	–	–	–	3.00	–	–	–	–	3.00
4. पंजाबी	–	–	–	–	6.14	–	–	–	–	6.14
जोड़	–	–	–	–	**68.27**	**0.36**	–	–	–	**68.63**
राजस्थान राज्य										
1. जे.एन.व्यास वि०वि०	–	–	–	0.19	10.44	2.04	–	29.99	–	42.66
2. कोटा मुक्त वि०वि०	–	–	–	–	0.10	–	–	–	–	0.10
3. एम.डी.एस.वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट XI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. एम.एल. सुखाड़िया	-	-	-	0.64	1.94 *0.13	-	-	-	-	2.58 *0.13
5. राजस्थान कृषि वि०वि०, बीकानेर	-	-	-	0.71	68.78	-	-	-	-	69.49
6. राजस्थान वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**-**	**1.54**	**81.26** ***0.13**	**2.04**	**-**	**29.99** **-**	**-**	**114.83** ***0.13**
तमिलनाडु राज्य										
1. अलगप्पा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भारतीदासन वि०वि०	-	-	-	0.01	35.42	-	-	-	-	35.43
3. अन्नामलाई वि०वि०	-	-	-	0.05	12.10	1.24	-	-	-	13.39
4. अन्ना वि०वि०	-	-	75.60	-	8.78	4.37	-	-	-	88.75
5. भरतियार वि०वि० कोयम्बत्तूर	-	-	-	0.16	6.98	-	-	-	-	7.14
6. डॉ० एम.जी.आर. मेडीकल वि०वि०	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	0.40
7. मद्रास विश्वविद्यालय	-	-	-	1.49	35.10 *0.05	-	-	-	-	36.59 *0.05
8. मदुरै कामराज	-	-	-	0.58	17.32 *0.03	-	-	30.55	-	48.45 *0.03
9. मदर टरेसा वि०वि०	-	-	-	-	5.93	-	-	-	-	5.93
10. एम० सुंदरनर वि०वि०	-	-	-	-	0.72	-	-	-	-	0.72
11. तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. तमिल वि०वि०	-	-	-	0.05	1.57	-	-	-	-	1.62
13. टी.एन.वी. तथा पशु विज्ञान वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**75.60**	**2.34**	**124.32** ***0.08**	**5.61**	**-**	**30.55**	**-**	**238.42** ***0.08**
त्रिपुरा राज्य										
1. त्रिपुरा वि०वि०	-	-	-	0.09	0.90	-	-	-	-	0.99
जोड़	**-**	**-**	**-**	**0.09**	**0.90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.99**

परिशिष्ट XI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश										
1. आगरा विश्वविद्यालय	–	–	–	0.21	2.69	–	–	–	–	2.90
2. इलाहाबाद	–	–	–	–	63.75	–	–	–	–	63.75
3. अवध	–	–	–	–	0.59	–	–	–	–	0.59
4. बुंदेलखंड	–	–	–	–	0.19	–	–	–	–	0.19
5. चंद्रशेखर आजाद	–	–	–	–	0.10	–	–	–	–	0.10
6. जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्यो॰	–	–	–	–	2.00	0.52	–	–	–	2.52
7. गोरखपुर वि॰वि॰	–	–	–	0.09 *0.25	14.60	–	–	–	–	14.69 *0.25
8. एच.एन.बी. वि॰वि॰	–	–	–	–	2.72	–	–	–	–	2.72
9. कानपुर वि॰वि॰	–	–	–	–	4.00	–	–	–	–	4.00
10. काशी वि॰वि॰	–	–	–	–	6.03	–	–	–	–	6.03
11. कुमाऊं वि॰वि॰	–	–	–	0.04	2.80	–	–	–	–	2.84
12. लखनऊ वि॰वि॰	–	–	–	0.04	12.72 *0.13	–	–	–	–	12.76 *0.13
13. मेरठ वि॰वि॰	–	–	–	–	15.16	–	–	–	–	15.16
14. पूर्वांचल वि॰वि॰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15. नरेंद्र देव वि॰वि॰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. रुहेलखंड वि॰वि॰	–	–	–	–	4.34	–	–	–	–	45.34
17. रुड़की वि॰वि॰	–	–	72.50	–	22.69	54.86	–	–	–	150.05
18. सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय	–	–	–	–	3.89	–	–	–	–	3.89
जोड़	**–**	**–**	**72.50**	**0.38** ***0.38**	**158.27**	**55.38**	**–**	**–**	**–**	**286.53** ***0.38**

परिशिष्ट XI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल										
1. बर्दवान वि०वि०	–	–	–	–	35.31	–	–	–	–	35.31
2. बी.सी. कृषि विश्वविद्यालय	–	–	–	–	0.40	–	–	–	–	0.40
3. कलकत्ता विश्वविद्यालय	–	–	–	0.12	37.35 *0.19	2.98	–	–	–	40.45 *0.19
4. जादवपुर विश्वविद्यालय	–	–	–	–	74.04	8.33	–	–	–	82.37
5. कल्याणी वि०वि०	–	–	–	–	10.94	–	–	–	–	10.94
6. नार्थ बंगाल वि०वि०	–	–	–	0.06	3.10	–	–	–	–	3.16
7. रबींद्र भारती	–	–	–	–	0.47	–	–	–	–	0.47
8. विद्यासागर	–	–	–	–	3.00	–	–	–	–	3.00
जोड़	–	–	–	**0.18**	**164.61** ***0.19**	**11.31**	–	–	–	**176.10** ***0.19**
कुल जोड़	**27695.31**	**3116.25**	**148.10**	**13.59**	**2319.11** ***1.13**	**260.60** ***0.11**	**2.73**	**321.29**	–	**33876.98** ***1.24**

जोड़	–	**8841.44** ***262.76**	**1.28**	**88.72**	**0.14** ***0.10**	–	–	–	**8931.58** ***262.86**

* समायोजन द्वारा

राज्य

विश्वविद्यालय

आंध्र प्रदेश

1. नागार्जुन वि०वि०	–	–	0.45	–	–	–	–	–	0.45
2. उस्मानिया	–	–	–	1.03	–	–	–	–	1.03
जोड़	–	–	**0.45**	**1.03**	–	–	–	–	**1.48**

अरुणाचल प्रदेश

1. अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–

असम

1. गोवाहाटी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
जोड़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट XI ...जारी

वर्ष 1995-96 के दौरान कालेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) योजनेतर अनुदान के अंतर्गत

(रु॰ लाख में)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केंद्रीय विश्वविद्यालय										
1. बी॰एच॰यू॰	–	91.97	1.28	0.17	–	–	–	–	93.42	
2. दिल्ली	–	8749.47	–	88.55	0.14	–	–	–	8838.16	
		*262.76			*0.10				*262.86	
3. पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

परिशिष्ट XI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार										
1. एल०एन० मिथिला वि०वि०	–	–	0.03	0.95	–	–	–	–	0.98	
2. मगध वि०वि०	–	–	0.04	–	–	–	–	–	0.04	
3. रांची वि०वि०	–	–	0.07	–	–	–	–	–	0.07	
जोड़	–	–	**0.14**	**0.95**	–	–	–	–	**1.09**	
हिमाचल प्रदेश										
1. एच.पी. वि०वि०	–	–	0.40	–	–	–	–	0.40	–	
जोड़	–	–	**0.40**		–	–	–	**0.40**	–	
गुजरात राज्य										
1. गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2. साउथ गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3. सौराष्ट्र वि०वि०	–	–	0.74	–	–	–	–	0.74	–	
कर्नाटक राज्य										
1. बंगलौर	–	0.34	–	–	–	–	–	0.34	–	
2. गुलबर्गा वि०वि०	–	0.29	–	–	–	–	–	0.29	–	
जोड़	–	**0.63**	–	–	–	–	–	**0.63**	–	
केरल राज्य										
1. केरल वि०वि०	–	0.31	0.05	0.37	–	–	–	0.73	–	
2. महात्मा गांधी वि०वि०	–	–	0.38	–	–	–	–	0.38	–	
जोड़	–	**0.31**	**0.43**	**0.37**	–	–	–	**1.11**	–	
मध्य प्रदेश										
1. देवी अहिल्या	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2. विक्रम वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3. रानी दुर्गावती वि०वि०	–	1.25	–	–	–	–	–	1.25	–	
जोड़	–	1.25	–	–	–	–	–	1.25	–	

परिशिष्ट XI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र राज्य										
1. अमरावती वि०वि०	–	0.93	–	–	–	–	–	0.93	–	
2. मराठवाड़ा वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3. नागपुर वि०वि०	–	1.16	0.38	–	–	–	–	1.54	–	
4. पूना	–	–	1.02	–	–	–	–	1.02	–	
5. शिवाजी										
6. बंबई	–	0.03	0.04	–	–	–	–	0.07	–	
7. एस.एन.डी.टी. महिला वि०वि०	–	1.69	–	–	–	–	–	1.69	–	
जोड़	–	**3.81**	**1.44**	–	–	–	–	**5.25**	–	
उड़ीसा राज्य										
1. उत्कल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2. संबलपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
जोड़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
पंजाब राज्य										
1. गुरु नानक देव	–	0.54	–	–	–	–	–	0.54	–	
जोड़	–	**0.54**	–	–	–	–	–	**0.54**	–	
राजस्थान राज्य										
1. एम.डी. सरस्वती वि०वि०	–	–	2.20	–	–	–	–	2.20	–	
2. राजस्थान विश्वविद्यालय	–	–	0.40	–	–	–	–	2.40	–	
जोड़	–	–	**2.60**	–	–	–	–	**2.60**	–	
तमिलनाडु राज्य										
1. मद्रास वि०वि०	–	0.91	0.98	–	–	–	–	1.89	–	
2. मदुरै कामराज	–	1.44	0.79	–	–	–	–	2.23	–	
3. भारतीदासन	–	0.71	–	–	–	–	–	0.71	–	
4. भरतियार वि०वि०	–	1.50	–	–	–	–	–	1.50		
जोड़	–	**4.56**	**1.77**	–	–	–	–	**6.33**	–	

परिशिष्ट XI ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश										
1. आगरा वि०वि०	–	–	2.50	0.07	–	–	–	2.57	–	
2. इलाहाबाद	–	–	0.35	0.20	–	–	–	0.55	–	
3. गोरखपुर	–	0.64	1.36	–	–	–	–	2.00	–	
4. बुंदेलखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5. लखनऊ	–	–	0.76	–	–	–	–	0.76	–	
6. एच०एन०बी० वि०वि० गढ़वाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7. चौ० चरणसिंह वि०वि०	–	0.77	4.67	–	–	–	–	5.44	–	
8. पूर्वांचल वि०वि०	–	–	0.06	–	–	–	–	0.06	–	
9. रुहेलखंड वि०वि०	–	–	12.42	–	–	–	–	12.42	–	
10. डॉ. राम मनोहर लोहिया	–	1.13	0.49	–	–	–	–	1.62	–	
11. अवध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12. वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
जोड़	–	**2.54**	**22.61**	**0.27**	–	–	–	**25.42**	–	
पश्चिम बंगाल										
1. कलकत्ता वि०वि०	–	0.40	0.41	–	–	27.00	–	27.81	–	
2. बर्दवान वि०वि०	–	–	0.32	–	–	–	–	0.32	–	
जोड़	–	**0.40**	**0.73**	–	–	**27.00**	–	**28.13**	–	
कुल जोड़	**8841.44** *262.76	**15.91**	**121.42**	**0.78** *0.10	–	**27.00**	–	**9006.55** *262.86	–	

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट XI ...जारी

सारांश (योजनेतर) 1995-96

(रु॰ लाख में)

क्र सं.	विवरण	केंद्रीय वि॰वि॰ को ब्लाक अनुदान	ब्लाक अनुदान (सम वि॰वि॰)	अनुरक्षण अनुदान (कालेज दिल्ली)	विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान	कालेजों को अनुरक्षण अनुदान (बी.एच.यू.)	शिक्षक अवार्ड	अनुसंधान अध्येता-वृत्ति	ई एंड टी छात्रवृत्ति/ अध्येता-वृत्ति	जन संपर्क केंद्र	केंद्रीय वि॰वि॰ को विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान	विश्व-विद्-यालयेतर सं-स्थाएं	प्रशा॰ प्रभार	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
विश्वविद्यालय														
1.	केंद्रीय विश्व-विद्यालय 221	27695.31	-	-	-	-	1.37	863.52 *0.20	49.53	132.50	-	-	-	28742.23 *0.20
2.	सम विश्व-विद्यालय	-	3116.25	-	-	-	1.34	121.99	18.51	44.00	-	-	-	3302.09
3.	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य विश्व-विद्यालय (अन्ना तथा रुड़की)	-	-	-	148.10	-	-	-	-	-	-	-	-	148.10
4.	यू.जी.सी. केंद्र	-	-	-	-	-	-	0.75	-	50.45	-	-	-	51.20
5.	राज्य विश्व-विद्यालय	-	-	-	-	-	10.88	1332.85 *0.93	192.56 *0.11	94.34	-	2.73	-	1633.36 *1.04
कुल विश्वविद्यालय		27695.31	3116.25	-	148.10	-	13.59	2319.11 *1.13	260.60 *0.11	321.29	-	2.73	-	33876.98 *1.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कालेज														
1.	दिल्ली के कालेज	–		8749.47 *262.76	–	–	–	88.55	0.14 *0.10	–	–	–	–	8838.16 *262.86
2.	बी.एच.यू. के कालेज	–	–	–	–	91.97	1.28	0.17	–	–	–	–	–	93.42
3.	राज्य के कालेज	–	–	–	–	–	14.63	32.70	0.64	27.00	–	–	–	74.97
कुल कालेज		–		**-8749.47 *262.76**	–	**91.97**	**15.97**	**121.42**	**0.78 *0.10**	**27.00**	–	–	–	**9006.55 *262.86**
कुल जोड़ (विश्व-विद्यालय + कालेज)		**27695.31**	**3116.25**	**8749.47 *262.76**	**148.10**	**91.97**	**29.50**	**2440.53 *1.13**	**261.38 *0.21**	**348.29**	–	**2.73**	–	**42883.53 *264.10**
विश्व-विद्यालयेतर संस्थाएँ														62.77
प्रशासनिक प्रभार														864.25
जोड़		**27695.31**	**3116.25**	**8749.47 *262.76**	**148.10**	**91.97**	**29.50**	**2440.53 *1.13**	**262.38 *0.21**	**348.29**	–	**2.73**	–	**42946.30**

पूर्ण जोड़ **43810.55**
***264.10**

*समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XII

वर्ष 1995-96 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) केंद्रीय योजना, इंजी॰ तथा प्रौद्यो॰ और खंड-III के अंतर्गत

(रु॰ लाख में)

	वि॰वि॰/ कालेजों में बुनियादी सुविधाएँ	उत्कृष्टता और अनुसंधान का संवर्धन	जनशक्ति विकास	अनौ-पचारिक शिक्षा	अंतर्विश्व-विद्यालय केंद्र	उदीयमान विषयों में नवाचार/ पाठ्यक्रम	अंत-र्राष्ट्रीय सहयोग	यू.जी.सी. का प्रबंध	खेल एवं शारी-रिक शिक्षा	जोड़ क से झ	इंजी॰ तथा प्रौद्यो॰	जोड़ क से ञ	खंड-III विशिष्ट अनुदान	कुल जोड़
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ		ञ			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केंद्रीय विश्वविद्यालय														
1. ए.एम.यू.अलीगढ़	377.06	56.65	41.02	-	-	5.00	-	5.60	-	485.33	62.50	547.83	-	547.83
			*0.07							*0.07		*0.07		*0.07
2. असम वि॰वि॰	540.00	4.07	-	-	-	-	-	-	-	544.07	-	544.07	-	544.07
3. बी.एच.यू. वाराणसी	3397.78	189.33	40.31	-	1.72	-	2.00	-	2.78	3633.92	213.53	3847.45	-	3847.45
		*0.04	*0.05							*0.09				*0.09
4. दिल्ली विश्वविद्यालय	247.57	254.43	62.35	7.05	1.67	7.80	4.50	-	-	585.37	1.85	587.22	-	587.22
		*1.00	*0.09							*1.09		*1.09		*1.09
5. हैदराबाद वि॰वि॰	157.48	91.83	35.84	-	-	-	8.70	2.50	-	296.35	9.67	306.02	-	306.02
6. इग्नू	-	-	0.27	-	-	-	-	-	-	0.27	-	0.27	-	0.27
7. जे.एन.यू. वि॰वि॰	121.78	97.27	50.44	-	1.72	1.50	4.00	-	-	276.71	1.42	278.13	-	278.13
		*0.99	*0.02							*1.01		*1.01		*1.01
8. जे.एम.आई. वि॰वि॰	130.70	30.13	20.03	0.66	-	35.80	6.00	-	-	223.32	25.50	248.82	-	248.82
9. नेहू	149.21	77.67	13.54	5.36	-	3.00	-	-	-	248.78	-	248.78	-	248.78
10. नागालैंड वि॰वि॰	260.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	262.00	-	262.00	-	262.00
11. पांडिचेरी वि॰वि॰	257.58	8.36	12.43	2.46	-	9.92	-	0.06	-	290.81	10.60	301.41	-	301.41
		*1.37				*0.32				*1.69		*1.69		*1.69
12. तेजपुर वि॰वि॰	265.30	4.22	-	-	-	-	-	-	-	269.52	-	269.52	-	269.52
13. विश्वभारती वि॰वि॰	231.77	32.86	4.46	1.00	-	-	-	-	-	270.09	-	270.09	-	270.09
14. बी.बी.आर.ए. वि॰वि॰,लखनऊ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00
जोड़	6236.23	848.82	280.69	16.53	5.11	63.02	25.20	8.16	2.78	7486.54	325.07	7811.61	-	7811.61
		*3.40	*0.23			*0.32				*3.95		*3.95		*3.95

परिशिष्ट XII ...जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	ञ			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ														
1. आई.यू.सी., पूना	-	-	0.80	-	586.56	-	-	-	-	587.36	-	587.36	-	587.36
2. आई.यू.सी., इंदौर	-	-	-	-	615.00	15.00	-	-	-	630.00	-	630.00	-	630.00
3. एन.एस.सी., नई दिल्ली	-	32.00	-	-	1019.11	-	-	-	-	1051.11	-	1051.11	-	1051.11
4. शैक्षिक संचार संकाय द्वारा एन.एस.सी.	-	-	2.00	-	24.04	37.99	-	-	-	64.03	-	64.03	-	64.03
5. आई.आई.ए.एस., शिमला	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	15.00	-	15.00	-	15.00
6. एन.ए.ए.सी., बंगलौर	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00
7. डब्लू आर आई सी, बंबई	-	-	-	-	52.00	0.75	-	-	-	52.75	-	52.75	-	52.75
जोड़	**-**	**32.00**	**2.80**	**-**	**2411.71**	**53.74**	**-**	**-**	**-**	**2500.25**	**-**	**2500.25**	**-**	**2500.25**
समविश्वविद्यालय संस्थाएँ														
1. महिलाओं के लिए गृह-विज्ञान तथा उच्च शिक्षा का अविनाशीलिंगम् संस्थान	23.90	3.05	2.05	0.02	-	9.30	-	5.50	-	43.82	8.33	52.15	-	52.15
2. बनस्थली विद्यापीठ	33.04	4.98 *0.07	-	-	-	-	-	-	-	38.02 *0.07	-	38.02 *0.07	-	38.02 *0.07
3. बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी	-	3.57	-	2.00	-	-	-	-	-	5.57	38.69	44.26	-	44.26
4. राष्ट्रीय मेडिकल स्वास्थ्य संस्थान	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-	0.21	-	0.21	-	0.21
5. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	25.00	-	25.00
6. केंद्रीय इंजीनियरी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	30.14	-	4.81	3.00	-	4.00	-	-	-	41.45	1.50	43.45	-	43.45
7. दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	5.25	8.80	-	2.74	-	-	-	-	-	16.79	31.88	48.17	-	48.17
8. डकन कालेज पी.जी. तथा अनुसंधान संस्थान, पुणे	14.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-	15.00	-	15.00
9. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	67.03	1.01	1.23	4.82	-	1.50	-	-	-	75.59	16.00	91.59	-	91.59
10. गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद	30.88	1.60	4.00	2.00	-	2.83	-	-	-	41.31	43.75	85.06	0.27	85.33
11. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	5.48	2.21	-	0.83	-	24.25	-	-	-	32.77	4.80	37.57	-	37.57
12. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट XII ...जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	-	55.58 *2.38	2.13	-	50.00	3.87	-	-	-	111.58 *2.38	82.79	194.37 *2.38	-	194.37 *2.38
14. भारतीय खान स्कूल धनबाद	-	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	6.00	56.66	62.66	-	62.66
15. श्री एल.बी.एस. संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली	61.23	2.90	-	-	-	3.75	-	-	-	67.88	-	67.88	-	67.88
16. श्री एस.एस. उच्च शिक्षा संस्थान	23.88	4.50	0.19	-	-	-	-	-	-	28.57	1.40	29.97	-	29.97
17. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	146.45	8.82	1.07	-	-	-	-	-	-	156.34	-	156.34	-	156.34
18. जामिया हमदर्द, दिल्ली	24.45	-	0.79 *0.07	-	-	-	3.00	-	-	25.58 *0.07	13.06 -	38.64 *0.07	-	38.64 *0.07
19. कला संरक्षण इतिहास तथा संग्रहालय विज्ञान का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, दिल्ली	-	-	-0.65	-	-	-	-	-	-	0.65	-	0.65	-	0.65
20. सी.आई.एच.टी.एस., वाराणसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज़ातनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. राजस्थान विद्यापीठ	17.34	3.31	-	-	-	-	-	-	-	20.65	-	20.65	-	20.65
24. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	35.00	1.00	4.49	-	-	2.50	-	-	-	42.99	5.00	47.99	-	47.99
25. योजना तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	2.32	-	3.88	2.00	-	-	-	-	-	8.70	-	8.70	-	8.70
27. थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	17.30	8.37	-	-	-	-	-	-	-	25.67	31.00	56.67	-	56.67
28. केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	-	0.60	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-	0.60	-	0.60
29. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बंबई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. जे.वी. भारती संस्थान	39.11	-	-	-	-	-	-	-	-	39.11	4.99	44.10	-	44.10
31. गोखले संस्थान, पूना	-	6.64	4.51	-	-	-	-	-	-	11.15	-	11.15	-	11.15
32. श्री सी.एस.एन.एस. महाविद्यालय, कांचीपुरम्	14.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00	-	15.00	-	15.00
जोड़	591.14	120.94 *2.45	34.01 *0.07	17.41	50.00	52.00	-	5.50	-	871.00 *2.52	364.35 *2.45	1235.35 *4.97	0.27	1235.62 *4.97

परिशिष्ट XII ...जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य विश्वविद्यालय														
आंध्र प्रदेश														
1. आंध्र वि०वि०	57.14	117.49 *0.06	18.56	3.19	-	37.65	4.00	-	-	238.03 *0.06	42.23	280.26 *0.06	-	280.26 *0.06
2. आं.प्र. कृषि वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्यो० वि०वि०	14.64	4.14	-	3.00	-	6.00	-	-	-	27.78	10.00	37.78	-	37.78
4. ककातिया वि०वि०	6.74	13.45	2.10	5.20	-	3.00	-	-	-	30.49	35.03	65.52	-	65.62
5. नागार्जुन वि०वि०	6.08	5.48	4.19	8.15	-	5.00	-	-	-	28.90	-	28.90	-	28.90
6. उस्मानिया वि०वि०	26.44	99.36	31.21	16.50	31.82	32.62	2.00	-	-	239.95	45.58	285.53	-	285.53
7. श्री कृष्ण देवराया	20.06	21.90 *0.01	6.85	-	-	13.00	-	-	-	61.81 *0.01	8.37	70.18 *0.01	-	70.18 *0.01
8. श्री पद्मावती महिला वि०वि०	42.83	5.99	-	2.30	-	13.50	-	-	-	64.62	20.84	85.46	-	85.46
9. श्री वर्केटेश्वर वि०वि०	30.46	35.79	27.32	10.00	3.66	2.00	0.60	-	-	109.83	67.34	177.17	-	177.17
10. डॉ० बी.आर.ए. मुक्त वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
11. तेलुगु वि०वि०	3.64	-	1.86	-	-	-	-	-	-	5.50	-	5.50	-	5.50
जोड़	**208.03**	**303.60** ***0.07**	**92.09**	**48.34**	**35.48**	**112.77**	**6.60**	**-**	**-**	**806.91** ***0.07**	**229.39**	**1036.30** ***0.07**	**-**	**1036.30** ***0.07**
असम														
1. डिब्रूगढ़ वि०वि०	6.24	1.59	10.54	-	-	-	-	-	-	18.37	19.00	37.37	-	37.37
2. गोवाहाटी	21.21	35.37	24.88	-	-	7.00	-	-	-	88.46	16.00	104.46	-	104.46
जोड़	**27.45**	**36.96**	**35.42**	**-**	**-**	**7.00**	**-**	**-**	**-**	**106.83**	**35.00**	**141.83**	**-**	**141.83**
अरुणाचल प्रदेश														
1. अरुणाचल वि०वि०	14.00	1.50	1.00	-	-	-	-	-	-	16.50	-	16.50	-	16.50
बिहार														
1. टी.एम. भागलपुर, वि०वि०	0.39	17.25	-	4.00	-	-	-	-	-	21.64	-	21.64	-	21.64
2. डॉ० बी.आर.ए. (बिहार) वि०वि०	-	-	8.67	9.00	-	-	-	-	-	17.67	-	17.67	-	17.67
3. बिरसा कृषि वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. के.एस. दरभंगा संस्कृत वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. एल.एन. मिथिला वि०वि०	0.16	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.16	-	1.16	-	1.16

परिशिष्ट XII ...जारी

		क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	ञ				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	मगध वि०वि०	38.44	3.07	3.00	4.00	-	-	-	-	-	48.51	-	48.51	-	48.51
7.	पटना	3.19	2.27	0.50	7.50	-	-	-	-	-	13.46	1.23	14.69	-	14.69
8.	रांची	3.02	0.77	11.96	-	-	-	-	-	-	15.75	-	15.75	-	15.75
	जोड़	**45.20**	**2336** *0.02	**25.13**	**24.50**	-	-	-	-	-	**118.19** *0.02	**1.23**	**119.42** *0.02	-	**119.42** *0.02
	गुजरात														
1.	भावनगर वि०वि०	18.67	0.31	2.80	0.45	-	0.48	-	-	-	22.71	8.00	30.71	-	30.71
2.	गुजरात वि०वि०	5.84	23.12 *0.48	-	-	-	-	-	-	-	28.96 *0.48	11.52	40.48 *0.48	-	40.48 *0.48
3.	एम.एस. वि०वि० बड़ौदा	3.86	63.75 *1.92	- *0.50	1.80	14.00	17.00	-	-	-	100.41 *2.42	29.76	130.17 *2.42	-	130.17 *2.42
4.	सरदार पटेल वि०वि०	20.08	31.60 *0.01	2.00	4.00	-	3.06	-	-	-	60.74 *0.01	16.00	76.74 *0.01	-	76.74 *0.01
5.	साउथ गुजरात वि०वि०	8.85	0.35	2.51	-	-	-	-	-	-	11.71	28.87	40.58	6.00	46.58
6.	सौराष्ट्र वि०वि०	45.51	8.28	21.24	16.24	16.20	-	-	-	-	91.23	15.62	106.85	-	106.85
7.	नार्थ गुजरात वि०वि०	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	-	0.47	-	0.47
8.	गुजरात आयुर्वेद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**103.28**	**127.41** *2.41	**28.55** *0.50	**22.45**	**14.00**	**20.54**	-	-	-	**316.23** *2.91	**109.77**	**426.00** *2.91	**6.00**	**432.00** *2.91
	गोवा														
1.	गोवा विश्वविद्यालय	5.93	0.27	19.93	0.50	-	0.60	3.00	-	-	30.23	-	30.23	-	30.23
	जोड़	**5.93**	**0.27**	**19.93**	**0.50**	-	**0.60**	**3.00**	-	-	**30.23**	-	**30.23**	-	**30.23**
	हरयाणा														
1.	चौ० चरणसिंह कृषि वि०वि०	0.95	0.21	-	-	-	-	-	-	-	1.16	-	1.16	-	1.16
2.	कुरुक्षेत्र वि०वि०	46.96	17.86	26.37	10.11	-	8.18	-	-	-	109.48	29.07	138.55	-	138.55
3.	महर्षि दयानंद वि०वि०, रोहतक	17.03	7.82 *0.08	3.00	3.00	-	3.00	-	-	-	33.85 *0.08	6.35	40.20 *0.08	-	40.20 *0.08
	जोड़	**63.99**	**26.63** *0.08	**29.58**	**13.11**	-	**11.18**	-	-	-	**114.49** *0.08	**35.42**	**179.91** *0.08	-	**179.91** *0.08

परिशिष्ट XII ...जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हिमाचल प्रदेश														
1. हिमाचल प्रदेश वि०वि०	1.68	3.72	22.94	11.30	4.50	-	-	-	-	44.14	6.00	50.14	0.50	50.64
2. एच.पी. कृषि वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**1.68**	**3.72**	**22.94**	**11.30**	**4.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.14**	**6.00**	**50.14**	**0.50**	**50.64**
जम्मू और कश्मीर														
1. जम्मू विश्वविद्यालय	15.83	20.48	6.98	6.85	1.90	-	-	-	-	52.04	18.25	70.29	1.00	71.29
2. कश्मीर विश्वविद्यालय	5.00	14.27	12.71	3.00	-	23.46	7.00	-	-	65.44	2.89	68.33	-	68.33
जोड़	**20.83**	**34.75**	**19.69**	**9.85**	**1.90**	**23.46**	**7.00**	**-**	**-**	**117.48**	**21.14**	**138.62**	**1.00**	**139.62**
कर्नाटक राज्य														
1. बंगलौर	1.08	34.22	-	2.00	-	-	-	-	-	37.30	4.31	41.61	-	41.61
2. गुलबर्गा	40.98	6.43	-	0.50	1.04	-	-	-	-	48.95	-	48.95	6.00	54.95
3. कर्नाटक	9.43	7.48	7.97	1.50	-	18.75	-	1.00	-	46.13	-	46.13	-	46.13
4. कुवेम्पू	5.00	-	1.50	-	-	-	-	-	-	6.50	-	6.50	-	6.50
5. मंगलौर	20.52	5.99	8.28	-	-	-	-	-	-	34.79	-	34.79	-	34.79
		*0.01								*0.01		*0.01		*0.01
6. मैसूर वि०वि०	0.94	73.41	27.68	3.81	-	74.00	-	-	-	179.84	-	179.84	-	179.84
		*0.07								*0.07		*0.07		*0.07
7. भारतीय राष्ट्रीय विधि संस्थान बंगलौर	27.17	4.28	1.00	-	-	-	-	-	-	32.45	-	32.45	-	32.45
8. कृषि विज्ञान वि०वि०, धनबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. कृषि विज्ञान वि०वि०, बंगलौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. कन्नड	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
11. एस एस सी संस्कृत वि०वि०	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00
जोड़	**105.12**	**131.91**	**47.43**	**7.81**	**1.04**	**92.75**	**-**	**1.00**	**-**	**387.06**	**4.31**	**391.37**	**6.00**	**397.37**
		***0.08**								***0.08**		***0.08**		***0.08**

परिशिष्ट XII ...जारी

		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केरल															
1.	कालीकट वि०वि०	12.58	4.96	14.80	2.00	-	78.00	-	-	-	112.34	-	112.34	6.00	118.34
2.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी वि०वि०	15.74	7.21	10.10	-	-	3.62	-	-	-	36.67	34.23 *0.08	70.90 *0.08	-	70.90 *0.08
3.	महात्मा गांधी वि०वि०	8.48	1.18	11.49	-	-	3.00	-	-	-	24.15	12.95	37.10	-	37.10
4.	केरल वि०वि०	8.72	82.08	15.13	12.22	-	-	-	0.50	-	118.65	-	118.65	-	118.65
5.	केरल कृषि	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**45.52**	**95.43**	**51.52**	**14.22**	**-**	**84.62**	**-**	**0.50**	**-**	**291.81**	**47.18** ***0.08**	**338.99** ***0.08**	**6.00**	**344.99** ***0.08**
मध्य प्रदेश															
1.	अवधेश पी. सिंह वि०वि०	5.00	-	3.89	5.00	-	-	-	-	-	13.89	19.35	33.24	6.00	39.24
2.	बरकतुल्ला वि०वि०	20.00	1.90 *0.07	3.50	11.86	-	25.28	-	-	-	62.54 *0.07	-	62.54 *0.07	-	62.54 *0.07
3.	देवी अहिल्या वि०वि०	8.90	19.11	28.67	0.92 *1.58	-	31.75	-	-	-	89.35 *1.58	22.00	111.35 *1.58	-	111.35 *1.58
4.	डॉ० एच.एस. गौड़ वि०वि०	30.33	11.61	5.51	2.00	-	-	-	-	-	49.45	30.84	80.29	-	80.29
5.	गुरु घासी दास वि०वि० बिलासपुर	24.36	-	-	3.50	-	-	-	-	-	27.86	10.66	38.52	-	38.52
6.	इंदिरा कला संगीत	2.61	0.05	-	2.60	-	-	-	-	-	5.26	-	5.26	-	5.26
7.	जीवाजी वि०वि०	51.93	4.76	-	5.50	-	49.59	-	-	-	111.78	32.07	143.85	6.00	149.85
8.	रानी दुर्गावती वि०वि०	26.51	13.59	30.67	10.00	-	-	-	-	-	80.77	14.57	95.34	-	95.34
9.	रविशंकर वि०वि०	5.17	1.42	-	2.00	1.04	-	-	-	-	9.63	-	9.63	-	9.63
10.	विक्रम वि०वि०	22.98	6.75	0.11	7.88	-	1.30	-	-	-	39.02	2.65	41.67	-	41.67
	जोड़	**197.79**	**59.19** ***0.07**	**72.35**	**51.26** ***1.58**	**1.04**	**107.92**	**-**	**-**	**-**	**489.55** ***1.65**	**132.14**	**621.69** ***1.65**	**12.00**	**633.69** ***1.65**
महाराष्ट्र राज्य															
1.	अमरावती वि०वि०	14.50	0.56	-	-	-	-	-	-	-	15.06	15.65	30.71	6.00	36.71
2.	बंबई वि०वि०	149.47	52.83	9.24	16.13	30.00	-	2.85	-	-	260.52	138.09	398.61	-	398.61
3.	नार्थ महाराष्ट्र	24.75	-	2.50	-	-	-	-	-	-	27.25	-	27.25	-	27.25
4.	मराठवाड़ा वि०वि०	4.62	20.29	23.93	7.50	-	-	-	-	-	56.34	-	56.34	-	56.34
5.	मराठवाड़ा कृषि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	नागपुर वि०वि०	17.52	9.54 *0.06	17.50	5.88	2.50	-	-	-	-	52.94 *0.06	7.30	60.24 *0.06	-	60.24 *0.06

परिशिष्ट XII ...जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8. पूना वि०वि०	3.01	54.26	62.62	14.75	-	1.79	2.00	-	-	138.43	-	138.43	-	138.43
9. एस.एन.डी.टी. महिला वि०वि०	23.82	3.53	5.00	5.35	22.00	9.25	-	-	-	68.95	15.82 *18.72	84.77 *18.72	-	84.77 *18.72
10. शिवाजी वि०वि०	27.68	9.40	17.53	14.86	-	13.75	-	-	-	83.22	0.03	83.25	-	83.25
जोड़	**265.37**	**150.41** ***0.06**	**138.32**	**64.47**	**54.50**	**24.79**	**4.85**	**-**	**-**	**702.71** ***0.06**	**176.89** ***18.72**	**879.60** ***18.78**	**6.00**	**885.60** ***18.78**
मणिपुर राज्य														
1. मणिपुर वि०वि०	20.36	7.01	3.63	5.00	6.50	12.80	1.00	-	-	56.30	35.66	91.96	-	91.96
जोड़	**20.36**	**7.01**	**3.63**	**5.00**	**6.50**	**12.80**	**1.00**	**-**	**-**	**56.30**	**35.66**	**91.96**	**-**	**91.96**
उड़ीसा राज्य														
1. बरहामपुर वि०वि०	24.50	4.17	0.09	7.85	-	4.00	-	-	-	40.61	7.32	47.93	-	47.93
2. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि०वि०	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	-	0.17	-	0.17
3. सम्बलपुर वि०वि०	27.83	3.72	10.80	5.00	-	23.00	-	-	-	70.35	7.91	78.26	-	78.26
4. श्री जगन्नाथ संस्कृत वि०वि०	5.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	8.00	4.00	12.00	-	12.00
5. उत्कल वि०वि०	23.09	26.67	11.09	2.00	-	-	-	-	-	62.85	-	62.85	-	62.85
जोड़	**80.59**	**34.56**	**24.98**	**14.85**	**-**	**27.00**	**-**	**-**	**-**	**181.98**	**19.23**	**201.21**	**-**	**201.21**
पंजाब														
1. गुरु नानक देव वि०वि०	54.15	16.28	16.24	5.00	-	7.00	-	3.25	-	101.92	17.44	119.36	0.04	119.40
2. पंजाब वि०वि०	26.88	169.96	25.64	32.07	2.34	28.25	-	-	-	285.14	7.98	293.12	-	293.12
3. पंजाब कृषि वि०वि०	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	0.25
4. पंजाबी वि०वि०	20.94	16.00	4.83	2.00	-	11.12	-	-	-	54.89	-	54.89	-	54.89
जोड़	**102.22**	**202.24**	**46.71**	**39.07**	**2.34**	**46.37**	**-**	**3.25**	**-**	**442.20**	**25.42**	**467.62**	**0.04**	**467.66**

परिशिष्ट XII ...जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राजस्थान राज्य														
1. जे.एन. व्यास (जोधपुर)	15.62	16.74	12.53	0.95	1.04	13.32	–	–	–	60.20	16.34	76.54	2.00	78.54
2. राजस्थान वि०वि०	30.87	57.77 *12.25	41.30	0.50	–	1.95	2.00	–	–	134.39 *12.25	–	134.39 *12.25	–	134.39 *12.25
3. राजस्थान कृषि वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. कोटा मुक्त वि०वि०	–	1.50	–	2.00	–	–	–	–	–	3.50	–	3.50	–	3.50
5. एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय	1.20	36.27	–	0.70	–	–	–	–	–	38.17	–	38.17	–	38.17
6. एम.डी.एस. वि०वि० (अजमेर)	5.00	2.00	2.00	–	–	–	–	–	–	9.00	9.25	18.25	–	18.25
जोड़	**52.69**	**114.28 *12.25**	**55.83**	**4.15**	**1.04**	**15.27**	**2.00**	**–**	**–**	**245.26 *12.25**	**25.59 –**	**270.85 *12.25**	**2.00**	**272.85 *12.25**
तमिलनाडु राज्य														
1. अलगप्पा वि०वि०	20.52	1.00	–	8.50	–	3.00	–	–	3.00	36.02	7.00	43.02	–	43.02
2. अन्ना वि०वि०	75.85	17.24	0.54	–	5.68	23.02	–	–	–	122.33	40.97	163.30	–	163.30
3. अन्नामलाई वि०वि०	9.65	10.40	–	8.41	–	23.02	–	–	–	31.46 –	38.64 *1.20	70.10 *1.20	–	70.10 *1.20
4. भरतियार वि०वि०	5.55	2.73	2.36	7.41	–	–	–	–	–	18.05	34.39	52.44	–	52.44
5. भारतीदासन वि०वि०	5.73	17.43	7.95	4.50	–	4.38 *1.03	1.03	–	–	41.02 *1.03	34.39	52.44 *1.03	–	52.44 *1.03
6. डॉ० एम.जी.आर. मेडीकल वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. मद्रास वि०वि०	19.85 *0.02	89.17 *1.77	28.80	6.00	–	25.08	1.57	–	–	170.47 *1.79	1.00	171.47 *1.79	1.50	172.97 *1.79
8. मदुरै कमराज वि०वि०	20.87	15.15 *0.23	14.64	7.00	–	30.62	–	–	–	88.28 *0.23	2.79 *1.21	91.07 *1.44	–	91.07 *1.44
9. मदर टरेसा वि०वि०	4.95	4.28	–	2.04	–	–	–	–	–	11.27	2.50	13.77	–	13.77
10. एम. सुंदरनर वि०वि०	23.86	4.03	–	2.00	–	5.00	–	–	–	34.89	15.00	49.89	–	49.89
11. तमिल वि०वि०	11.00	2.37	0.72	4.00	–	–	–	–	–	18.09	2.50	20.59	–	20.59
12. टी.एन.वी. तथा पशु विज्ञान वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13. टी०एन० कृषि वि०वि०	–	0.05	–	–	–	–	–	–	–	0.05	–	0.05	–	0.05
जोड़	**197.83 *0.02**	**163.85 *2.00**	**55.01**	**49.86**	**5.68**	**94.10 *1.03**	**2.60**	**–**	**3.00**	**571.93 *3.05**	**151.14 *2.41**	**723.07 *5.46**	**1.50**	**724.57 *5.46**
त्रिपुरा														
1. त्रिपुरा वि०वि०	16.66	1.54	–	–	–	–	–	–	–	18.20	3.24	21.44	–	21.44
जोड़	**16.66**	**1.54**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**18.20**	**3.24**	**21.44**	**–**	**21.44**

परिशिष्ट XII ...जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तर प्रदेश														
1. आगरा वि•वि•	11.10	1.28	4.21	4.50	–	6.00	–	–	–	27.09	–	27.09	–	27.09
2. इलाहाबाद वि•वि•	14.13	51.84	64.12	2.00	–	28.25	–	–	–	160.34	0.98	161.32	–	161.32
										*0.03		*0.03		*0.03
3. अवध वि•वि•	–	1.26	0.75	4.40	–	6.88	–	–	–	13.29	–	13.29	–	13.29
4. बुंदेलखंड वि•वि•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. चंद्रशेखर आजाद	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. चौ. चरण सिंह (मेरठ) वि•वि•	19.76	9.92	3.41	2.00	–	–	–	–	–	35.09	–	35.09	–	35.09
7. जी.बी. पंत कृषि तथा प्रौद्यो• वि•वि•	–	0.05	1.00	–	–	–	–	–	–	1.05	0.87	1.92	–	1.92
8. गोरखपुर वि•वि•	30.89	7.30	16.65	12.43	–	2.50	–	–	–	69.77	–	69.77	–	69.77
			*0.03							*0.03		*0.03		*0.03
9. एच.एन.बी. (गढ़वाल) वि•वि•	20.11	21.86	–	6.50	–	1.80	–	–	–	50.27	6.39	56.66	–	56.66
10. कानपुर वि•वि•	16.00	–	–	6.80	–	–	–	–	–	22.80	1.50	24.30	–	24.30
11. काशी विद्यापीठ	31.50	4.30	1.80	17.00	–	–	–	–	–	54.60	2.50	57.10	–	57.10
12. कुमाऊं वि•वि•	10.00	7.02	5.65	–	–	3.00	–	–	–	25.67	–	25.67	–	25.67
13. लखनऊ वि•वि•	10.87	90.96	–	2.35	–	7.84	–	1.50	–	113.52	6.60	120.12	0.05	120.17
14. रुहेलखंड वि•वि•	35.22	9.77	–	1.00	–	7.50	–	–	–	53.49	15.00	68.49	–	68.49
15. पूर्वांचल वि•वि•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. रुड़की वि•वि•	6.28	14.00	1.00	–	–	15.58	–	–	–	36.86	95.00	131.86	–	131.86
						*0.53				*0.53		*0.53		*0.53
17. सम्पूर्णानंद संस्कृत वि•वि•	18.49	0.35	–	–	–	3.75	–	–	–	22.59	–	22.59	–	22.59
जोड़	**224.35**	**219.91**	**98.59**	**58.98**	**–**	**83.10**	**–**	**1.50**	**–**	**686.43**	**128.84**	**815.27**	**0.06**	**815.32**
			*0.06			*0.53				*0.59		*0.59		*0.59
पश्चिम बंगाल														
1. बी.सी. कृषि वि•वि•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. बर्दमान वि•वि•	7.47	77.90	27.63	13.00	–	0.96	–	–	–	126.96	14.99	141.95	5.00	146.95
3. कलकत्ता वि•वि•	7.52	143.17	31.50	–	30.00	6.12	–	–	–	218.31	3.77	222.08	–	222.08
4. जादवपुर वि•वि•	5.07	45.80	24.37	7.50	1.26	–	–	–	–	84.00	75.46	159.46	–	159.46
5. कल्याणी वि•वि•	7.26	9.94	–	5.00	–	0.40	–	–	1.00	23.60	–	23.60	–	23.60
6. नार्थ बंगाल वि•वि•	4.08	5.47	4.00	3.00	5.00	2.00	–	–	–	23.55	0.91	24.46	–	24.46
7. रवींद्र भारती वि•वि•	0.28	3.34	–	–	–	4.50	–	–	–	8.12	–	8.12	–	8.12
8. विद्यासागर वि•व•	13.89	0.08	–	2.00	–	–	–	–	–	15.97	–	15.97	–	15.97
जोड़	**45.57**	**285.70**	**87.50**	**30.00**	**36.26**	**13.98**	**–**	**–**	**1.00**	**500.51**	**95.13**	**595.64**	**5.00**	**600.64**
कुल राज्य विश्वविद्यालय	**1844.46**	**2024.23**	**956.20**	**470.22**	**164.28**	**778.25**	**27.05**	**6.25**	**4.00**	**6274.94**	**1282.72**	**7557.66**	**46.09**	**7603.75**
पूर्ण जोड़	**8671.83**	**3025.99**	**1273.70**	**504.16**	**2631.10**	**947.01**	**52.25**	**19.91**	**6.78**	**17132.73**	**1972.14**	**19104.87**	**46.36**	**19151.23**
	*0.02	*22.89	*0.86	*1.58		*1.88	–	–	–	*27.23	*23.66	*50.89	–	*50.89

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट XII ...जारी

वर्ष 1995-96 के दौरान कालेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) केंद्रीय योजना, इंजी॰ तथा प्रौद्यो॰ और खंड-III के अंतर्गत

(रु॰ लाख में)

		वि॰वि॰/ कालेजों में बुनियादी सुविधाएँ	उत्कृष्टता और अनुसंधान का संवर्धन	जनशक्ति विकास	अनौपचारिक शिक्षा	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र	उदीयमान विषयों में नवाचार/ पाठ्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	यू.जी.सी. का प्रबंध	खेल एवं शारी. शिक्षा	जोड़ क से झ	इंजी. तथा प्रौद्यो.	जोड़ क से ञ	खंड-III जोड़ विशिष्ट अनुदान	कुल जोड़
		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ		ञ			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केंद्रीय विश्वविद्यालय															
1.	ए.एम.यू., अलीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	असम वि॰वि॰	69.66	1.37	-	-	-	18.00	-	-	-	89.03	4.50	93.53	-	93.53
3.	बी.एच.यू. वाराणसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	दिल्ली विश्वविद्यालय	148.64	47.57	42.73	0.15	-	33.90	-	-	-	272.99	5.68	278.67	-	278.67
5.	हैदराबाद वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	इग्नू, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	जे.एन.यू. नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	नेहू, शिलांग	14.79	0.08	0.50	-	-	7.50	-	-	-	22.87	-	22.87	-	22.87
10.	पांडिचेरी	4.75	0.47	-	-	-	9.00	-	-	-	14.22	4.50	18.72	-	18.72
11.	तेजपुर वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	विश्वभारती वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	237.84	49.49	43.23	0.15	-	68.40	-	-	-	399.11	14.68	413.79	-	413.79
राज्य विश्वविद्यालय															
आंध्र प्रदेश															
1.	आंध्र वि॰वि॰	67.60	4.66	0.29	-	-	37.00	-	-	-	109.55	11.75	121.30	1.58	122.88
2.	ककातिया वि॰वि॰	20.39	0.85	-	-	-	6.00	-	-	-	27.24	3.00	30.24	-	30.24
3.	नागार्जुन वि॰वि॰	33.80	3.80	-	-	-	3.11	-	-	-	40.71	5.00	46.21	1.95	48.16
4.	उस्मानिया वि॰वि॰	30.70	5.40	1.19	-	-	15.27	-	-	-	52.56	3.00	55.56	6.00	61.56
5.	श्री कृष्णदेवराया वि॰वि॰	8.25	2.49	0.50	-	-	13.75	-	-	-	24.99	15.75	40.74	0.46	41.20
6.	श्री वेंकटेश्वर वि॰वि॰	6.99	0.20	-	-	-	-	-	-	-	7.19	-	7.19	-	7.19
	जोड़	167.73	17.40	1.98	-	-	76.13	-	-	-	262.24	39.00	301.24	9.99	311.23

परिशिष्ट XII ...जारी

		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
असम राज्य															
1.	डिब्रूगढ़ वि॰वि॰	75.41	5.19	1.09	-	-	83.69	-	-	-	165.38	-	165.38	-	165.38
2.	गोवाहाटी वि॰वि॰	50.11	2.47	3.08	-	-	-	-	-	-	55.66	-	55.66	-	55.66
	जोड़	**125.52**	**7.66**	**4.17**	**-**	**-**	**83.69**	**-**	**-**	**-**	**221.04**	**-**	**221.04**	**-**	**221.04**
अरुणाचल प्रदेश															
1.	अरुणाचल वि॰वि॰	1.40	0.34	-	-	-	1.50	-	-	-	3.24	1.50	4.74	-	4.74
	जोड़	**1.40**	**0.34**	**-**	**-**	**-**	**1.50**	**-**	**-**	**-**	**3.24**	**1.50**	**4.74**	**-**	**4.74**
बिहार															
1.	तिलकमंती भागलपुर वि॰वि	10.96	3.25	-	-	-	12.00	-	-	-	26.21	1.25	27.46	0.30	27.76
2.	बी. आर. अम्बेडकर वि॰वि॰	15.91	1.90	-	-	-	-	-	-	-	17.81	2.50	20.31	-	20.31
3.	विनोबा भावे वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	एल.एन. मिथिला वि॰वि॰	18.65	0.27	0.50	1.90	-	3.50	-	-	-	24.82	3.75	28.57	-	28.57
5.	मगध वि॰वि॰	62.04	1.38	0.50	-	-	5.71	-	-	-	69.63	1.50	71.13	-	71.13
6.	पटना वि॰वि॰	-	1.91	0.01	-	-	-	-	-	-	1.92	-	1.92	-	1.92
7.	रांची वि॰वि॰	37.42	0.69	0.50	-	-	37.50	-	-	-	76.11	11.50	87.61	-	87.61
8.	जय प्रकाश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**144.98**	**9.40**	**1.51**	**1.90**	**-**	**58.71**	**-**	**-**	**-**	**216.50**	**20.50**	**237.00**	**0.30**	**237.30**
गुजरात															
1.	भावनगर वि॰वि॰	5.46	2.49	-	-	-	3.00	-	-	-	10.95	-	10.95	-	10.95
2.	गुजरात वि॰वि॰	13.63	4.59	0.15	-	-	48.00	-	-	-	66.37	7.50	73.87	-	73.87
3.	एम.एस. वि॰वि॰ बड़ौदा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	सरदार पटेल वि॰वि॰	9.37	0.40	0.40	-	-	11.50	-	-	-	21.67	3.00	24.67	-	24.67
5.	साउथ गुजरात वि॰वि॰	10.17	0.68	-	-	-	-	-	-	-	10.85	4.25	15.10	-	15.10
6.	सौराष्ट्र वि॰वि॰	13.43	-	-	-	-	4.50	-	-	-	17.93	-	17.93	-	17.93
7.	नार्थ गुजरात वि॰वि॰	14.02	-	-	-	-	-	-	-	-	14.02	4.50	18.52	-	18.52
	जोड़	**66.08**	**8.16**	**0.55**	**-**	**-**	**67.00**	**-**	**-**	**-**	**141.79**	**19.25**	**161.04**	**-**	**161.04**

परिशिष्ट XII ...जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
गोवा														
1. गोवा विश्वविद्यालय	5.59	0.29	0.35	-	-	7.50	-	-	-	13.73	1.50	15.23	-	15.23
जोड़	**5.59**	**0.29**	**0.35**	**-**	**-**	**7.50**	**-**	**-**	**-**	**13.73**	**1.50**	**15.23**	**-**	**15.23**
हरयाणा														
1. कुरुक्षेत्र वि॰वि॰	78.27	0.94	0.02	1.34	-	15.96	-	-	-	96.53	3.75	100.28	-	100.28
2. एम.डी. वि॰वि॰	18.26	1.22	-	1.12	-	15.00	-	-	-	35.60	1.25	36.85	0.15	37.00
जोड़	**96.53**	**2.16**	**0.02**	**2.46**	**-**	**30.96**	**-**	**-**	**-**	**132.13**	**5.00**	**137.13**	**0.15**	**137.28**

हिमाचल प्रदेश

1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	16.49	1.13	-	-	-	36.00	-	-	-	53.62	10.75	64.37	2.40	66.77
	जोड़	**16.49**	**1.13**	**-**	**-**	**-**	**36.00**	**-**	**-**	**-**	**53.62**	**10.75**	**64.37**	**2.40**	**66.77**

जम्मू और कश्मीर

1.	जम्मू विश्वविद्यालय	8.90	-	-	-	-	-	-	-	-	8.90	-	8.90	-	8.90
2.	कश्मीर विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	7.50	4.25	11.75	-	11.75
	जोड़	**8.90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.50**	**-**	**-**	**-**	**16.40**	**4.25**	**20.65**	**-**	**20.65**

कर्नाटक

1.	बंगलौर कि॰वि॰	16.95	3.92	4.37	-	-	24.41	-	-	-	49.65	7.49	57.14	1.25	58.39
2.	गुलबर्गा कि॰वि॰	6.55	-	3.00	-	-	6.50	-	-	-	16.05	-	16.05	-	16.05
3.	कन्नड कि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	कर्नाटक कि॰वि॰	17.86	0.73	1.25	-	-	9.00	-	-	-	28.84	8.00	36.84	-	36.84
5.	कुवेम्पू कि॰वि॰	9.76	-	-	-	-	1.50	-	-	-	11.28	4.25	15.53	-	15.53
6.	मंगलौर कि॰वि॰	16.15	1.90	0.03	-	-	24.75	-	-	-	42.83	5.85	48.68	-	48.68
7.	मैसूर कि॰वि॰	9.80	0.78	-	-	-	29.90	-	-	-	40.48	5.75	46.23	0.44	46.67
8.	भारतीय राष्ट्रीय विधि संस्थान, बंगलौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	कृषि तथा विज्ञान कि॰वि॰, धारवाड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	कृषि कि॰वि॰ बंगलौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**77.09**	**7.33**	**8.65**	**-**	**-**	**95.06**	**-**	**-**	**-**	**189.13**	**31.34**	**220.47**	**1.69**	**222.16**

परिशिष्ट XII ...जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केरल														
1. कालीकट वि•वि•	11.49	0.51	4.59	-	-	5.50	-	-	9.26	31.35	-	31.35	12.00	43.35
2. कोचीन विज्ञान तथा प्रोद्यो• वि•वि•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केरल वि•वि•	11.23	-	0.95	-	-	-	-	-	-	12.18	1.25	13.43	-	13.43
4. केरल कृषि वि•वि•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. महात्मा गांधी वि•वि•	26.40	2.35	-	-	-	24.00	-	-	-	52.75	2.75	55.50	10.00	65.50
जोड़	**49.12**	**2.66**	**5.54**	**-**	**-**	**29.50**	**-**	**-**	**9.26**	**96.28**	**4.00**	**100.28**	**22.00**	**122.28**
मणिपुर														
1. मणिपुर वि•वि•	21.10	0.19	-	-	-	-	-	-	-	21.49	3.00	24.49	-	24.49
जोड़	**21.10**	**0.19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.49**	**3.00**	**24.49**	**-**	**24.49**
मध्य प्रदेश														
1. ए.पी. सिंह वि•वि•	10.21	2.17	0.15	-	-	5.00	-	-	-	17.53	-	17.53	-	17.53
2. बरकतुल्ला वि•वि•	23.76	18.35	10.95	-	-	10.17	-	-	-	63.23	-	63.23	-	63.23
3. गुरु घासीदास वि•वि•	40.41	0.93	-	-	-	4.50	-	-	-	45.47	1.50	46.97	-	46.97
4. इंदिरा कला संगीत वि•वि•	2.30	-	-	-	-	-	-	-	-	2.30	-	2.30	-	2.30
5. देवी अहिल्या वि•वि•	46.97	6.21	2.01	-	-	6.25	-	-	-	61.44	1.50	62.94	-	62.94
6. एम सी आर पी वि•वि•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. रानी दुर्गावती वि•वि•	53.02	0.87	0.81	-	-	16.00	-	-	-	70.70	-	70.70	-	70.70
8. जवाहर लाल नेहरू कृषि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. जीवाजी वि•वि•	29.11	13.07	-	-	-	-	-	-	-	42.18	-	42.18	-	42.18
10. पं. रविशंकर वि•वि•	16.47	0.35	0.02	-	-	3.00	-	-	-	19.84	1.25	21.09	-	21.09
11. डॉ• एच.एस. गौड़ वि•वि•	24.61	0.40	0.38	-	-	6.00	-	-	-	31.39	3.00	34.39	-	34.39
12. विक्रम वि•वि•	27.90	0.24	-	-	-	3.00	-	-	-	31.14	4.25	35.39	-	35.39
जोड़	**274.39**	**42.59**	**14.32**	**-**	**-**	**53.92**	**-**	**-**	**-**	**385.22**	**11.50**	**396.72**	**-**	**396.72**

परिशिष्ट XII ...जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
महाराष्ट्र														
1. अमरावती वि•वि•	14.13	-	0.80	-	-	4.50	-	-	-	19.43	4.25	23.68	0.46	24.14
2. बंबई वि•वि•	30.48	2.96	0.29	-	-	58.00	-	-	-	91.73	11.75	103.48	-	103.48
3. मराठवाड़ा कृषि वि•वि•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. डॉ. बी.आर.अम्बेडकर मराठवाड़ा वि•वि•	62.87	4.25	0.19	0.30	20.64	18.10	-	-	-	106.35	1.25	107.60	-	107.60
5. नागपुर वि•वि•	28.67	2.18	0.17	-	-	6.00	-	-	-	37.02	9.00	46.02	1.95	47.97
6. नार्थ महाराष्ट्र	26.05	-	-	-	-	-	-	-	-	26.05	-	26.05	-	26.05
7. पूना वि•वि•	67.01	10.15	3.11	-	-	48.50	-	-	-	128.77	15.61	144.38	9.46	153.84
8. एस.एन.डी.टी. महिला वि•वि•	6.45	4.36	0.24	-	-	-	-	-	-	11.05	3.05	14.10	-	14.10
9. शिवाजी वि•वि•	57.61	5.98	-	-	-	10.50	-	-	-	74.09	-	74.09	-	74.09
10. एस. आर. टी. मराठवाड़ा वि•वि•	1.97	0.90	0.20	-	-	-	-	-	-	3.07	-	3.07	-	3.07
जोड़	**295.24**	**30.78**	**5.00**	**0.30**	**20.64**	**145.60**	**-**	**-**	**-**	**497.56**	**44.91**	**542.47**	**11.87**	**554.34**
नागालैंड														
1. नागालैंड वि•वि•	5.95	-	0.30	-	-	-	-	-	-	6.25	-	6.25	-	6.25
जोड़	**5.95**	**-**	**0.30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.25**	**-**	**6.25**	**-**	**6.25**
उड़ीसा														
1. बरहामपुर वि•वि•	6.09	0.41	-	-	-	4.50	-	-	-	11.00	1.40	12.40	0.68	13.08
2. उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी वि•वि•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सम्बलपुर वि•वि•	13.22	0.75	0.58	-	-	-	-	-	-	14.55	2.50	17.05	-	17.05
4. श्री जगन्नाथ संस्कृत वि•वि•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. उत्कल वि•वि•	79.07	8.88	1.44	1.00	-	13.50	-	-	-	103.89	15.75	119.64	0.90	120.54
जोड़	**98.38**	**10.04**	**2.02**	**1.00**	**-**	**18.00**	**-**	**-**	**-**	**129.44**	**19.65**	**149.09**	**1.58**	**150.67**
पंजाब														
1. गुरु नानक देव वि•वि•	81.90	0.18	0.18	-	-	23.37	-	-	-	105.63	2.50	108.13	6.25	114.38
2. पंजाब वि•वि•	84.97	2.79	1.40	0.53	-	8.90	-	-	-	98.59	8.50	107.09	-	107.09
3. पंजाब कृषि वि•वि•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. पंजाबी वि•वि•	13.67	-	-	-	-	-	-	-	-	13.67	-	13.67	-	13.67
जोड़	**180.54**	**2.97**	**1.58**	**0.53**	**-**	**32.27**	**-**	**-**	**-**	**217.89**	**11.00**	**228.89**	**6.25**	**235.14**

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राजस्थान														
1. एम.डी.एस. वि•वि• (अजमेर)	86.40	5.53	0.66	0.31	–	8.47	–	–	4.50	105.87	18.00	123.87	0.90	124.77
2. जे.एन. व्यास (जोधपुर)	3.12	0.22	–	–	–	–	–	–	–	3.34	–	3.34	–	3.34
3. राजस्थान वि•वि•	75.79	1.29	1.51	–	–	12.00	–	–	–	90.59	3.36	93.95	–	93.95
4. राजस्थान कृषि वि•वि•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. कोटा मुक्त वि•वि•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय	8.24	0.34	–	–	–	–	–	–	–	8.58	2.75	11.33	–	11.33
जोड़	**173.55**	**7.38**	**2.17**	**0.31**	**–**	**20.47**	**–**	**–**	**4.50**	**208.38**	**24.11**	**232.49**	**0.90**	**233.39**
तमिलनाडु														
1. अलगप्पा वि•वि•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. अन्ना वि•वि•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अन्नामलाई वि•वि•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. भरतियार वि•वि•	9.58	0.18	–	–	–	4.50	–	–	–	14.26	–	14.26	–	14.26
5. भारतीदासन वि•वि•	31.80	12.65	–	0.50	–	10.50	–	–	5.50	60.95	13.29	74.24	0.75	74.99
6. मद्रास वि•वि•	26.43	33.35	7.59	0.30	–	17.50	–	–	–	85.17	1.50	86.67	–	86.67
7. मदुरै के. वि•वि•	43.02	24.54	0.65	0.16	–	28.50	–	–	7.81	104.68	8.50	113.18	–	113.18
8. एम. सुंदरनर वि•वि•	24.27	5.10	–	–	–	–	–	–	–	29.37	–	29.37	–	29.37
9. मदर टेरेसा वि•वि•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. तमिल वि•वि•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. डॉ• एम जी आर मेडीकल वि•वि•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	**135.10**	**75.82**	**8.24**	**0.96**	**–**	**61.00**	**–**	**–**	**13.31**	**294.43**	**23.29**	**317.72**	**0.75**	**318.47**
त्रिपुरा														
1. त्रिपुरा वि•वि•	3.06	–	–	–	–	3.00	–	–	–	6.06	2.75	8.81	–	8.81
जोड़	**3.06**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3.00**	**–**	**–**	**–**	**6.06**	**2.75**	**8.81**	**–**	**8.81**

परिशिष्ट XII ...जारी

		क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तर प्रदेश															
1.	डॉ. बी.आर.ए. आगरा वि॰वि॰	11.55	4.89	3.68	-	-	-	-	-	-	20.12	-	20.12	3.79	23.91
2.	इलाहाबाद वि॰वि॰	8.88	-	1.21	-	-	4.50	-	-	-	14.59	-	14.59	-	14.59
3.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वि॰वि॰	8.85	0.98	0.33	-	-	-	-	-	-	10.16	-	10.16	-	10.16
4.	बुंदेलखंड वि॰वि॰	5.10	0.93	0.57	-	-	10.50	-	-	-	17.10	-	17.10	6.00	23.10
5.	गोरखपुर वि॰वि॰	16.67	4.67	0.55	0.03	-	37.16	-	-	1.94	61.11	4.00	65.11	0.24	65.35
6.	एच.बी.एन. (गढ़वाल) वि॰वि॰	8.21	1.38	0.41	-	-	12.00	-	-	-	22.00	-	22.00	-	22.00
7.	कानपुर वि॰वि॰	45.99	4.47	1.00	1.15	-	25.50	-	-	5.00	83.11	-	83.11	-	83.11
8.	डा. राम मनोहर	26.09	1.69	1.83	1.25	-	15.07	-	-	-	45.93	1.25	47.18	0.81	47.99
9.	कुमाऊं वि॰वि॰	-	0.48	0.37	-	-	-	-	-	-	0.85	-	0.85	-	0.85
10.	लखनऊ वि॰वि॰	2.20	1.00	0.56	-	-	16.50	-	-	-	20.26	1.50	21.76	-	21.76
11.	चौ. चरणसिंह (मेरठ) वि॰वि॰	64.45	9.38	2.16	-	-	13.50	-	-	-	89.49	2.75	92.24	1.34	93.5
12.	रुहेलखंड वि॰वि॰	16.91	33.17	1.58	-	-	22.50	-	-	-	74.16	4.00	78.16	1.35	79.51
13.	पूर्वांचल वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	रुड़की वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	सम्पूर्णानंद संस्कृत वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**214.90**	**63.13**	**14.25**	**2.43**	**-**	**157.23**	**-**	**-**	**6.94**	**458.88**	**13.50**	**462.38**	**13.53**	**485.91**
पश्चिम बंगाल															
1.	बर्दमान वि॰वि॰	31.13	0.86	1.68	-	-	16.50	-	-	-	50.17	7.00	57.17	0.43	57.60
2.	कलकत्ता वि॰वि॰	63.50	23.40	2.15	-	-	51.03	-	-	-	140.08	104.58	244.66	-	244.66
3.	जादवपुर वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	कल्याणी वि॰वि॰	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20	-	2.20	-	2.20
5.	नार्थ बंगाल वि॰वि॰	16.08	1.87	0.51	-	-	9.17	-	-	-	27.63	1.25	28.88	-	28.88
6.	रबींद्र भारती वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	विद्यासागर वि॰वि॰	14.79	0.19	-	-	-	4.50	-	-	-	19.48	7.25	26.73	1.40	28.13
	जोड़	**127.70**	**26.32**	**4.34**	**-**	**-**	**81.20**	**-**	**-**	**-**	**239.56**	**120.08**	**359.64**	**1.83**	**361.47**
	पूर्ण जोड़	**2527.18**	**365.44**	**118.42**	**10.04**	**20.64**	**1134.64**	**-**	**-**	**34.01**	**4210.37**	**425.56**	**4635.93**	**73.24**	**4709.17**

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XII ...जारी

वर्ष 1995-96 के दौरान प्रदत्त योजनागत अनुदानों का सारांश

	वि॰वि॰/ कालेजों में बुनियादी सुविधाएँ	उत्कृष्टता और अनुसंधान का संवर्धन	जनशक्ति विकास	अनौपचारिक शिक्षा	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र	उदीयमान विषयों में नवाचार पाठ्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	यू.जी.सी. का प्रबंध	खेल एवं शारी. शिक्षा	जोड़ क से झ	इंजी. तथा प्रौद्यो.	जोड़ क से ञ	खंड-III जोड़	कुल जोड़
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ		ञ			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केंद्रीय विश्वविद्यालय	6236.23 -	848.82 *3.40	280.69 *0.23	16.53 -	5.11 -	63.02 *0.32	25.20 -	8.16 -	2.78 -	7486.54 *3.95	325.07 -	7811.61 *3.95	-	7811.61 *3.95
समविश्वविद्यालय	591.14	120.94 *2.45	34.01 *0.07	17.41	50.00	52.00	-	5.50	-	871.00 *2.52	364.35 *2.45	1235.35 *4.97	0.27	1235.62 *4.97
राज्य विश्वविद्यालय	1844.46	2024.23 *17.04	956.20 *0.56	470.22 *1.58	164.28	778.75 *1.56	27.05	6.25	4.00	6274.94 *20.76	1282.72 *21.21	7557.66 *41.97	46.09	7603.75 *41.97
अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र	-	32.00	2.80	-	2411.71	53.74	-	-	-	2500.25	-	2500.25	-	2500.25
क कुल विश्वविद्यालय	**8671.83 *0.02**	**3025.99 *22.89**	**1273.70 *0.86**	**504.16 *1.58**	**2631.10**	**947.01 *1.88**	**52.25**	**19.91**	**6.78**	**17132.73 *27.23**	**1972.14 *23.66**	**19104.87 *50.89**	**44.36**	**19151.23**
कालेज														
केंद्रीय विश्वविद्यालय कालेज	237.84	49.49	43.23	0.15	-	68.40	-	-	-	399.11	14.68	413.79	-	413.79
राज्य कालेज	2289.34	315.95	75.19	9.98	20.64	1066.24	-	-	34.01	3811.26	410.88	4222.14	73.24	4295.38
ख कुल कालेज	2527.18	365.44	118.42	10.04	20.64	1134.64	-	-	34.01	4210.37	425.37	4635.93	73.24	4709.17
ग कुल विश्वविद्यालय कालेज	**11199.01 *0.02**	**3391.43 *22.89**	**1392.12 *0.86**	**2651.74 *1.88**	**514.20**	**2081.65 *1.58**	**52.25**	**19.91**	**40.79**	**21343.10 *27.23**	**2397.70 *23.66**	**23740.80 *50.89**	**119.60**	**23860.40 *50.89**
स्थापना से की गई अदायगियाँ	-	2.45	68.27	0.10	-	54.55	65.97	111.98	-	303.32	-	303.32	-	303.32
विश्वविद्यालयेतर संस्थाएँ	0.02	0.61	13.25	-	-	-	-	69.84	-	83.72	-	83.72	-	83.72
पूर्ण जोड़	**11199.03 *0.02**	**3394.49 *22.89**	**1475.64 *0.86**	**514.30 *1.58**	**2651.74**	**2136.20 *1.88**	**118.22**	**201.73**	**40.79 *27.23**	**21730.14 *23.66**	**2398.70 *50.89**	**24127.84 -**	**119.60 *50.89**	**24247.44**

* समायोजन द्वारा

**व्यक्तिक अवार्ड

परिशिष्ट - XIII

वर्ष 1993-94 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालयों के संबंध में अनुरक्षण अनुदान (योजनेतर) तथा आवर्ती व्यय (योजनेतर) को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/विश्वविद्यालय	वि०अ०आ० से योजनेतर अनुरक्षण अनुदान (रु० लाख में)	कुल योजनेतर आवर्ती व्यय (रु० लाख में)
1	2	3
क : केंद्रीय विश्वविद्यालय		
आंध्र प्रदेश		
1. हैदराबाद	1000.00	उ०न०
मेघालय		
2. नार्थ ईस्टर्न हिल	1427.52	1468.21
उत्तर प्रदेश		
3. अलीगढ़ मुस्लिम	5722.95	उ०न०
4. बनारस हिंदू	6006.95	6350.71
पश्चिम बंगाल		
5. विश्व भारती	1476.84	1492.76
दिल्ली		
6. दिल्ली	3236.34	3382.32
7. जामिया मिलिया इस्लामिया	1146.70	1130.02
8. जवाहरलाल नेहरू	1884.62	1735.61
पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)		
9. पांडिचेरी	448.18	370.15

राज्य/विश्वविद्यालय	वि॰अ॰आ॰ से योजनेतर अनुरक्षण अनुदान (रु॰ लाख में)	कुल योजनेतर आवर्ती व्यय (रु॰ लाख में)
1	2	3
(ख) समविश्वविद्यालय		
आंध्र प्रदेश		
1. केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान	249.76	287.39
2. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	-	70.93
3. श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	-	116.89
बिहार		
4. भारतीय खान स्कूल	555.02	627.77
गुजरात		
5. गुजरात विद्यापीठ	196.42	उ॰न॰
हरयाणा		
6. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	-	87.11
महाराष्ट्र		
7. गोखले राजनीति तथा अर्थशास्त्र संस्थान	-	88.39
8. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	-	97.15
9. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	211.77	244.75
10. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	-	88.21
राजस्थान		
11. बनस्थली विद्यापीठ	20.00	248.60
12. बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान	-	517.36

समविश्वविद्यालय ....जारी

1		2	3
तमिलनाडु			
13.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	221.83	223.51
14.	महिलाओं के लिए गृह-विज्ञान तथा उच्च शिक्षा का एस०ए० संस्थान	54.27	256.52
15.	श्री सी०एस०एन०एस० महाविद्यालय	7.00	शून्य
उत्तर प्रदेश			
16.	दयालबाग शिक्षा संस्थान	104.60	273.92
17.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	133.50	उ०न०
18.	वन अनुसंधान संस्थान	-	510.56
दिल्ली			
19.	जामिया हमदर्द	54.55	उ०न०
20.	श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ	54.27	उ०न०

उ०न० : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी :

1. केंद्रीय विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालय संस्थाओं के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा सूचित किए गए व्यय को दिखाया गया है । राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इस परिशिष्ट में दिए गए आँकड़े विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं ।

2. यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकारों से विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त केवल अनुरक्षण अनुदानों तथा कुल आवर्ती व्यय (योजनेतर) को दिखाया गया है । विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकारों (राज्य विश्वविद्यालयों के लिए) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (केंद्रीय विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालय संस्थाओं के लिए) को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों को नहीं दिखाया गया है ।

3. आवर्ती व्यय (योजनेतर) में ये मदें शामिल हैं - शिक्षण स्टाफ तथा प्रशासनिक स्टाफ का वेतन, रसायनों की खरीद, उपस्करों का अनुरक्षण, परीक्षाएँ संचालित करना, भवनों का अनुरक्षण तथा दिन-प्रति-दिन के कार्यकलापों पर होने वाला व्यय ।

०००००

वर्ष 1993-94 के लिए राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में अनुरक्षण अनुदान तथा आवर्ती व्यय (योजनेतर) को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/विश्वविद्यालय		राज्य सरकार से योजनेतर अनुरक्षण अनुदान (रु० लाख में)	कुल योजनेतर आवर्ती व्यय (रु० लाख में)
1		2	3
आंध्र प्रदेश			
1.	डॉ० बी०आर० अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	178.71	595.36
2.	श्री पद्मावती महिला	210.24	168.37
3.	श्री वेंकटेश्वर	1167.32	1391.07
असम			
4.	डिब्रूगढ़	312.10	उ०न०
गुजरात			
5.	भावनगर	347.59	388.83
6.	सरदार पटेल	366.38	481.11
7.	सौराष्ट्र	313.19	460.06
हरयाणा			
8.	कुरुक्षेत्र	976.95	1664.57
9.	महर्षि दयानंद	558.44	1348.53
हिमाचल प्रदेश			
10.	हिमाचल प्रदेश	638.48	977.21
जम्मू और कश्मीर			
11.	जम्मू	607.34	758.81

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

1		2	3
कर्नाटक			
12.	बंगलौर	1039.00	1643.00
13.	कर्नाटक	1284.72	1654.98
14.	नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया	17.84	71.23
केरल			
15.	केरल	1269.10	1841.20
16.	महात्मा गांधी	416.42	785.32
मध्य प्रदेश			
17.	देवी अहिल्या	345.60	520.72
18.	डॉ॰ हरि सिंह गौड़	595.26	918.67
19.	इंदिरा कला संगीत	82.34	91.20
20.	रानी दुर्गावती	372.77	496.44
21.	विक्रम	413.65	496.32
महाराष्ट्र			
22.	अमरावती	150.84	361.93
23.	बंबई विश्वविद्यालय	1616.01	2065.51
24.	डॉ॰ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मराठवाड़ा	828.77	1271.13
25.	नार्थ महाराष्ट्र	41.05	180.45
26.	पूना विश्वविद्यालय	680.66	1802.19
27.	यशवंतराव चह्वाण महाराष्ट्र मुक्त	65.00 (अ)	308.61
मणिपुर			
28.	मणिपुर	140.00	282.09

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

1		2	3
पंजाब			
29.	गुरु नानक देव	1196.26	1583.56
30.	पंजाब	2784.62	3272.88
31.	पंजाबी	1719.43	2214.40
राजस्थान			
32.	कोटा मुक्त	130.89 (अ)	243.17
तमिलनाडु			
33.	अन्नामलाई	34.03	1305.39
34.	भरतियार	76.41	354.93
35.	मद्रास विश्वविद्यालय	142.96	1544.15
पश्चिम बंगाल			
36.	बर्दवान	960.50	1031.91
37.	जादवपुर	1766.49	2077.56
38.	नार्थ बंगाल	750.00	710.00

अ : अनंतिम
उ०न० : उपलब्ध नहीं

NIEPA DC
D09609

टिप्पणी :

1. केंद्रीय विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालय संस्थाओं के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा सूचित किए गए व्यय को दिखाया गया है। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इस परिशिष्ट में दिए गए आँकड़े विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं।

2. यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकारों से विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त केवल अनुरक्षण अनुदानों तथा कुल आवर्ती व्यय (योजनेतर) को दिखाया गया है। विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकारों (राज्य विश्वविद्यालयों के लिए) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (केंद्रीय विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालय संस्थाओं के लिए) को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों को नहीं दिखाया गया है।

3. आवर्ती व्यय (योजनेतर) में ये मदें शामिल हैं - शिक्षण स्टाफ तथा प्रशासनिक स्टाफ का वेतन, रसायनों की खरीद, उपस्करों का अनुरक्षण, परीक्षाएँ संचालित करना, भवनों का अनुरक्षण तथा दिन-प्रति-दिन के कार्यकलापों पर होने वाला व्यय।

...ation.
...-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No........ D-9609
Date........ 08-09-97

०००००

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

1		2	3
कर्नाटक			
12.	बंगलौर	1039.00	1643.00
13.	कर्नाटक	1284.72	1654.98
14.	नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया	17.84	71.23
केरल			
15.	केरल	1269.10	1841.20
16.	महात्मा गांधी	416.42	785.32
मध्य प्रदेश			
17.	देवी अहिल्या	345.60	520.72
18.	डॉ॰ हरि सिंह गौड़	595.26	918.67
19.	इंदिरा कला संगीत	82.34	91.20
20.	रानी दुर्गावती	372.77	496.44
21.	विक्रम	413.65	496.32
महाराष्ट्र			
22.	अमरावती	150.84	361.93
23.	बंबई विश्वविद्यालय	1616.01	2065.51
24.	डॉ॰ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मराठवाड़ा	828.77	1271.13
25.	नार्थ महाराष्ट्र	41.05	180.45
26.	पूना विश्वविद्यालय	680.66	1802.19
27.	यशवंतराव चह्वाण महाराष्ट्र मुक्त	65.00 (अ)	308.61
मणिपुर			
28.	मणिपुर	140.00	282.09

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	1	2	3
पंजाब			
29.	गुरु नानक देव	1196.26	1583.56
30.	पंजाब	2784.62	3272.88
31.	पंजाबी	1719.43	2214.40
राजस्थान			
32.	कोटा मुक्त	130.89 (अ)	243.17
तमिलनाडु			
33.	अन्नामलाई	34.03	1305.39
34.	भरतियार	76.41	354.93
35.	मद्रास विश्वविद्यालय	142.96	1544.15
पश्चिम बंगाल			
36.	बर्दवान	960.50	1031.91
37.	जादवपुर	1766.49	2077.56
38.	नार्थ बंगाल	750.00	710.00

अ : अनंतिम
उ॰न॰ : उपलब्ध नहीं

NIEPA DC
D09609

टिप्पणी :

1. केंद्रीय विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालय संस्थाओं के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा सूचित किए गए व्यय को दिखाया गया है । राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इस परिशिष्ट में दिए गए आँकड़े विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं ।

2. यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकारों से विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त केवल अनुरक्षण अनुदानों तथा कुल आवर्ती व्यय (योजनेतर) को दिखाया गया है । विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकारों (राज्य विश्वविद्यालयों के लिए) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (केंद्रीय वविद्यालयों और समविश्वविद्यालय संस्थाओं के लिए) को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों को न ाया गया है ।

3. आवर्ती व्यय (योजनेतर) में ये मदें शामिल हैं - शिक्षण स्टाफ तथ स्टाफ का वेतन, रसायनों की खरीद, उपस्करों का अनुरक्षण, परीक्षाएँ संचालित करना, भवनों का दिन-प्रति-दिन के कार्यकलापों पर होने वाला व्यय ।

○ ○ ○ ○ ○

...ion.
-B, Sri Aurobindo Marg,
w Delhi-110016
C, No......... D-9609
e.............. 08-09-97